[2021] 13 एस. सी. आर. 424

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद आयोग

बनाम

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

(2019 की सिविल अपील संख्या 8228)

9 दिसंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-एस। 35 एल (1) (बी)-वित्त अधिनियम, 1994

65 बी (44), 65 (33 ए), 67,68-विनिमय शुल्क पर सेवा कर-एक

सेवा कर आयुक्तालय के आंतरिक लेखा परीक्षा समूह ने पाया कि प्रत्यर्थी-बैंक विनिमय शुल्क प्राप्त कर रहा था, जो ग्राहक को बिल की गई सकल राशि का हिस्सा था-प्रत्यर्थी को कारण दिखाएँ नोटिस जारी किए गए थे-प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि वह कोई भी सेवा नहीं कर रहा है ताकि इसे विनिमय सेवा पर सेवा कर के लिए उपयुक्त बनाया जा सके-प्रधान आयुक्त ने पाया कि प्रत्यर्थी-बैंक सेवा कर, जुर्माना और उसके द्वारा प्राप्त "विनिमय शुल्क" की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था-न्यायाधिकरण ने प्रधान आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया -

अपील की गई: के. एम. जोसेफ, जे. , : प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, यू / धारा 68 (1), सेवा प्रदाता होने के नाते-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना / धारा 68 (1), यह विनिमय शुल्क की राशि सहित विवरणी दाखिल करने के लिए भी उत्तरदायी था-उपाय

कर का, जो एस में पाया जाता है। 67 (1) (i), पूरी तरह से उस सेवा से संबंधित है जो अधिग्रहण करने वाला बैंक प्रदान करता है और प्रदान करने के लिए सहमत होता है-इसी तरह,

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का मूल्य, एस के उद्देश्य के लिए सेवा का मूल्य होगा। 67 (1) इसलिए, प्रत्यर्थी बैंक विनिमय शुल्क और फाइल विवरणी को शामिल करने और उसी पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था-यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी, जारी करने वाले बैंक के रूप में, एस के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान करता है। 65 (33 क) (iii)-प्रत्यर्थी को विनिमय शुल्क के रूप में 2 रुपये का भुगतान किया जाता है-इसलिए, प्रति एस. रवींद्र भट, जे.

(असहमति): प्रत्यर्थी-बैंक, जारीकर्ता बैंक के रूप में सेवा प्रदान कर रहा था, जैसा कि आयुक्त ने पाया-हालाँकि, यह सेवा लेनदेन के निपटारे की एकल एकीकृत सेवा का एक हिस्सा थी-जो

अधिग्रहण और जारी करने वाले बैंक दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है

होने के नाते

सेवा को एकल एकीकृत सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है-जिसमें सेवा कर, व्यावसायिक सुविधा के माध्यम से, प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा मूल्य (संपूर्ण एम. डी. आर.) पर एकत्र किया जाता है/प्रेषित किया जाता है।

इसमें वह विनिमय शुल्क शामिल है जो जारीकर्ता बैंक द्वारा रखा जाता है) जो अधिग्रहणकर्ता और जारीकर्ता बैंक (प्रतिवादी) दोनों द्वारा प्रदान की गई एकल सेवा के लिए कर योग्य है, उसे फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोहरा कर लगेगा।

मामले को उपयुक्त पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. के. एम. जोसेफ, जे. के अनुसार: यह स्पष्ट है कि

विनिमय शुल्क उत्तरदाता द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में अर्जित किया जाता है। यह सच हो सकता है कि प्रत्यर्थी क्रेडिट कार्ड लेनदेन में जारीकर्ता बैंक और ऋणदाता दोनों के रूप में अपनी क्षमता में भी संलग्न हो सकता है। बैंक का अधिग्रहण। ऐसी स्थिति में, जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रदान की गई सेवा और अधिग्रहण बैंक के रूप में इसकी क्षमता के लिए अर्जित कुल राशि, कर का माप या, दूसरे शब्दों में, कर योग्य सेवा का मूल्य बन जाएगी, लेकिन कानूनी रूप से वे इसके लिए हैं।

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति के रूप में अलग-अलग सेवाएं अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग होती हैं। शुल्क भी अलग है। निस्संदेह, यह विचाराधीन अनुबंधों की शर्तों पर निर्भर करेगा। तथापि, एक परिदृश्य में, जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक अलग हैं,

यदि वर्तमान मामले में ऐसा मामला है, तो यह एक ऐसा मामला होगा जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक दोनों अलग-अलग भुगतान कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेनदेन के हिस्से के रूप में सेवाएँ। निर्विवाद रूप से, विनिमय शुल्क कोई उपहार नहीं है। इस तरह का शुल्क सेवा कर का विषय नहीं है, जो जारीकर्ता के बीच लेनदेन के अंतर्गत आता है।

धारा 65 (33ए) के खंड (आई) से संबंधित बैंक और कार्ड धारक। पूरे लेन-देन की प्रकृति, से उजागर किया गया है

जिस क्षण लेन-देन में कार्ड स्वाइप हो जाता है, जब तक कि राशि का भुगतान व्यापारी प्रतिष्ठान को नहीं किया जाता है, वास्तव में, जारीकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के संबंध में सेवा की जाती है।

कार्ड के माध्यम से लेनदेन की गई राशि। जैसा कि पहले ही देखा गया है, जारीकर्ता बैंक, कार्ड संघ के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में

और अधिग्रहण करने वाला बैंक, जो कार्ड एसोसिएशन के साथ भी समझौते के तहत है, कार्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होने की अनूठी गतिविधि में लगा हुआ है, जो,

मान लीजिए, विनिमय शुल्क और जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि को निर्धारित करता है और जिसके तत्वावधान में, लेनदेन डेटा, लाखों में, जारी करने वाले बैंक द्वारा संसाधित किया जाता है और यह केवल जारी करने वाले बैंक की मंजूरी से है कि [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मर्चेंट बैंक कार्ड का उपयोग करके खरीद की अनुमति देता है। यह स्पष्ट समझ पर है कि राशि का भुगतान उचित डेबिट और क्रेडिट द्वारा बनाए गए खातों में किया जाएगा, दोनों जारीकर्ता द्वारा।

बैंक और अधिग्रहण बैंक। 2/- रुपये, हालांकि, जारीकर्ता बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है और यह Rs.98/- है जो अकेले मिलता है। अधिग्रहण करने वाले बैंक के खाते में जमा। वास्तविक भुगतान

अंत में व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा खाते के निपटान पर सहमत तिथि पर अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है राशि, रुपये काटने के बाद। 5 / - व्यापारी छूट की राशि के रूप में। व्यापारी छूट की यह राशि जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित 2/- रुपये से बनी है। [पारस 54 और 55] [485-ई-एच; 486-ए-ई]

2. यह अकल्पनीय है कि द्वारा निभाई गई भूमिका के बिना

यह भी स्पष्ट करें कि क्रेडिट कार्ड प्रणाली मूल रूप से जारीकर्ता बैंक पर आधारित है, जो जोखिम उठाता है। Rs.98/-, Rs.100/- के लेन-देन में, खाते से डेबिट हो जाता है, जिसे प्रतिवादी बैंक, जारीकर्ता बैंक के रूप में रखता है। यह जारीकर्ता बैंक की निधि है, जिसका उपयोग, दूसरे शब्दों में, भुगतान को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा है, जो धारा 65 (33 ए) के खंड (iii) के संबंध में है। यह एक और बात है कि जारीकर्ता के बीच समझौते के तहत बैंक और कार्डधारक, कार्डधारक निर्धारित अवधि के भीतर जारीकर्ता बैंक को Rs.100/- की राशि का भुगतान करेंगे और,

यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित ब्याज का भुगतान करने का दायित्व वहन करेगा। तथ्य यह है कि

पहली बार में, व्यापारी प्रतिष्ठान को कार्ड के माध्यम से किए गए लेन-देन की राशि को संतुष्ट करने और निपटाने के लिए धन उपलब्ध कराने का जोखिम है। [पारस 56 और 57] [486-ई-एच; 487-ए]

धारा 67 से 70; कौन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

सेवा कर, नियत विनियमन और फाइल वापसी?

3. जहाँ तक सेवा कर के भुगतान का संबंध है,

अधिनियम की धारा 68 द्वारा शासित, सेवा कर का भुगतान करने का दायित्व किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर डाला जाता है। व्यक्ति। उप-धारा (2) में जी. एस. टी. आयोग और केंद्रीय अपवाद से विचलन पर विचार किया गया है।

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

धारा 68 (1) के आदेश में कहा गया है कि कर योग्य सेवाओं के संबंध में, जैसा कि राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, सेवा कर का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर निर्धारित तरीके से किया जाना है और अध्याय के प्रावधान (जो वास्तव में "सेवा कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" हैं) इस तरह लागू होते हैं जैसे कि वह ऐसी सेवा से संबंधित सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। धारा 68 को धारा 69 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के पंजीकृत होने के दायित्व का प्रावधान करता है। अध्याय 5 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर दायित्व डाला जाता है। प्रत्यर्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि मामला धारा 68 (2) द्वारा शासित है जिसके लिए कर योग्य सेवा को उसके तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह कि धारा 68 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित तरीके से खुद को पंजीकृत करना होगा, नियमों के नियम 4 से स्पष्ट किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति खुद को प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा।

स्वयं पंजीकृत है और नियमों के सभी प्रावधान सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर पंजीकृत होने के दायित्व पर आधारित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा पंजीकरण का समर्थन संभव हो सकता है। धारा 70 सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर देय कर का आकलन करने का दायित्व भी डालती है और

वापसी प्रदान करें। [पैरा 59] [487-एफ-एच; 488-ए-सी]

4. तथापि, इस संबंध में प्रत्यर्थी का तर्क

धारा 67 (1) (i) में, इस न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुति में, यह है कि "सेवा प्रदाता" अभिव्यक्ति में जारी करने वाले दोनों शामिल होंगे। बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक और सकल राशि रु। 5 / जिसमें जारीकर्ता को देय 2/- रुपये का प्रतिफल शामिल है।

- बैंक और रु. 3/- जो अधिग्रहण करने वाले बैंक को देय है। यह तर्क गुणात्मक रूप से उस मामले से अलग है, जिसे आयुक्त और न्यायाधिकरण के समक्ष इस अर्थ में स्थापित किया गया है कि प्रतिवादी का मामला यह प्रतीत होता है कि धारा 67 के तहत, सेवा प्रदाता को सकल पर कर का भुगतान करना था।

राशि, जिसके लिए उसने सेवा प्रदान की थी और यह तर्क देने का प्रयास किया गया है कि कोई भी सेवा, इस तरह, द्वारा प्रदान नहीं की जा रही थी

जारीकर्ता बैंक। मेरा मानना है कि यह वास्तव में एक निहित स्वीकारोक्ति है कि जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि के निपटान के मामले में सेवा प्रदान करता है, जिसके लिए वह विनिमय शुल्क के रूप में 2/- रुपये कमाता है। अब, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 67 (1) (i) में "सेवा प्रदाता" अभिव्यक्ति, [2021] 13 एस. सी. आर. होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहणकर्ता बैंक को शामिल करते हुए, मैं अपने निष्कर्ष में अधिक आश्वस्त महसूस करूंगा कि, पूरे समय, प्रतिवादी वास्तव में, जारीकर्ता बैंक के रूप में, धारा 65 (33 ए) (iii) के तहत विचार की गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। धारा 67 (1) (i), जैसा कि मेरे द्वारा पहले से ही डिकोड किया गया है, वित्त द्वारा इसके प्रतिस्थापन के बाद। अधिनियम, 2006 में प्रावधान है कि कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि होगी।

उसके द्वारा प्रदान किया जाना या प्रदान किया जाना। यह तर्क कि सकल राशि रु. 5/- होगी, जो अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए रु. 3/- और जारी करने वाले बैंक (विनिमय शुल्क) को देय रु. 2/- से बनाई गई है, इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि सकल राशि वास्तव में प्रदान की जाने वाली या विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में अनुमानित है। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि "सेवा प्रदाता" शब्दों में जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक शामिल हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि सकल राशि दोनों सेवा प्रदाताओं द्वारा ली जानी है। , जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवा पर आधारित होना चाहिए। "सकल राशि" शब्द विभिन्न सेवा धारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य का योग नहीं हो सकता है। अधिग्रहण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग है। यह इतना स्पष्ट है कि इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा का मूल्य, जो कर का माप है, सेवा की प्रकृति पर निर्भर

करता है। जाहिरा तौर पर, मूल्य के रूप में कर का माप, कार्ड एसोसिएशन द्वारा तय किया गया है, जिसके साथ, जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों ने अलग-अलग समझौते किए हैं। अधिग्रहण करने वाले बैंक की गतिविधि और इसलिए, अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रत्यर्थी बैंक की गतिविधि से अलग हैं और इसलिए, सेवा अलग है और

विशिष्ट। इसलिए, कानून में, दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा दो अलग-अलग सेवाओं के मूल्य को जोड़कर एक सकल राशि नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति "सकल राशि" को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

सेवा प्रदाता और प्रावधान मुझे दिखाई नहीं देता है किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा की सकल राशि पर पहुंचने के लिए अलग-अलग सकल राशियों को जोड़कर, इसके दायरे में शामिल करें।

इस संदर्भ में, मैं देख सकता हूं कि जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

"प्रभारित सकल राशि" शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसमें कई रूपों में भुगतान शामिल है, जिसमें डेबिट नोट, पुस्तक समायोजन और किसी भी खाते में जमा या डेबिट की गई कोई भी राशि शामिल है। विनिमय शुल्क,

Rs.100/- के लेन-देन में, 2/- रुपये की राशि होती है, जो प्रत्यर्थी-जारीकर्ता बैंक के क्रेडिट में रहती है, जब उसे Rs.100/- के लेन-देन में केवल Rs.98/- का डेबिट होता है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता को 2/- रुपये का भुगतान किया गया। यह केवल Rs.98/- है, जो अधिग्रहण करने वाले बैंक के खाते में प्रवेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापारी प्रतिष्ठान को रुपये का भुगतान किया जाता है। 94.30, प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उदाहरण में, प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त Rs.98/- में से। उपरोक्त से, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, धारा 65 (33ए) (iii) के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान करता है। यह उसी दिशा में है कि प्रतिवादी को विनिमय शुल्क के रूप में 2/- रुपये का भुगतान किया जाता है। इसलिए, अंतर-विनिमय शुल्क सेवा कर के बराबर है। मान लीजिए, प्रत्यर्थी ने कोई भुगतान नहीं किया है उक्त राशि पर सेवा कर। [पारस 61-63] [488-E-H; 489-A-H; 490-A-B]

क्या अंतर-विनिमय शुल्क सबसे दिलचस्प है और वहाँ है

5. प्रत्यर्थी एक बैंकिंग संस्थान है। निस्संदेह, इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। वास्तव में यह एक अनुसूचित बैंक है। दिलचस्प बात यह है कि ब्याज कर अधिनियम, 1978, एक ऋण संस्था द्वारा अर्जित ब्याज पर धारा 4 में शुल्क का प्रावधान करता है, जिसमें प्रतिवादी-बैंक शामिल है। निस्संदेह, धारा 18 के तहत, ब्याज कर अधिनियम के तहत ब्याज पर भुगतान किए गए कर की कटौती आयकर अधिनियम के तहत की जा सकती है। यदि विनिमय शुल्क को ब्याज माना गया है, तो निस्संदेह, इसे ब्याज कर अधिनियम के तहत कर में लाया गया होगा। द.

प्रत्यर्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान किया गया है और इसे ब्याज के रूप में माना गया है। यह अकल्पनीय है कि जारीकर्ता बैंक और कार्ड एसोसिएशन या अधिग्रहण करने वाले बैंक या यहां तक कि व्यापारी प्रतिष्ठान के रूप में प्रत्यर्थी के बीच लेनदार और देनदार संबंध है। प्रत्यर्थी को धन के ऋणदाता और अन्य तीन खिलाड़ियों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पहले वर्णित किया गया है, उधारकर्ता के रूप में। जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रत्यर्थी के संबंध के संदर्भ में, विनिमय शुल्क को [2021] 13 एस. सी. आर. के उपयोग के लिए पक्षों द्वारा निर्धारित मुआवजे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या उधार लिए गए धन की सहनशीलता। वास्तव में, अवधारणा

उधार लिया गया धन, लेनदार-देनदार संबंध के अस्तित्व पर आधारित है जो अनुपस्थित है। ब्याज, के संदर्भ में

रामनाथन अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकन की परिभाषा में, शामिल धन या धन पर एक समय मूल्य रखा गया है और इसके अलावा, इसमें वह दर भी शामिल होगी, जिस पर ब्याज की गणना की जाती है। एक बार फिर, यह परिभाषा ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच संबंधों के संदर्भ में उपयुक्त है। सेवा की प्रकृति, मेरे पास है जारीकर्ता बैंक द्वारा निष्पादित, क्रेडिट कार्ड लेनदेन के अनुमोदन का कार्य शामिल है। यह क्रेडिट कार्ड लेनदेन का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। यह आंशिक रूप से इस सेवा के लिए था कि विनिमय शुल्क प्रतिवादी द्वारा अर्जित किया जाता है।

जारीकर्ता बैंक के रूप में। एक निहित अनुबंध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि विनिमय शुल्क स्पष्ट रूप से अनुबंध के संदर्भ में भुगतान किया जाता है। स्पष्ट रूप से, विनिमय शुल्क के आधार के रूप में इक्विटी को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि विनिमय शुल्क अनुबंध के तहत और प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए देय है। मैं हूँ, में

परिस्थितियां, इस दृष्टिकोण से कि प्रत्यर्थी का तर्क निरर्थक है। [पारस 66,69] [490-जी-एच; 491-ए-बी; 493-सी-जी]

एक साथ क्रेडिट कार्ड हस्तांतरण ए

लेन-देन का पैसा?

6. विनिमय शुल्क जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा के लिए प्रतिफल के रूप में अर्जित किया जाता है जो जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। गतिविधियों का जटिल जाल तीन मुख्य खिलाड़ियों अर्थात् जारीकर्ता बैंक, कार्ड संघ और अधिग्रहणकर्ता द्वारा शामिल किया जाता है।

बैंक व्यापारी प्रतिष्ठान को देय राशि के निपटान में समाप्त होता है, जिसे शुरू में क्रेडिट पर माल और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजी किया गया था, लेकिन इस आश्वासन पर कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन को इसकी तार्किक परिणति पर ले जाया जाएगा। यह स्पष्ट है कि सक्रिय भूमिका जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है गतिविधि में शामिल होना। जारीकर्ता बैंक द्वारा भुगतान अनिवार्य है और प्रणाली में लेन-देन के केंद्र में है जिसके तहत अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ उपलब्ध मशीनों के माध्यम से व्यापारी को भुगतान किया जाता है। प्रत्येक लेन-देन के लिए जारीकर्ता बैंक को लेन-देन को मंजूरी देनी होगी। जोखिम जो जारीकर्ता बैंक द्वारा लिया जाता है जो फिर से धन उपलब्ध कराता है और समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार और जी. एस. टी. आयोग और केंद्रीय अपवाद के तहत निधि का रखरखाव करता है।

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

संविदात्मक दायित्व जारीकर्ता बैंक द्वारा की जाने वाली सेवा का हिस्सा है। अधिनियम के तहत जिस पर कर लगाने की मांग की जाती है, वह विनिमय शुल्क है न कि वह राशि जो उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए, प्रत्यर्थी का यह तर्क कि यह केवल धन में लेनदेन है, प्रत्यर्थी द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रदान की गई सेवा की अनदेखी करना शामिल है। स्पष्टीकरण के भीतर धन के उपयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से गतिविधि है। [पैरा 73] [496-बी-एफ]

कारण सूचना दिखाने से प्रतिबंध [संख्या]

एक];

7. प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि आयुक्त द्वारा जारी कारण दिखाएँ नोटिस में वह संस्करण की अस्वीकृति के आधार पर आगे बढ़े

उत्तरदाता कि द्वारा कोई सेवा नहीं की जा रही थी प्रत्यर्थी बैंक अधिग्रहण करने वाले बैंक को जारी करने वाले बैंक के रूप में। हालाँकि, यह बताया गया है कि आदेश में एक विचलन है और जो पाया गया है वह यह है कि सेवा जारीकर्ता द्वारा की जा रही है।

अर्जित सेवा आय, अर्थात। , विनिमय शुल्क, जो धारा 65 (33ए) के साथ पठित धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के तहत कर योग्य है। इसके अलावा, कुछ तथ्यों पर कानून को लागू करने का सवाल है जो नहीं हैं विवाद में अर्थात् जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड प्रणाली संचालित होती है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और हमारे इस निष्कर्ष पर कि सेवा वास्तव में क्रेडिट कार्ड के तहत राशि लेनदेन के निपटान के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रदान की जाती है, इस मामले के तथ्यों में, प्रतिवादी को इस बिंदु पर सफल नहीं होना चाहिए। [पैरा 84] [499-डी-एच; 500-ए-बी] [2021] 13 एस. सी. आर.

प्रमाण पत्र; दोहरा कर 8.
सर्कुलर नं. एसटी-51/13/2002 दिनांक 07.01.2003, जो था,

वास्तव में, आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया था, जिसके बारे में उठाए गए संदेहों के आलोक में जारी किया गया था कुछ सेवाओं का वर्गीकरण, जो एक साथ दो या दो से अधिक श्रेणियों में आती प्रतीत होती हैं। उपरोक्त परिपत्र में विचार किया गया है कि यदि एक सेवा प्रदाता एक से अधिक कर योग्य सेवा प्रदान करता है, तो एक पंजीकरण पर्याप्त है, लेकिन सभी कर योग्य सेवाओं के लिए इसका समर्थन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक कर योग्य सेवा के लिए कर देयता का अलग-अलग भुगतान करना होगा। क्रेडिट कार्ड लेन-देन के संदर्भ में, कार्ड धारक के लिए जारी करने वाले बैंक के रूप में, प्रत्यर्थी कार्ड धारक को कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, यदि अधिनियम की धारा 65 (33ए) के तहत, प्रतिवादी 01.07.2012 तक अन्य सेवाओं में संलग्न रहा है।

और, उसके बाद, विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसे कर योग्य सेवाओं के अपने कर दायित्व का निर्वहन करना होगा।

प्रदाता को केवल एक कर का भुगतान करना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि प्रदान की जाने वाली प्रत्येक अलग-अलग सेवा के लिए सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा। अलग से कर का भुगतान करना। [पारस 86,87] [500-सी, जी-एच; 501-ए-सी]

सेवा कर का प्रभाव एक मूल्य जोड़ा गया

कर 9. जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का संबंध है कि सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर है, कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। द.

प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा लेन-देन की एक श्रृंखला में प्रदान की जाने वाली सेवा जहां मूल्यवर्धन होता है, सेवा के मूल्य पर सेवा कर का बोझ वहन करना चाहिए। कानून में टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का भी प्रावधान है। हालांकि, जब एक ही सेवा पर कर लगाने से संबंधित सवाल की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि एक से अधिक बार कर नहीं लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह कहना एक बात है कि जब कराधान प्रविष्टि के तहत प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवाएं होती हैं, तो प्रत्येक कर योग्य सेवा कर योग्य बन जाती है।

01.07.2012 , एक ही सेवा के लिए, कानून अनुमति नहीं देता है एक ही सेवा के संबंध में कर के एक ही माप पर एक ही कर की पुनरावृत्ति। दूसरे शब्दों में, यदि प्रत्यर्थी द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए, उसने विनिमय शुल्क अर्जित किया है, जो कर के माप का गठन करना चाहिए, तो अधिग्रहण

बैंक, एक प्रथा का पालन करने के संदर्भ में, उसने उक्त राशि पर कर का भुगतान किया है, तो, प्रतिवादी पर फिर से कर लगाना अवैध और अनुचित होगा। यह एक और बात है कि प्रतिवादी वह व्यक्ति है जो धारा 70 के तहत विवरणी दाखिल करने और विनिमय शुल्क को कर योग्य सेवा का मूल्य मानने के बाद विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। ये सभी मामले हैं, जिनसे मैं विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सहमत हूं।

हालांकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ यह सहमत होना मुश्किल है कि भले ही अधिग्रहण करने वाले बैंक ने एम. डी. आर. के हिस्से के रूप में इसे मानते हुए, विनिमय शुल्क के रूप में देयता का निर्वहन किया हो, तो भी प्रतिवादी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मैं इस बात से अवगत हूं कि अपीलार्थी के तर्क में निम्नलिखित शामिल हैं -

तर्क। कानून में प्रत्यर्थी को विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है और, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, उसके द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, यह विचार करने के लिए विभाग की तलाश नहीं है कि क्या अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा कर का भुगतान किया गया था, यह मानते हुए भी कि यह विनिमय शुल्क सहित एक राशि पर था। लेकिन वास्तव में इसमें दोहरा कराधान शामिल है। [पारस 92 और 93] [503-ए-जी]

कारण सूचना दिखाएँ: से विभाजन

आयोग को आदेश [दो की संख्या];

10. प्रत्यर्थी द्वारा इंगित एक अन्य पहलू यह है कि कारण दर्शाएँ नोटिस में, आयुक्त ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है

इस आधार पर कि विनिमय शुल्क पर सेवा कर के अधिग्रहण बैंक द्वारा भुगतान, सेवा कर का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी के दायित्व को दोषमुक्त नहीं करेगा। इसके बाद यह पता लगाने के लिए इंगित किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें प्रत्यर्थी को ऐसे मामले को पूरा करने के अवसर से वंचित करना शामिल है और यह भी स्वीकार किया गया है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने कर का भुगतान किया है। दूसरे शब्दों में, जब आयुक्त कारण दर्शाओ नोटिस के आधार पर आगे बढ़ेगा कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान, [2021] 13 एस. सी. आर. से अलग नहीं होगा।

प्रत्यर्थी का दायित्व, यह देखना अस्वीकार्य है कि प्रत्यर्थी ने यह साबित नहीं किया है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने कर का भुगतान किया है। यह सच हो सकता है कि कारण दिखाएँ नोटिस

बयान है कि अधिग्रहण बैंक द्वारा विनिमय शुल्क पर सेवा कर के भुगतान का तथ्य, निर्धारिती को सेवा कर के भुगतान से छूट नहीं देता है, विचार पर

सेवा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त किया गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अनिवार्य रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त प्रत्यर्थी के मामले का उल्लेख कर रहे थे कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह धारणा पैदा करता है कि आयुक्त आगे बढ़ता है, जैसे कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान किया गया था, जो कि

यह ध्यान देने योग्य है कि जब आयुक्त का आदेश था न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई, इस दावे के समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने भुगतान किया था

नं. 3, प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए आधारों में से एक, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह है कि विवादित आदेश एससीएन के दायरे से परे चला गया। इसके तहत, हालांकि, शिकायत, जो की जानी चाहिए थी, वह यह थी कि एससीएन में, आयुक्त द्वारा स्थापित मामला यह था कि सेवा अधिग्रहण करने वाले बैंक को थी, जबकि, आयुक्त द्वारा पारित आदेश इस आशय का था कि सेवा कार्ड एसोसिएशन को प्रदान की गई थी। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर एससीएन की कार्यवाही के संबंध में अपील में कोई आधार नहीं लिया गया है, जिसे स्वीकार किया जा रहा है, और इस तरह, आदेश में एक नया मामला पाया जा रहा है। आदेश में न्यायाधिकरण द्वारा पारित, न्यायाधिकरण अपील में आधार के संदर्भ में एससीएन से आयुक्त के प्रस्थान के बारे में शिकायत को नोटिस करता है, जो निर्धारित किए गए हैं। अंत में, न्यायाधिकरण के वास्तविक तर्क पर ध्यान देना प्रासंगिक है, जिसके कारण आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

जी. एस. टी. आयोग और केंद्रीय अपवाद v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए

न्यायाधिकरण के उक्त आदेश का आधार, और कोई कारण नहीं ढूँढना

इसके विपरीत, इस कानूनी आधार पर, आयुक्त के आदेश को अलग कर दिया गया था। मैं देख सकता हूं कि उक्त मामले में, पैराग्राफ-6 में, विभाग ने वास्तव में इस बात पर विवाद नहीं किया कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, इस संबंध में प्रतिवादी का तर्क मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे ध्यान देना चाहिए कि प्रतिवादी ने अपने मामले को स्थापित करने

के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। [पारस 96,97,99 और 100] [504-ई-एच; 505-डी-ई, जी-एच; 506-ए]

बाहर निकल चुका एक भी व्यक्ति

24.04.2013 दिनांकित कारण सूचना दिखाने की माँग के संबंध में सीमा उपलब्ध है?

12. आयुक्त ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि जानबूझकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है

अधिकारियों द्वारा। यह भी पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। मुझे ध्यान देना चाहिए कि विवादित आदेश में, उस न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे से निपटा नहीं था विस्तारित अवधि का लाभ उठाने वाले प्रत्यर्थी की वैधता से संबंधित। इसके बजाय इसने गुण-दोष के आधार पर आयुक्त के विवादित आदेश को रद्द करने का फैसला किया है। [पारस 104-106] [509-A-E]

13. अतः उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, था

आई)

सेवा प्रदान करना, जैसा कि आयुक्त द्वारा पाया गया; [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

II)

01.07.2012 से पहले की अवधि के लिए, की सेवा

प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, अधिनियम की धारा 65 (33ए) (iii) के अंतर्गत आता है।

III) प्रत्यर्थी का यह तर्क कि विनिमय शुल्क को ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है, खारिज कर दिया जाता है;

IV) क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर आधारित मामला, जो धन में लेन-देन है और इसलिए, धारा 65बी (44) में "सेवा" की परिभाषा से बाहर रखा गया है,

अस्वीकार्य; ए.
बी. एम. अमरो में न्यायाधिकरण का आदेश,

वी)

अधिनियम के ढांचे के तहत एक जारीकर्ता बैंक की स्थिति स्पष्ट रूप से अस्थिर है;

VI) इस मामले के तथ्यों में, मैं अपील को केवल इस आधार पर खारिज करने से इनकार करता हूं कि कोई अपील नहीं की गई थी।

एबीएन एमरो में आदेश के खिलाफ;

VII) प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, सेवा प्रदाता होने के नाते, धारा 68 (1) के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। धारा के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना

68 (1) , यह रिटर्न दाखिल करने के लिए भी उत्तरदायी था जिसमें शामिल थे

विनिमय शुल्क की राशि;

VIII) अधिग्रहण करने वाला बैंक उस सेवा को महत्व देने के लिए बाध्य था, जिसे उसने प्रदान किया था या प्रदान करने के लिए सहमत था। यह उपाय

कर का, जो धारा 67 (1) (i) में पाया जाता है, पूरी तरह से

उस सेवा से संबंधित है जिसे प्राप्त करने वाला बैंक

विनिमय शुल्क और फाइल को शामिल करने के लिए उत्तरदायी था उसी पर कर वापस करें और भुगतान करें;

IX) हालांकि सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग-अलग सेवाओं के लिए प्रत्येक अलग-अलग सेवा पर कर देय है।

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त की अवधारणा v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए

मूल्य वर्धित कर का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि यदि इस मामले में अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा पहले से ही कर का भुगतान किया गया है, तो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए विनिमय शुल्क की राशि पर

जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रतिवादी, प्रतिवादी बैंक सेवा कर का भुगतान फिर से करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस तरह की कवायद, निस्संदेह दोहरे कराधान का गठन करेगी;

एक्स)

न्यायाधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या धारा 73 के अर्थ के भीतर दमन

दिनांक 24.04.2013 के कारण दिखाएँ नोटिस द्वारा कवर की गई अवधि के हिस्से के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कार्य। मेरा यह भी विचार है कि प्रत्यर्थी को यह स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने इस संबंध में कर देयता का निर्वहन किया है - विनिमय शुल्क। [पैरा 109] [509-जी-एच; 510-ए-एच;

511 - ए-सी]

मेसर्स एबीएन एमरो बैंक बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

और सीमा शुल्क [2011] 2 एससीआर 874; मानक चार्टर्ड बैंक और अन्य। वी. सीएसटी, मुंबई-आई एंड अदर्स 2015 [40]

एन. वी. वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त सेवा कर, नोएडा [23.7.2018 पर दिया गया निर्णय]

2018 - टीआईओएल-2811-सी. ई. एस. टी. ए. टी./एम. ए. एन. यू./सी. एन./0079/2018;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम बनाम।

मेहता एंड कंपनी (2011) 4 एस. सी. सी. 435: [2011] 2 एससीआर

874 ; एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस

आबकारी नागपुर बनाम। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2007) 8 एससीसी 89 : [2007] 9 एससीआर 650/[2007] 215 ईएलटी 489 (एससी);

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

पुणे द्वितीय (2007) 9 एस. सी. सी. 617: [2007] 5 एससीआर 1141 2007 /

[211] ईएलटी 513 [एससी]; कैपिटल वन में अमेरिकी कर न्यायालय

वित्तीय निगम और सहायक निकाय वी।

आयुक्त, 133 टी. सी. सं. 8 (21 सितंबर, 2009);

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और एक अन्य 1993 सप (4) एस. सी. सी. 136; राज्य

कर्नाटक और अन्य बनाम। कर्नाटक प्यादा दलाल

एसोसिएशन और अन्य (2018) 6 एस. सी. सी. 363: [2018] 10

एस. सी. आर. 409; भारत संघ और अन्य बनाम कौमुदिनी

नारायण दलाल और एक अन्य (2001) 10 एस. सी. सी. 331: 2001

(4) स्केल 227; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। टाटा

इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (2003) 11 एस. सी. सी.

193 : 2003 (8) जे. टी. 557; बिड़ला कार्पोरेशन। लिमिटेड वी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2005) 6 एससीसी 95: [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 821; जयस्वाल एन. ई. सी. ओ. लिमिटेड बनाम।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर (2007) 13 एससीसी

807 ; श्री कृष्ण दास बनाम। नगर क्षेत्र समिति (1990) 3

एस. सी. सी. 645 [1990] 2 एस. सी. आर. 13; भारत संघ (यू. ओ. आई)

और अन्य वी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड,

जमशेदपुर (1976) 2 एससीसी 123: [1976] 2 एससीआर 1044;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद बनाम। बजाज

ऑटो लिमिटेड, वालुज, औरंगाबाद अपने वाइस के माध्यम से अध्यक्ष (सामग्री) और अन्य (2010) 13 एस. सी. सी. 117:

[2010] 14 एस. सी. आर. 184-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 2 एससीआर 874

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2007] 9 एससीआर 650

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2007] 5 एससीआर 1141

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[2018] 10 एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[2005] 1 पूरक। एससीआर 821

पैरा 79

संदर्भित किया गया है

[1990] 2 एससीआर 13

संदर्भित किया गया है

पैरा 90

[1976] 2 एससीआर 1044

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग का पैरा 10 v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

एस. रवींद्र भाट के अनुसार, जे. (असहमति)

पकड़ना: 1. क्रेडिट कार्ड सेवाओं की पहले से मौजूद परिभाषा [धारा 65 (12) (ii)] में केवल "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" का उल्लेख किया गया है।

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का हिस्सा-यह विस्तार से बताए बिना कि परिभाषा में किस तरह की सेवाओं को समझा गया था। 2006 के संशोधन ने धारा 65 (12) के उपखंड (ii) को हटाकर और एक नई धारा 65 (33क) को लागू करके इसे अलग कर दिया। धारा 65 (33ए) के एक साधारण अध्ययन से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं के सात अलग-अलग प्रमुख अब "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" के व्यापक विवरण के भीतर समझे जाते हैं। उपखंड () i से (vii) में आने वाली प्रत्येक श्रेणी एक विशिष्ट, गणना की गई सेवा से संबंधित है। नियंत्रक अभिव्यक्ति "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवाओं में प्रदान की गई कोई भी सेवा शामिल है"

सेवा की इस प्रजाति का कवरेज, पूर्व मौजूदा कानून के विपरीत। "डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा" की विशिष्ट गणना द्वारा यह समावेश कार्ड सेवा का एक विस्तारित वर्ग है। हालांकि, "शामिल" शब्द का आगे उपयोग (विशिष्ट उप की गणना द्वारा) व्यापक होने के बावजूद भी किया जाता है।

श्रेणियाँ) "क्रेडिट कार्ड सेवाएँ"-धारा 65 (33) (ए) के तहत कवरेज को केवल सात गणना की गई श्रेणियों तक सीमित करने का प्रभाव भी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसके बाद उपखंड (vii), गैर-गणना गतिविधियों के लिए समान उपचार को अधिकृत करने वाला कोई अवशिष्ट प्रावधान नहीं है, यानी जो नहीं आते हैं।

उपखंड (i) से (vii) के भीतर। दूसरे शब्दों में, कार्ड सेवाओं की सात श्रेणियों की विशिष्ट गणना द्वारा विस्तार करते समय "शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग भी समावेशी को सीमित करता है।

उन श्रेणियों के लिए प्रकृति, और अधिक नहीं। दूसरा।

निर्विवाद विशेषता यह है कि एक उपखंड के भीतर आने वाली प्रत्येक गणना की गई श्रेणी केवल एक प्रकार की सेवा को संदर्भित करती है। इस प्रकार, उपखंड (i) द्वारा निर्दिष्ट सेवा कार्ड धारक को कार्ड जारी करना है और उपखंड (ii) द्वारा रसीद की सेवा, आवेदनों का प्रसंस्करण, जारीकर्ता बैंक की व्यक्तिगत एजेंसी को उभरे हुए डेटा का हस्तांतरण, ए. टी. एम., पिन संख्या सृजन, कार्ड का नवीनीकरण

या प्रतिस्थापन, पते में परिवर्तन आदि-अनिवार्य रूप से जारीकर्ता कार्ड के लिए अलग और सहायक सेवाओं का निर्माण। इस सेवा में मुख्य रूप से एक व्यावसायिक इकाई शामिल है जो प्रदान करती है

किसी और की सेवा करें। उपखंड (iii) द्वारा-जो यह मामला [2021] 13 एस. सी. आर. है।

शामिल सेवा से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा है, [अर्थात,

उपखंड (i) में परिभाषित किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को बैंक और अधिग्रहण बैंक जारी करना।

"ऐसे कार्ड" के माध्यम से लेन-देन किया गया। यहाँ जोर दिया गया है: अन्य संबंधित मुद्दों के अलावा, कार्ड के माध्यम से किसी भी "लेन-देन की राशि" के निपटान की सेवा के साथ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेवा प्रदाता का संदर्भ "किसी भी व्यक्ति द्वारा" है

व्यक्तियों और संस्थाओं की सभी श्रेणियों को व्यापक और समझता है उपखंड (i) (बैंक, वित्तीय संस्थान, आदि) में उल्लिखित "व्यक्ति" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए [धारा 65 ख (37) में]। ऐसा होने पर, जारी करने वाले बैंक का संदर्भ इसके अंतर्गत आता है।

"किसी भी व्यक्ति" का व्यापक वर्णन। किसी भी मामले में, उपखंड (i) के अनुसार, "जारी करने वाले बैंक" को व्यापक रूप से परिभाषित करने के बाद, संसद को "जारी करने वाले बैंक सहित किसी भी व्यक्ति" का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है;

यदि उपखंड (iii) में "किसी भी व्यक्ति" के स्थान पर केवल "जारी करने वाले बैंक" का उल्लेख किया गया होता तो इसका अर्थ समान होता। हालांकि, क्रेडिट कार्ड लेनदेन की आवश्यक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समावेश एक जारीकर्ता बैंक के लिए उतना निर्देशित नहीं है जितना कि "एक अधिग्रहण बैंक" के विशिष्ट संदर्भ के लिए। उस शब्द को इस उपखंड के अलावा कहीं और परिभाषित नहीं किया गया है, और स्पष्टीकरण द्वारा

जिसमें अधिग्रहण करने वाले बैंक को एक बैंक, कंपनी, वित्तीय संस्थान आदि के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है,

ऐसे कार्ड कौन स्वीकार करता है। महत्वपूर्ण रूप से, केवल धारा 65 (33 ए) (iii) में किसी भी व्यक्ति द्वारा सेवा में जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा शामिल है। और अधिग्रहण करने वाला बैंक। [धारा 65 (33 ए) (iii) में] "और" संयोजन का उपयोग अन्य उपखंडों के विपरीत किया जाना चाहिए-संसद ने अन्य सभी उपखंडों में "या" संयोजन का उपयोग किया। इस अंतर का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि सेवा प्रदाता एक

उपखंड [जैसे उपखंड (ii), (iv), (vi) और (vii)] के तहत एक से अधिक सेवाएँ प्रदान करने वाली व्यावसायिक संस्थाएं हो सकती हैं। खंड (iii) में संयुग्म "और" का उपयोग

इसलिए, कहना है और परिणामस्वरूप, शाब्दिक व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए, इस पहलू पर के. एम. जोसेफ, जे. के निर्णय से असहमति है। [पारस 19-22] [543-G-H; 544-A-H; 545-A-E]

2. इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि निर्विवाद रूप से संसद को श्रेय की प्रकृति के पूर्ण ज्ञान के साथ श्रेय दिया जाना चाहिए। कार्ड व्यवसाय मॉडल, जहां संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य जीएसटी आयोग और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

सेवा प्रदान करने वाला, कार्ड धारक और माल प्रदाता के बीच अंतर्निहित लेनदेन के लिए भुगतान सुनिश्चित करने के लिए है। या सेवाएँ। संसद को यह भी पता होगा कि तीन व्यावसायिक संस्थाएं हैं जिनका संयुक्त या समवर्ती कार्य प्रत्येक क्रेडिट कार्ड लेनदेन के निपटारे के लिए आवश्यक है। तीन व्यावसायिक संस्थाएं जारी करने वाला बैंक, अधिग्रहण करने वाला बैंक और नेटवर्क हैं [जैसे कि वीजा, मास्टरकार्ड, या रुपे, आदि, जिन्हें धारा 65 (33ए) के तहत परिभाषा से बाहर रखा गया है]। ये महत्वपूर्ण कारक हैं और परिणामस्वरूप मेरी राय है कि "और" संयोजन को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ दिया जाना चाहिए।

विच्छेदित होने के बजाय संयुग्म रूप से। इसलिए, परिणाम यह है कि जब कोई व्यक्ति (यानी, जारी करने वाला बैंक), और एक अधिग्रहण करने वाला बैंक, किसी अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करते हैं,

कोई भी क्रेडिट कार्ड लेनदेन, वह सेवा, ऐसे व्यक्ति और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा, धारा 65 (33ए) के अनुसार "क्रेडिट कार्ड सेवा" के बराबर है। सेवा की एकीकृत प्रकृति, दूसरे के लिए (चाहे वह कार्ड धारक हो या व्यापारी, जो प्राथमिक लेनदेन में भागीदार हैं और इसलिए लाभार्थी हैं) का विषय है -

धारा 65 (33क) का उपखंड (iii)। मैं इस निष्कर्ष में उपखंड (iv), (vi) और (vii) में "या" शब्द के उपयोग में भी दृढ़ हूं जो दूसरे को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परिभाषित करता है।

व्यावसायिक संस्था या सेवा प्रदाता, न कि ग्राहक। [पैरा 23] [545-एफ-एच; 546-ए-बी]

3. न्यायमूर्ति जोसेफ ने अपने फैसले में, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि "कानूनी रूप से वे हैं", विचाराधीन संविदात्मक व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हैं।

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति के रूप में अलग-अलग सेवाएं बैंक के अधिग्रहण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग हैं। मेरी राय में, संविदात्मक संबंध का अस्तित्व या अन्यथा अपने आप में निर्धारक नहीं है जब भुगतान का समझौता किया जाता है।

जारीकर्ता बैंक के साथ संविदात्मक संबंध। न तो व्यापारी प्रतिष्ठान और न ही कार्ड धारक के पास कोई पूर्व-अस्तित्व है। नेटवर्क प्रदाता के साथ संबंध जिसकी भूमिका को परिभाषा खंड से बाहर रखा गया है। नेटवर्क सेवा प्रदाता (वीजा, [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मास्टर कार्ड, रुपे, आदि) वास्तव में लेन-देन को पूरा करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। नेटवर्क की प्रकृति

डेटाबेस, इसके द्वारा प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर और पूरा प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड प्रणाली का पूरा आधार बनाता है, जिससे सुचारू रूप से काम किया जा सकता है। प्राथमिक लेन-देन का नकद रहित निपटान-कार्ड धारक द्वारा व्यापारी से सेवा या सामान की खरीद। धारा 65 (33ए) के साथ-साथ धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) का पूरा ध्यान जो क्रेडिट कार्ड सेवा के संबंध में कर योग्य सेवा को संदर्भित करता है।

-

किसी भी लेन-देन का निपटान है। इसे एक स्वाइप द्वारा एक से अधिक लेनदेन के निपटान के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि संसद का इरादा था कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए लेनदेन एक पूरे लेनदेन को दो भागों में विभाजित करने की अनुमति देता है-एक जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया गया और दूसरा अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा, तो वह उस इरादे को उचित रूप से स्पष्ट करती, जैसे कि उदाहरण के लिए, "जैसा भी मामला हो" जैसे शब्दों का उपयोग करके। इस तरह के स्पष्ट इरादे की अनुपस्थिति

एक ओर धारा 65 (33ए) और धारा 65 (33ए) (iii) में "और" संयोजन का उपयोग स्पष्ट रूप से इस इरादे को प्रकट करता है कि जारीकर्ता बैंक (एक "व्यक्ति") और एक अधिग्रहण बैंक संयुक्त रूप से सेवा प्रदान करते हैं, दूसरी ओर मुझे यह मानने के लिए राजी करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़े एक ही लेनदेन का विच्छेदन अनुचित है। इसलिए, सम्मान के साथ, मैं जोसेफ, जे के विचार से सहमत नहीं हूं कि संसद इस बात पर विचार किया गया कि अधिग्रहण करने वाले बैंक के अलावा, जारी करने वाले बैंक सहित कोई अन्य व्यक्ति एक अलग सेवा प्रदान कर सकता है। समान रूप से, यह तर्क कि एक बैंक की गतिविधियाँ-जो समान हो सकती हैं

एक जो कार्ड जारी करता है और एक लेनदेन में एक अधिग्रहण बैंक भी है-कानूनी रूप से अलग सेवाएं हैं क्योंकि सेवा की प्रकृति

(उनके संबंधित संविदात्मक ढांचे के आधार पर) जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा से अलग है, इस संबंध में, सटीक नहीं होगा। इसी तरह, मैं न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हूं (यानी कि विनिमय शुल्क जारी करने वाले बैंक और कार्ड धारक के बीच विचार की गई सेवा के अंतर्गत नहीं आता है)। और (ii) यह कोई उपहार नहीं है) कि विनिमय शुल्क भी एक अलग सेवा क्यों है। धारा 65 (33ए) (iii) के तहत जारीकर्ता बैंक द्वारा "सेवा" और अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा सेवा के घटकों को अलग करने में कई समस्याएं हैं; उन्हें निम्नानुसार विस्तृत किया गया है:

एस. एस. आई. एन. आर. ओ. जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए

जारीकर्ता बैंक के घटक को अलग करने की स्थिति में, सेवा तत्व अब क्रेडिट कार्ड सेवा नहीं होगा, बल्कि शुद्ध अग्रिम प्रदान करेगा या जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक को एक प्रकार का ऋण जो तब बैंकिंग के व्यापक विवरण के अंतर्गत आता है

और वित्तीय सेवाएँ [धारा 65 (12)]। अलगाव की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देगा

व्यावसायिक लेन-देन जो एक एकल का संग्रह है

एम. डी. आर. जिसमें दो घटक शामिल हैं अर्थात

बैंक का शुल्क प्राप्त करना, और जारीकर्ता बैंक का शुल्क/शुल्क। राजस्व स्वीकार करता है कि एम. डी. आर. में ये दोनों शुल्क शामिल हैं। इन परिस्थितियों में उस घटक के साथ भेदभाव करने का कोई वारंट नहीं है जो

जारीकर्ता बैंक द्वारा विनिमय शुल्क के रूप में यह कहते हुए रखा जाता है कि जारीकर्ता बैंक को अपने शुल्क के एक अलग तत्व के रूप में उस पर सेवा कर का भुगतान करना पड़ता है। दूसरी विसंगति यह होगी कि कार्ड एसोसिएशन द्वारा प्रदान की जाने वाली डेटा सेवा (सॉफ्टवेयर के उपयोग को सक्षम करना जो ग्राहक की साख के तत्काल सत्यापन, लेनदेन के प्रमाणीकरण और भुगतान के प्राधिकरण की सुविधा प्रदान करता है) को एक अलग उपचार से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अब कार्ड एसोसिएशन में जोर दिया गया है।

जारीकर्ता के साथ अलग किए गए लेनदेन का मामला

बैंक।

मुख्य रूप से केवल दो अनुबंध हैं व्यवस्थाएँ (जैसा कि कार्ड संघ द्वारा की गई हैं)

जिसमें एक साथ बातचीत शामिल होती है या

चार उप-लेन-देनों की क्रमिक घटना, अर्थात (i) व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड धारक द्वारा कार्ड की स्वाइपिंग (जिसमें कोई पूर्व-मौजूदा संविदात्मक समझौता शामिल नहीं है, लेकिन अनुबंध के वादे को अंतिम रूप देने का प्रमाण है); (ii) अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी को जारी किए जाने के बाद विचार की स्थापना (जो एक पूर्व-मौजूदा संविदात्मक समझौते द्वारा समर्थित है जिसके द्वारा

स्थापना); (iii) का प्रमाणीकरण जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक का ऋण (जिसका अधिग्रहण करने वाले बैंक या व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन केवल कार्ड धारक के साथ ऐसा करता है); और (iv)

कार्ड एसोसिएशन (जिसका कोई अनुबंध नहीं है)

कार्ड धारक या व्यापारी के साथ संबंध

स्थापना, लेकिन ऐसा केवल अधिग्रहण के साथ करता है

बैंक और जारी करने वाला बैंक)।

यदि ये विभिन्न चरण/अंग/घटक हैं

((घ)

लेन-देनों का, जैसा कि विभिन्न रूप से वर्णित किया जा सकता है, जिसमें कुछ पूर्व-मौजूदा संविदात्मक समझौतों द्वारा समर्थित हैं, जबकि अन्य नहीं हैं-ऐसी किसी एक सेवा से अलग, यानी लेन-देन के प्रमाणीकरण द्वारा कार्डधारक को प्रदान किया गया क्रेडिट।

जारीकर्ता बैंक द्वारा, इस बात पर जोर देकर कि इसे एक बार फिर उपखंड (33ए) और (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के शाब्दिक निर्माण पर शुल्क के अधीन किया जाना चाहिए, अलग व्यवहार के लिए, तर्कसंगत नहीं होगा। अगर आमदनी होती

तथ्य इस बात पर जोर देता है कि यह सही व्याख्या है,

तार्किक रूप से और एक ही सांस में, इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि अधिग्रहण करने वाला बैंक प्राप्त होने वाली राशि और एकत्र की जाने वाली राशि के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल करे और

नेटवर्क में उसी तरीके से संचारित होता है

अलग से, जैसा कि संबंध में जोर दिया जाता है

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का घटक, जो इस मामले में प्रदान की जाने वाली पूरी सेवा का एक हिस्सा है। [पारस 25,26] [548-डी-एच; 549-ए-एच;

550 - ए-एच; 551-ए-बी]

4. मैं न्यायमूर्ति जोसेफ के इस तर्क से सहमत हूं कि

जारीकर्ता बैंक द्वारा अंतर-विनिमय आय या शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ब्याज के लिए नहीं है। हालाँकि, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, मैं इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ कि जारीकर्ता बैंक एक अलग सेवा प्रदान करता है। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली सेवा में जारीकर्ता बैंक की भूमिका धारा 65 (33ए) के खंड (iii) के तहत आने वाली एकल एकीकृत सेवा का हिस्सा है और इसे इसके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और वर्गीकरण के लिए अलग सेवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

यह जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद का एक अच्छा आयोग है। मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

वर्गीकरण का स्वीकृत सिद्धांत। वास्तव में, अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी को एक एकीकृत सेवा प्रदान की जाती है। स्थापना जिसके लिए विचार का सकल मूल्य है

व्यापारी छूट दर (MDR)। इस एकल एम. डी. आर. में विनिमय शुल्क शामिल है। इसलिए, जारीकर्ता बैंक की सेवा है

जारीकर्ता बैंक को अंतर-परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना। [पैरा 27] [551-बी-सी, ई-एफ] 5. वर्तमान मामले के तथ्य, मेरी राय में, सी. बी. ई. सी. द्वारा परिकल्पित स्थिति को बारीकी से दर्शाते हैं। द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा

व्यापारी प्रतिष्ठान में क्रेडिट कार्ड लेनदेन में जारीकर्ता बैंक इसलिए सेवा कर के अधीन नहीं है क्योंकि यह है अधिग्रहण बैंक द्वारा सेवा में निगमित-व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली एक सेवा के रूप में और सकल

अधिग्रहण बैंक द्वारा प्राप्त प्रतिफल (एम. डी. आर.) में शामिल हैं -

अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा जारीकर्ता बैंक के साथ साझा किया गया विनिमय शुल्क। यह जी. टी. ए. सेवा में स्थिति के समान है जिसे बोर्ड द्वारा उपरोक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया था। इस दृष्टिकोण का समर्थन नई अधिनियमित धारा 66एफ (3) (बी) द्वारा भी किया जाता है जो 1 जुलाई 2012 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि

सेवाओं को एकल सेवा के प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए। सी. बी. ई. सी. के परिपत्र राजस्व पर बाध्यकारी हैं। इसलिए, जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित विनिमय शुल्क जो व्यापारी को अधिग्रहण करने वाले बैंक की सेवा का एक अभिन्न अंग है [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिष्ठान, सेवा कर के अधीन नहीं किया जा सकता है। एक क्रेडिट कार्ड लेनदेन-एक लेनदेन के भुगतान के निपटान की दिशा में, कुल मिलाकर, एक अविनाशी एकीकृत सेवा है, जिसके घटक भाग एक दूसरे से अविभाज्य हैं। उल्लिखित कारणों के लिए

ऊपर, जोसेफ के साथ असहमति है, जे का तर्क है कि सिटीबैंक को स्वतंत्र रूप से रिटर्न दाखिल करना था, के संबंध में लेन-देन जिसके द्वारा विनिमय शुल्क एकत्र किया गया था। [पैरा 29,30] [554-डी-एच; 555-ए-बी]

6. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शुल्क (धारा 66 के तहत) "निर्दिष्ट कर योग्य सेवा के मूल्य पर है।

विधि जो विहित की जाए "। मूल्यांकन के संदर्भ में है

धारा 67 और धारा 68 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि किसे सेवा कर का भुगतान करना है। धारा 67 (1) अधिनियमित करती है कि लगाए गए कर का माप, सेवा के लिए भुगतान किए गए विचार पर होगा, और तीन आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करता है। धारा 67 (2) में कहा गया है कि जहां सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ली गई सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, कर योग्य सेवा का मूल्य

ऐसी राशि होगी जो देय कर के अतिरिक्त के बराबर हो। प्रभारित सकल राशि तक "। धारा 67 (3) में कहा गया है कि कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में कोई भी राशि शामिल होगी।

प्रावधान से पहले, दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त

ऐसी सेवा "। धारा 67 (4)-जो पिछली उप-धाराओं के अधीन है, यह अधिनियमित करती है कि "मूल्य का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।" सेवा कर (निर्धारण) कर लगाने के लिए सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य में सहायता करने के लिए राजस्व द्वारा मूल्य) नियम, 2006 बनाए गए थे। नियम 2 (डी) (आई) परिभाषित करता है कि सेवा प्रदाता क्या है। इसलिए धारा 67 और नियम 5 का सह-संयुक्त अध्ययन यह स्थापित करता है कि संपूर्ण का मूल्य

एक बार फिर कर का जाल। धारा 68, निस्संदेह, यह अधिनियमित करती है कि एक व्यक्ति कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले को धारा 66 बी में निर्धारित दर पर और नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से और नियमों के तहत निर्धारित किए गए विवरणी के अनुसार सेवा कर का भुगतान करना होगा।

हालाँकि, यह जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद आयोग नहीं है। मेसर्स सिटी बैंक एन. ए.

निर्धारक बिंदु-यह प्रभार का प्रावधान है, अर्थात धारा 65, जो सेवा के मूल्य पर शुल्क लगाने की बात करती है। इसलिए, मैं न्यायमूर्ति जोसेफ की इस राय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं कि "किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा।" जो इस तर्क पर आधारित है कि क्योंकि वे दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, वे प्रत्येक धारा 68 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए अलग-अलग उत्तरदायी हैं (कार्ड धारक और व्यापारी के बीच एक ही लेनदेन का निपटान करने के बावजूद)।

स्थापना)। [पारस 31-33] [555-C-F; 558-E-H]

7. वर्तमान मामले में, एम. डी. आर. इस प्रकार "सकल मूल्य" है; इसमें विनिमय शुल्क शामिल है। इन परिस्थितियों में, जब से

सेवा कर का संग्रह अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा किया जाता है, जो इसे राजस्व में भेजता है, इस आग्रह के साथ कि दोनों तत्वों को होना चाहिए अंतर-विनिमय शुल्क को दर्शाते हुए दाखिल किए गए अलग-अलग और अलग रिटर्न, कागजी कार्रवाई बढ़ाने और बैंकों और राजस्व अधिकारियों दोनों पर बोझ डालने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं।

अधिक काम करें। यदि यह कुल राशि है (जिसमें से विनिमय शुल्क एक हिस्सा है, और अधिग्रहण करने वाले बैंक की राशि, दूसरा हिस्सा है), तो शुल्क का भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, पूरे एम. डी. आर. (जिसमें विनिमय शुल्क शामिल है) को काटकर अलग किया जाता है।

व्याख्या, एक अलग समुच्चय की ओर ले जाएगी, जिसके तहत पूरे एम. डी. आर. पर सेवा कर लगाया जाता है और एक बार फिर, विनिमय शुल्क पर, जारीकर्ता बैंक अलग से सेवा कर एकत्र करता है, जिसके परिणामस्वरूप कर के लिए 14 प्रतिशत से अधिक राशि होती है। दोनों व्याख्याएँ, मेरी राय में, अलग-अलग शुल्कों का समर्थन नहीं कर सकती हैं, जो धारा 65 के विपरीत होगी। मैं 2000/- से कम के लेनदेन को सेवा के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना के सही निर्माण के बारे में भी जोसेफ, जे. से सहमत होने में असमर्थ हूं। कर। यह दर्शाता है कि विधायी इरादा/समझ केवल कुल राशि पर सेवा कर का भुगतान करने वाले अधिग्रहण करने वाले बैंक तक ही सीमित है। यदि यह अन्यथा था, तो छूट देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि अधिग्रहण करने वाला बैंक तब संग्रह कर रहा होगा (या, तदनुसार, जारी करने वाला बैंक होगा

कटौती) विनिमय शुल्क पर देय कर का अनुपात, [2021] 13 एस. सी. आर.

इसलिए मेरी राय है, जोसेफ, जे की राय है कि छूट द्वारा, जारीकर्ता बैंक इस आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकता है कि अधिग्रहण बैंक को छूट दी गई है, इसलिए, यह सही नहीं है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस पर कर लगाया जाता है, वह मूल्य है

लेन-देन और यह वह लेनदेन है जिसे छूट दी गई है, सेवा प्रदाता को नहीं। इसलिए, केवल 'अधिग्रहण बैंक' का स्पष्ट उपयोग इस बात का संकेत है कि संसद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन कैसे किए जाते हैं। [पारस 35,36] [561-ई-एच; 562-ए-बी, डी-जी]

8. इसलिए, के तर्क से सहमत नहीं है

जोसेफ, जे. ने कहा कि धारा 67 (1) (आई) के तहत "सेवा प्रदाता" का तात्पर्य है कि अधिग्रहण करने वाला बैंक और जारी करने वाला बैंक दोनों ही सेवा हैं।

अग्रिम या ऋण लेनदेन। हालांकि, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा का प्रावधान एक साथ, शुल्क को ट्रिगर करता है। दूसरे शब्दों में, जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा का घटक सिर्फ इतना है-एकल एकीकृत सेवा का एक हिस्सा, जिसे व्यावसायिक सुविधा के लिए इस तरह से संरचित किया गया है, कि जारीकर्ता बैंक 2 रखता है, और अधिग्रहण करने वाले बैंक के हाथों में समग्र सेवा पर कर का भुगतान किया जाता है। राजस्व में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड लेनदेन, विशेष रूप से जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच अंतर-लेन-देन किया जाता है, वह ऐसा है कि पहली बार में पूरी राशि जारी करने और बाद में विनिमय शुल्क का दावा करने के बजाय, जारीकर्ता बैंक विनिमय शुल्क के घटक को बरकरार रखता है।

[पैरा 37] [562-जी-एच; 563-ए-डी] जी. एस. टी. आयोग और केंद्रीय अपवाद v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए

9. स्पष्टता और पूर्णता के लिए, मैंने संक्षेप में कहा है

जोसेफ, जे. द्वारा अपने निर्णय (पैराग्राफ 109) में निकाले गए प्रत्येक निष्कर्ष के संबंध में मेरी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

((क) निष्कर्ष I: मैं सहमत हूँ कि प्रतिवादी

सिटीबैंक, जारीकर्ता बैंक के रूप में सेवा प्रदान कर रहा था, जैसा कि आयुक्त ने पाया। हालाँकि, यह सेवा लेनदेन के निपटारे की एकल एकीकृत सेवा का एक हिस्सा थी-जो अधिग्रहण करने वाले और जारी करने वाले बैंक दोनों द्वारा प्रदान की जाती है (जो कुछ परिस्थितियों में एक ही बैंक हो सकता है)।

(ख) निष्कर्ष II, III और IV: मैं सहमत हूँ

जे. जोसेफ ने कहा कि 01.07.2012 से पहले, जारी करने वाली बैंक की सेवा धारा 65 (33ए) (iii) के अंतर्गत आती थी; इंटरचेंज शुल्क को ब्याज के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सिटीबैंक ने तर्क दिया है; और अंत में यह मामला कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन, पैसे में लेनदेन है और इसलिए

धारा 65 बी (44) में "सेवा" की परिभाषा से बाहर रखा जाना अस्वीकार्य है।

(ग) निष्कर्ष VI: मैं सहमत हूँ कि खारिज करने की याचिका

केवल इस आधार पर अपील की जाती है कि ए. बी. एन. अमरो (ऊपर) में आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

((D) निष्कर्ष V, VII-X: सेवा कर निस्संदेह एक

मूल्य वर्धित कर। हालाँकि, सेवा को एक एकल एकीकृत सेवा के रूप में वर्णित किया गया है-जिसमें सेवा कर, व्यावसायिक सुविधा के माध्यम से, अधिग्रहण करने वाले बैंक से मूल्य (संपूर्ण एम. डी. आर. जिसमें जारी करने वाले बैंक द्वारा रखा गया विनिमय शुल्क शामिल है) पर एकत्र किया जाता है/प्रेषित किया जाता है, जो अधिग्रहण करने वाले और जारी करने वाले दोनों बैंक द्वारा प्रदान की गई एकल सेवा के लिए कर योग्य है।

-

सिटीबैंक को फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोहरा कर लगेगा। अपनी पिछली चर्चा को देखते हुए, मैं एबीएन अमरो (उपरोक्त) के तर्क से सहमत नहीं हूं।

इन्हीं कारणों से, मेरी राय है कि प्रश्न

न्यायाधिकरण को रिमांड की बात नहीं आती है। विवाद का एकमात्र बिंदु यह प्रतीत होता है कि क्या वे भुगतान को प्रतिबिंबित कर रहे थे

बैंक को जारी करने और अधिग्रहण करने के रूप में उनके खाते में अलग से सेवा कर का। हालाँकि, पहले से ही विस्तृत कारणों के परिणामस्वरूप, इसे विशुद्ध रूप से एक अकादमिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक सवाल

विवरणी इस न्यायालय को बाधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक वास्तविकता [2021] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह है कि प्रत्येक बैंक एक जारीकर्ता और एक अधिग्रहणकर्ता बैंक दोनों है और यह किसी का मामला नहीं है कि बैंक सेवा कर पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। [पैरा 38] [563-ई-एच; 564-ए-डी]

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1997) 5 एससीसी

536 [1996] 10 पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 585 आया। गोविंद सरन गंगा सरन बनाम। बिक्री आयुक्त

कर 1985 एस. सी. सी. 205; एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड

वित्तीय सेवा कंपनियाँ v. भारत संघ (2011) 2 एससीसी 352: [2010] 13 एस. सी. आर. 381; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य। वी. सीएसटी, मुंबई आई एंड ओआरएस। 2015 [40]

S.T.R.104 (त्रि. डेल); एबीएन एमरो बैंक बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 2011 (187) ईसीआर 181 (ट्राई। दिल्ली); रॉयल

बैंक ऑफ स्कॉटलैंड) v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

2018 टीआईओएल 2018 सीईएसटीएटी। ; हैदराबाद एस्बेस्टस

सीमेंट उत्पाद और एएनआर। वी. भारत संघ (2000) 1 एससीसी

426 [1999] 5 पूरक। एससीआर 155; ग्रीन बनाम प्रीमियर

ग्लाइनरहॉन्वी स्लेट कं. (1928) 1 KB 561; आर बनाम ऑक्सफोर्डशायर

काउंटी परिषद और अन्य, पूर्व पक्ष सन्निंगवेल

पैरिश काउंसिल 1999 (3) ऑल ई. आर. 385; सहारा इंडिया

(फर्म), लखनऊ बनाम। आयकर आयुक्त, केंद्रीय और अन्य (2008) 14 एस. सी. सी. 1519; भारत संघ बनाम। इंटर महाद्वीपीय सलाहकार और टेक्नोक्रेट (2018) 4 एससीसी

669 [2018] 10 एस. सी. आर. 309; सेवा आयुक्त

कर और अन्य। वी. भयाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस (2018) 3 एससीसी 782; कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (1995) 6 एस. सी. सी. 117; मेसर्स यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2013) 9 एससीसी

753 [2013] 3 एस. सी. आर. 27 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

पीछा किया।

पैरा 7

[2010] 13 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[1999] 5 पूरक। एससीआर 155

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[2018] 10 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[2013] 3 एससीआर 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 38 जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 8228

2019 से। 2017-डी. बी. की अपील No.ST/40923 में माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के दिनांक <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 89।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., श्री कुमार सी. एन., सीनियर एड. , जोहेब हुसैन, रुपेश कुमार, अनमोल चंदन, मुकेश कुमार मारोरिया, बीवी बलराम

दास, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुमार विशालक्ष, निशांत शाह, उदित जैन, सुश्री श्वेता राजन, अर्चित गुप्ता, सुश्री संयुक्ता श्रीनिवासन,

महफूज़ अहसान नाज़की, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. इन अपीलों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल (1) (बी) के तहत रखा जाता है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 83 के साथ पढ़ा जाता है। वित्त अधिनियम, 1994। उन्हें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई (इसके बाद संक्षेप में 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांकित 16.11.2018 और 20.11.2019 आदेशों के खिलाफ निर्देशित किया जाता है।

प्रत्यर्थी/बैंक, जो उसके द्वारा प्राप्त "विनिमय शुल्क" की राशि पर सेवा कर, जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 3. उत्तरदाता एक बैंक है। यह सेवा कर आयुक्तालय चेन्नई में "बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं, व्यवसाय सहायक सेवाओं, शुल्क कार्ड और अन्य कार्ड भुगतान सेवाओं, श्रमशक्ति भर्ती या आपूर्ति सेवाओं, अन्य सेवाओं के बीच" श्रेणी के तहत पंजीकृत है। सेवा कर समूह का आंतरिक लेखापरीक्षा

आयुक्तालय, चेन्नई ने पाया कि यह विनिमय शुल्क प्राप्त कर रहा था,

जो ग्राहक को बिल की गई सकल राशि का हिस्सा था। प्रत्यर्थी को कारण दिखाएँ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उसे यह दिखाने के लिए कहा गया था कि उसे विनिमय शुल्क पर सेवा कर के साथ क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। जुर्माना और ब्याज के अलावा। नोटिसों में 01.07.2012 से पहले और उसके बाद की अवधि शामिल थी। प्रत्यर्थी ने [2021] 13 एस. सी. आर. को अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया।

यह इंगित किया गया कि यदि प्रत्यर्थी को फिर से सेवा कर के साथ भेजा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा क्योंकि यह दोहरे कराधान के बराबर होगा। यह प्रत्यर्थी की इन दलीलों को खारिज कर रहा था कि प्राचार्य आयुक्त ने पाया कि प्रत्यर्थी ने सेवाओं का प्रदर्शन किया और इसलिए, उसने विनिमय शुल्क अर्जित किया। यह आगे पाया गया है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने उस राशि पर कर का भुगतान किया था जो प्रतिवादी द्वारा विनिमय शुल्क के रूप में अर्जित की गई थी। इंटरचेंज शुल्क के ब्याज होने और 'पैसे में लेनदेन' के मामले को खारिज कर दिया गया था।

4. दूसरी ओर, न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश द्वारा अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर निर्भरता रखने का इरादा किया है।

मेसर्स एबीएन एमरो बैंक बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त दिनांक 23.07.2018 और पाया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रधान आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

5. अपीलार्थी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार को सुना गया। प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले वकील।

6. सेवा कर की शुरुआत वित्त अधिनियम, 1994 के पारित होने के साथ हुई थी, जिसमें केवल तीन कर योग्य सेवाएं थीं। इन वर्षों में, विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा बड़ी संख्या में कर योग्य सेवाओं को जोड़ा गया। इससे पहले कि मैं विचाराधीन कर योग्य सेवा का उल्लेख करूं, मुझे वैधानिक ढांचे पर ध्यान देना चाहिए।

सेवा कर के लिए सांख्यिकीय ढांचा

7. भारत में सेवा कर की वैधानिक रूपरेखा का पता वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद) के अध्याय V और अध्याय V से लगाया जा सकता है।

संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। धारा 64 (3) में प्रावधान किया गया है कि अध्याय 5, प्रारंभ पर या उसके बाद प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं पर लागू होगा।

अध्याय से। नियत दिन 01.07.1994 है। धारा 65 परिभाषा खंड है। धारा 65, वित्त अधिनियम, 2003 डब्ल्यू. ई. एफ. 14.05.2003 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित परिभाषाओं का प्रावधान करती है, जिन्हें मैं देख सकता हूं। धारा 65 (7) "निर्धारिती" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है।

जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

8. धारा 65 (105) "कर योग्य सेवा" को परिभाषित करती है। क्रेडिट कार्ड सेवाएँ

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के एक हिस्से के रूप में कर लगाया गया था। इसे धारा 65 (10) के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 16.07.2001 पेश किया गया था। इसकी शुरुआत पर डब्ल्यू. ई. एफ. 16.7.2007, धारा 65 (12) ने बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं (संक्षेप में बी. ओ. एफ. एस.) को क्रेडिट सेवाओं सहित परिभाषित किया।

9. इस प्रावधान में कुछ संशोधन किए गए थे, जो हैं -

वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सेवाएं बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के हिस्से के रूप में जारी रहीं।

विषाणु द्वारा प्रयुक्त नई व्यवस्था

वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 65 (33 ए) का परिचय।

10. वित्त अधिनियम, 2006 के आधार पर, क्रेडिट कार्ड सेवा

धारा 65 (12) की परिभाषा से हटा दिया गया, जो वह प्रावधान था जो बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं को परिभाषित करता था। से प्रभावी 01.05.2006 , धारा 65 (33 ए) अंतःस्थापित की गई और यह इस प्रकार है:

" 65 (33 क) "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य

भु

गतान

कार्ड सेवा में प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा शामिल है,

वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति (इसके बाद के रूप में संदर्भित) जारीकर्ता बैंक), कार्ड धारक को ऐसा कार्ड जारी करना;

आवेदन की प्राप्ति और प्रसंस्करण, हस्तांतरण सहित व्यवसाय जारीकर्ता बैंक की वैयक्तिकरण एजेंसी को डेटा को उभारे जाने का,

स्वचालित टेलर मशीन व्यक्तिगत पहचान संख्या पीढ़ी,

कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन, पते में परिवर्तन, वृद्धि ऋण सीमा, भुगतान अद्यतन और विवरण सृजन;

((ग) जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहणकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा

बैंक, किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को

इस तरह के कार्ड के माध्यम से लेनदेन किया गया। स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अर्जन करना"

"बैंक" का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान जिसमें

ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान; ((iv) संयुक्त प्रचार कार्ड या एफ़िनिटी कार्ड या कंपनी के संबंध में

ब्रांडेड कार्ड; [2021] 13

एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(v) वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और विपणन के संबंध में

इस तरह के कार्ड के माध्यम से; (vi) किसी व्यक्ति द्वारा, किसी जारीकर्ता बैंक या ऐसे कार्ड धारक को,

ऐसे व्यक्ति की स्वचालित टेलर मशीनों का उपयोग करना; और

ट्रेडमार्क या ब्रांड के उपयोग के लिए एक समझौते के तहत बैंक ऐसे कार्ड के संबंध में नाम और अन्य सेवाएँ, चाहे

ऐसा मालिक एक क्लब या संघ है और जारी करने वाला बैंक एक सदस्य है।

ऐसे क्लब या संघ का।

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, एक जारी करने वाला

बैंक और ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के मालिक के साथ व्यवहार किया जाएगा।

अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में;

[अधिनियम की धारा 65 (33ए)]

11. फिर भी, मैं यह भी देख सकता हूं कि धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) का उल्लेख करता है -

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा,

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या किसी अन्य भुगतान के लिए

सेवा, किसी भी तरह से, कर योग्य सेवा के रूप में।

12. 01.07.2012 तक, अधिनियम की धारा 66 आरोप अनुभाग थी।

डी. एस. निम्नानुसार है:

" 66. सेवा कर का प्रभार-एक कर लगाया जाएगा (इसके बाद)

सेवा कर के रूप में संदर्भित) बारह प्रतिशत की दर से। से

उपखंड (क), (घ) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं का मूल्य,

(ई), (एफ), (जी) (एच), (आई), (जे), (के), (1), (एम), (एन), (ओ), (पी), (क्यू), (आर), (एस), (टी), (यू), (वी), (डब्ल्यू), (एक्स), (वाई), (जेड), (जेड), (जेडबी), (जेडसी), (जेडएच), (जी), (जेडजे), (जेडके), (जेडएल), (जेडएम), (जेडएन), (जो), (जेडक्यू), (जेडआर), (जेडएस),

(zz), (zza), (zzb), (zzc), (zzd), (zze), (zzf), (zzg), (zz), (zz), (zz), (zzk),

(zzl), (zzm), (zzn), (zzo), (zzp), (zzq), (zzr), (zzs), (zzt), (zzu), (zzv),

(zzw), (zzx), (zzy), (zzz), (zzza), (zzab), (zac), (zzad), (zzze), (zzzf),

(zzzg,) (zzzh), (zzzi), (zzzj), (zzzk), (zzz3), (zzzm), (zzzn), (zzzo),

(zzzp), (zzzq), (zzzr), (zzzs), (zzzt), (zzzu)। (zzzv), (zzzw), (zzzx), (ज़ज़ी),

(ज़ज़ज़

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है "। जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान इसके साथ लागू नहीं होंगे

केंद्र सरकार द्वारा, ऐसी तारीख से प्रभावी

अधिसूचना, नियुक्त करें "।

13. 01.07.2012 के प्रभाव से, धारा 66B को इस रूप में जोड़ा गया था

जिंग सेक्शन और यह इस प्रकार है:

" 66 बी. वित्त अधिनियम, 2012 पर और उसके बाद सेवा कर का प्रभार।

चौदह प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसके बाद सेवा कर कहा जाएगा) लगाया जाएगा। नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं के मूल्य पर, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं या प्रदान करने के लिए सहमत होती हैं और इस तरह से एकत्र की जाती हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं।

सेवा को धारा 65 बी (44) में परिभाषित किया गया है। नकारात्मक सूची

धारा 66 डी में जंजीर।

14. मैंने इन प्रावधानों को विवादित आदेश के रूप में संदर्भित किया है।

धारा 66 और 66 ख द्वारा अपनाई गई अवधियाँ।

15. धारा 67 को ध्यान में रखने के लिए अगला प्रावधान। धारा 67 शुल्क लगाने के लिए कर योग्य सेवा के मूल्यांकन के साथ। वह इस प्रकार है:

" 67. सेवा कर वसूलने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन।

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य सेवा कर - (i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में विचार के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि होगी।

ऐसी सेवा के लिए जो उसके द्वारा प्रदान की जाए या प्रदान की जाए; ((ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से धन शामिल नहीं है, ऐसी राशि जो धन में हो, सेवा कर के अतिरिक्त शुल्क के बराबर है।

विचार करना;

((ग) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, वह राशि निर्धारित की जा सकती है।

निर्धारित तरीके से।

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर के अतिरिक्त, ली जाने वाली सकल राशि के बराबर हो।

कर योग्य सेवा के लिए इससे पहले, उसके दौरान प्राप्त कोई राशि या ऐसी सेवा के प्रावधान के बाद।

(3) कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में शामिल होंगे - कर योग्य सेवा के लिए इससे पहले, उसके दौरान प्राप्त कोई राशि

या ऐसी सेवा के प्रावधान के बाद। (4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मूल्य का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

16. धारा 68 भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से संबंधित है

सीई कर और यह इस प्रकार है:

" 68. सेवा कर का भुगतान। -

(1) किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति

इस तरह से धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करें।

सरकारी राजपत्र में सरकार, उस पर सेवा कर ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से भुगतान किया जाए जो विहित की जाए।

धारा 66 में विनिर्दिष्ट दर और इसके सभी प्रावधानों पर

अध्याय ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जैसे कि वह उत्तरदायी व्यक्ति हो।

ऐसी सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करना। " बशर्ते कि केंद्र सरकार सेवा को अधिसूचित कर सकती है

और सेवा कर की सीमा जो ऐसे द्वारा देय होगी

व्यक्ति और इस अध्याय के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

इस प्रकार निर्दिष्ट सीमा तक और सेवा का शेष भाग

सेवा प्रदाता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा।

17. धारा 69 पंजीकरण से संबंधित है। वह इस प्रकार है:

" 69. पंजीकरण करें। — (1) सेवा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति

इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर,

ऐसे समय में और इस तरह से और ऐसे रूप में जो हो सके निर्धारित, पंजीकरण के लिए आवेदन करें

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा

राजपत्र में ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट किया गया है, जो जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग के आयुक्त होंगे।

उस समय के भीतर और उस तरीके से और उस रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करें जो निर्धारित किया जाए।

18. सेवा कर नियम 1994 में सुसंगत नियम नियम 4 है।

19. धारा 70 वापसी प्रस्तुत करने से संबंधित है और यह इस प्रकार है:

" 70. रिटर्न प्रस्तुत करना। — (1) सेवा कर का भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सेवाओं पर देय कर का आकलन करेगा।

उसके द्वारा उपबंधित और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से और ऐसी आवृत्ति पर और ऐसे विलंब शुल्क के साथ, जो बीस हजार रुपये से अधिक न हो, वापसी प्रस्तुत करने में देरी के लिए, जो निर्धारित किया जाए, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग धारा 69, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को ऐसे रूप में और इस तरह से और इस तरह की आवृत्ति पर एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। ”

20. नियमों के नियम 7 वापसी से संबंधित हैं। जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ।

01.07.2012 से पहले की अवधि के लिए उल्लिखित, अधिनियम ने कर योग्य सेवाओं के मूल्य के उल्लिखित मूल्य पर सेवा कर लगाया, जिन्हें इसके तहत संदर्भित किया गया था (विभिन्न प्रावधानों में गणना की गई थी)

धारा 65 खंड 105) जिसमें धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) शामिल है, जो इस प्रकार है:

" (105) " कर योग्य सेवा का अर्थ है प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा।

प्रदान किया गया -

( ) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऋण के संबंध में

कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा, किसी भी तरह से;

21. आवश्यक रूप से, इसे धारा 65 (33 ए) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे मैंने स्वीकार किया है। यह 01.07.2012 तक सेवा कर की योजना बनी रही। 01.07.2012 के बाद की अवधि के लिए, एक प्रतिमान बदलाव है क्योंकि धारा 66B ने शुल्क अनुभाग के रूप में पदभार संभाला और इसके तहत जो प्रासंगिक है वह यह पता लगाना है कि क्या कोई सेवा है और क्या कोई सेवा है कि क्या यह नकारात्मक सूची में शामिल है। यदि सेवा है और इसे नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया गया है और सेवा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमत होती है तो धारा 66 बी के तहत शुल्क लिया जाता है। संग्रह की विधि नियमों में दिए गए तरीके से की जाती है। धारा 66 बी (44) में सेवा को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (44) " "सेवा" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार के लिए की गई कोई गतिविधि, और इसमें एक घोषित सेवा शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगी

(क) एक ऐसी गतिविधि जो केवल -

((i) माल या अचल संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण, बिक्री, उपहार या किसी अन्य तरीके से; या
((ख) किसी भी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति जिसे संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29क) के अर्थ के भीतर बिक्री माना जाता है; या

((ग) धन में लेन-देन या कार्रवाई योग्य दावा;

(ख) एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के दौरान या उसके संबंध में सेवा का प्रावधान; (ग) किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में ली गई फीस।

उस समय के लिए जो लागू है "।

मानक में न्यायाधिकरण का निर्णय

चार्टर्ड बैंक और ओ. आर. एस. वी. सी. एस. टी., मुंबई-I और अन्य।

22. उक्त निर्णय 2015 [40] एस. टी. आर. 104 (त्रि. - डेल)। न्यायाधिकरण की एक बड़ी पीठ (तीन सदस्य) ने इस बात पर विचार किया कि क्या धारा के तहत क्रेडिट कार्ड सेवाओं की नई परिभाषा

65 (33क) धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित, मूल था या यह धारा 65 (10) या धारा 65 (12) के तहत लेवी की निरंतरता थी। इसने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या धारा 65 (33ए) के तहत प्रावधान 16.07.2001 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे।

" 27. प्रासंगिक प्रावधानों के शाब्दिक निर्माण पर यह प्रतीत होता है सबसे पहले यह कहना कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में बैंकिंग कंपनी आदि द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा एक कर योग्य सेवा है। इस निर्माण की स्वीकृति से कर योग्य घटना का अनंत विस्तार होगा। जारीकर्ता बैंक द्वारा अपने कार्ड धारक को प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाएँ न केवल इस सेवा के दायरे में आती हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण जैसी सेवाएं भी इस सेवा के दायरे में आती हैं।

1 2015 [40] एस. टी. आर. 104 (त्रि. - डेल)

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

जारीकर्ता बैंक की वैयक्तिकरण एजेंसी; टेलर मशीन व्यक्तिगत पहचान संख्या सृजन; एक का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन

क्रेडिट कार्ड; पते में परिवर्तन; भुगतान अद्यतन और विवरण

सृजन; क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि का निपटान;

ट्रेडमार्क या बैंक नाम के मालिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के उपयोग के लिए एक जारीकर्ता बैंक; और

अन्य सेवाओं का समूह जो अनुक्रम में विभाजित हैं क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर होने वाले सभी लेनदेन होंगे

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। ये हैं सेवाएँ

उपखंड (ii), (iii), (vi) और (vii) में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। धारा 65 (33ए), डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006। राजस्व की व्याख्या पर,

इन सेवाओं को क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल किया जाता है।

वाक्यांश के "संबंध में"। जहाँ कहीं भी एक जारीकर्ता बैंक के पित्ती क्रेडिट कार्ड संचालन के संबंध में इसकी कुछ गतिविधियाँ, जैसे

ये सेवाएं एक बाहरी एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं, ये फिर भी बी. ओ. एफ. एस. के दायरे में आते हैं, हालांकि वैधानिक रूप से नहीं।

अतः व्याख्या से इस सिद्धांत पर बचना चाहिए कि - संदिग्ध और अस्पष्ट कराधान और असंबद्ध विनिर्देश

राजकोषीय विधान में कर योग्य घटना।

XXX

XXX

XXX

क्रेडिट कार्ड के दायरे को स्पष्ट करने के लिए कार्यकारी मार्गदर्शन जारी किया गया वित्त विधेयक, 2001 में प्रस्तावित सेवाओं ने पहुंच को स्पष्ट रूप से समझाया

सेवाओं के रूप में इस प्रावधान के जिसके द्वारा ऋण सुविधा प्रदान की जाती है

बैंक; और परिपत्र में किसी अन्य सेवा का उल्लेख नहीं है। द.

अधिनियम ने इसकी प्रकृति और विविधता को स्पष्ट रूप से भी परिभाषित नहीं किया है।

सेवाएँ जो क्रेडिट कार्ड सेवाओं के बराबर होती हैं। आदेशों से कई आयुक्तालयों में पारित यह स्पष्ट है कि काफी कुछ में

तथ्य यह है कि कई न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों ने इसके दायरे पर विचार किया था

या वित्तीय संस्थान जिनके लिए प्रकृति में विचार इंटरचेंज शुल्क या एम. ई. छूट [2021] 13 एस. सी. आर. प्रदान करके प्राप्त/बरकरार रखी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैंक। एबीएन एमरो बैंक/रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक सभी ने इस दायरे पर विचार किया था।

क्रेडिट कार्ड सेवाओं का विस्तार उन गतिविधियों तक नहीं है जिन पर विनिमय शुल्क या एम. ई. छूट प्राप्त होती है। यह अकल्पनीय है

और यह मानने के लिए तार्किक निष्कर्ष की सीमाओं पर दबाव डालेंगे कि इन सभी बैंकों ने कर से बचने के लिए जानबूझकर क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे का गलत अर्थ निकाला है।

उपरोक्त कारणों से भी हम इस व्याख्या के लिए मजबूर हैं कि सेवाओं का दायरा इसके दायरे में आता है - क्रेडिट कार्ड सेवाएँ, प्रासंगिक अवधि के दौरान अधिनियम के गणनात्मक प्रावधान में "के संबंध में" वाक्यांश के बावजूद, अस्पष्ट, अनिश्चित थीं और उद्देश्यपूर्ण, गतिशील और तनावपूर्ण व्याख्या को आमंत्रित करती थीं।

65 (33क) कार्ड सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के दायरे के बारे में अस्पष्टता और अनिश्चितता को दूर करता है। सर्कुलर दिनांकित 28.02.2006 वित्त विधेयक, 2006 द्वारा शुरू की गई सेवाओं के दायरे की व्याख्या करने के लिए वित्त मंत्रालय के टी. आर. यू. द्वारा जारी किया गया (पैरा 3,19 में) निम्नानुसार स्पष्ट करता है:

3.19 . क्रेडिट कार्ड से संबंधित सेवाएं: क्रेडिट कार्ड

वर्तमान में बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के तहत सेवाओं पर कर लगाया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के संबंध में या उनके संबंध में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर व्यापक रूप से कर लगाने का प्रस्ताव है।

किसी भी तरह से चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड। ऐसी सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विशेष रूप से "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शुल्क" की परिभाषा के तहत उल्लेख किया गया है। कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा "।

आई. डी. 1 पर माननीय वित्त मंत्री का भाषण आई. डी. 2 के लिए बजट पेश करते समय कार्ड सेवाओं की शुरुआत के अंतर्निहित उद्देश्यों की व्याख्या करता है। भाषण के पैरा 153 में,

माननीय मंत्री कहते हैं:

मैं अब कुछ सेवाओं पर कवरेज का विस्तार करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

सेवा कर के अधीन। मैं घर पर बोझ नहीं डालना चाहता।

विवरण जो बजट पत्र में उपलब्ध हैं।

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम की धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित धारा 65 (33ए) से निम्नलिखित स्पष्ट है।

(क) सेवा कर लगाने का दायरा क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य कार्डों जैसे डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक बढ़ाया गया है।

(ख) कार्ड के उपयोग में आने वाली कई और मध्यवर्ती सेवाओं को परिभाषा के उपखंड (i) से (vii) में सूचीबद्ध किया गया है, जो स्पष्ट रूप से इन्हें शामिल करने के इरादे को व्यक्त करता है।

प्रावधानों के तहत कर योग्य घटनाओं के रूप में गणना की गई सेवाएं;

(ग) धारा 65 (105) (zzzw) में "के संबंध में" वाक्यांश को बनाए रखते हुए, "किसी भी तरह से" वाक्यांश जोड़ा जाता है। वित्त अधिनियम, 2006 में नियोजित विस्तृत प्रारूपण पद्धति की सटीकता और स्पष्टता इस निष्कर्ष पर मजबूर करती है कि संसद ने न केवल अन्य कार्डों के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल करने के लिए कर योग्य सेवा के दायरे का विस्तार करने का इरादा व्यक्त किया है, बल्कि उन सेवाओं के लिए कराधान की पहुंच को और स्पष्ट रूप से विस्तारित किया है जो अन्यथा निर्विवाद रूप से कार्ड के दायरे में नहीं आते हैं।

सेवाएँ। इस प्रकार धारा 65 (33ए) ने वैधानिक पाठ में अस्पष्टता, अनिश्चितता और असंगति को हटा दिया।

(जोर दिया गया)

24. मैं इस निष्कर्ष पर ध्यान दे सकता हूं जैसा कि निर्धारित किया गया है:

" 47. निष्कर्ष -

हम 16.08.2013 दिनांकित संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(क) बिन्दु सं. (i) संदर्भ क्रम में, हम मानते हैं कि वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित धारा 65 (33ए) में "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान सेवा" की एक व्यापक परिभाषा की शुरूआत एक ठोस विधायी प्रयास है जो कई पर शुल्क लगाने को लागू करता है।

धारा 65 (33ए) में निर्धारित परिभाषा में निर्दिष्ट उपखंड (i) से (vii) में गिने गए लेन-देन और ये सभी लेन-देन न तो निहित रूप से शामिल हैं और न ही स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं।

बी. ओ. एफ. एस. के हिस्से के रूप में धारा 65 (10) या (12) में परिभाषित क्रेडिट कार्ड सेवाओं का दायरा;

(ख) बिन्दु सं. (ii) पर हम मानते हैं कि धारा 65 (33क) में उपखंड (iii) का न तो पूर्वगामी पहुँच का इरादा है और न ही व्यक्त किया गया है अर्थात।

डब्ल्यू. ई. एफ. 16.07.2001। इन उपखंडों में गिनाई गई सेवाएँ हैं:

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे में निहित नहीं;
(ग) संदर्भ के बिंदु संख्या (iii) पर, हम मानते हैं कि एक व्यापारी/व्यापारी प्रतिष्ठान धारा 65 (72) (जेड. एम.) में उल्लिखित क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संदर्भ में "एक ग्राहक" है।

धारा 65 (105) (जेड. एम.) और एक अधिग्राहक बैंक जारीकर्ता बैंक का "ग्राहक" होता है।

(घ) बिन्दु सं. (iv) पर, हम मानते हैं कि एम. ई. छूट, चाहे किसी भी नाम से जानी जाए, जो किसी अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा एम. ई. को भुगतान के निपटान के लिए ऐसे बैंक द्वारा बरामद राशि में से रखी गई राशि का प्रतिनिधित्व करती है, प्राप्त प्रतिफल के बराबर नहीं है।

" "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" के संबंध में।

मेसर्स एबीएन में न्यायाधिकरण का निर्णय

एमरो बैंक एन. वी. वर्तमान में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी. वी. के रूप में जाना जाता है।

25. यह निर्णय विवादित क्रम में निर्भर आदेश है। उक्त मामले में विवाद की अवधि मई, 2006 से फरवरी, 2008 तक थी। मैं पैराग्राफ 2,6,8 और 9 देख सकता हूं। उक्त आधार पर, न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसकी मांग की गई थी

ब्याज और जुर्माने के साथ सेवा कर।

" 2. मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी एक बैंकिंग कंपनी है और अपने ग्राहकों को 'क्रेडिट कार्ड' जारी करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संचालन के लिए एक प्रणाली है, प्रणाली कैसे संचालित होती है अर्थात, एक बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है

अपने ग्राहकों को जारी करने वाले बैंक के रूप में जाना जाता है जब ग्राहक उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है, तो वह कार्ड को स्वाइप करके माल खरीदने वाले व्यापारी के पास जाता है, उसके बाद तुरंत लेनदेन प्राप्त करने वाले बैंक में जाता है। अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी को भुगतान करता है। उस समय, अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए निश्चित राशि लेता है। उस राशि पर, अधिग्रहण करने वाला बैंक अपनी सेवा कर देयता का निर्वहन कर रहा है। अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा रखी गई सेवा की उस राशि में से कुछ राशि जारी करने वाले बैंक को हस्तांतरित की जाती है। का मामला

2 2018 - टी. आई. ओ. एल.-2811-सी. ई. एस. टी. ए. टी./एम. ए. एन. यू./सी. एन./0079/2018 जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

राजस्व यह है कि जारीकर्ता बैंक कुछ कमीशन प्राप्त कर रहा है।

अधिग्रहण करने वाले बैंक से, उस राशि पर वे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं

'क्रेडिट कार्ड सेवाओं' की श्रेणी के तहत सेवा कर वित्त अधिनियम की धारा 65 (105) के साथ पठित धारा 65 (33ए),

1994. इस प्रभाव के लिए लेखा परीक्षा इस अवधि के दौरान हुई थी

2007-2008 और उसके बाद एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था

से अवधि के लिए अपीलार्थी से सेवा कर की मांग

मई, 2006 से फरवरी, 2008 तक दिनांकित कारण दर्शाओ नोटिस के माध्यम से

19.09.2011 . मामले का निर्णय लिया गया और सेवा की मांग की गई

अपीलार्थी के खिलाफ ब्याज के साथ कर की पुष्टि की गई थी और

विभिन्न दंड लगाए गए। उक्त आदेश के विरुद्ध,

अपीलार्थी इस न्यायाधिकरण के समक्ष है।

XXX

XXX

XXX

6. यह रिकॉर्ड पर एक तथ्य है कि अधिग्रहण करने वाला बैंक अपना भुगतान कर रहा है।

अपीलार्थी द्वारा कोई सेवा कर देय नहीं है (और उक्त तथ्य है पाठ्यक्रम तर्कों के दौरान विद्वान ए. आर. द्वारा विवादित नहीं किया गया)

के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

सी. के आयुक्त पूर्व। लखनऊ बनाम छोटे लाल राधे श्याम

एम. ए. एन. यू./यू. पी./3815/2017 पर सूचित किया गया: 2018 (8) G.S.T.L. 225 (सभी)।

XXX

XXX

XXX

किसी के निपटान के संबंध में कुछ कमीशन प्राप्त कर रहा है राशि, तब और केवल तभी उक्त गतिविधि ऋण के अंतर्गत आती है

कार्ड सेवाएँ। मान लीजिए, अपीलार्थी किसी भी मामले में संलग्न नहीं है।

राशि के निपटान की गतिविधि। वास्तव में, अपीलार्थी नहीं है

निपटान अभिकरण और केवल जारीकर्ता बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। यह है।

विवादित में विद्वान आयुक्त द्वारा स्वीकार किया गया पद

आदेश दें। उन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि द्वारा प्राप्त राशि

अपीलार्थी 'क्रेडिट कार्ड सेवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

टिकाऊ। 9. इसके अलावा, हम पाते हैं कि इस मामले में कारण बताएँ नोटिस दिया गया है

सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करके जारी किया गया जबकि अपीलार्थी की गतिविधि के बारे में विभाग को बहुत पहले से पता था

और पहले की अवधि के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था

वे, उन परिस्थितियों में, सर्वोच्च [2021] 13 एस. सी. आर. के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजाम चीनी कारखाने बनाम केंद्रीय कलेक्टर के मामले में अदालत आबकारी, ए. पी. ने एम. ए. एन. यू./एस. सी./8820/2006 में रिपोर्ट कियाः 2006 (197) ई. एल. टी

465 (एस. सी.) जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा की विस्तारित अवधि

यह भी आह्वान योग्य नहीं है, हम मानते हैं कि मांग अत्यधिक बाधित है

सीमा "।

(जोर दिया गया)

कारणों की सूचनाएँ दिखाएँ

26. कारण दिखाएँ नोटिस का पहला (इसके बाद संदर्भित)

एस. सी. एन. के रूप में, संक्षेप में) 2013 का एस. सी. एन. सं. 141 दिनांकित 24.04.2013 है, जो अक्टूबर, 2007 से जून, 2012 की अवधि से संबंधित है। 2014 का दूसरा एससीएन नंबर 258 दिनांकित 23.09.2014 है। यह एससीएन जुलाई, 2012 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि से संबंधित है। 2015 का तीसरा एस. सी. एन. सं. 25 दिनांक 02.03.2015 जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 की अवधि से संबंधित है। 2015 का चौथा एस. सी. एन. सं. 97 दिनांक 11.08.2015, अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि को कवर करता है। पहले एस. सी. एन. के अलावा, बाद के एस. सी. एन. अधिनियम की धारा 66 बी द्वारा कवर की गई अवधि से संबंधित थे जिसमें नकारात्मक सूची व्यवस्था लागू की गई थी।

27. एस. सी. एन. सं. 141 में निम्नलिखित अनुच्छेद प्रासंगिक हैं।

2013 दिनांकित 23.04.2013:

" 2. निर्धारिती के खातों के लेखापरीक्षा के दौरान सेवा कर द्वारा संचालित सेवा कर का आंतरिक लेखा परीक्षा समूह

आयुक्तालय, चेन्नई, यह देखा गया कि निर्धारिती था

अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना; कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन

आम तौर पर दो बैंक शामिल होते हैं-एक जारी करने वाला बैंक और एक अधिग्रहण करने वाला बैंक।

बैंक; जो जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करता है; कि

ऋण स्वीकार करने के लिए बैंकों का अधिग्रहण व्यापारी प्रतिष्ठानों को अनुबंध देता है ग्राहकों को बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए कार्ड भुगतान और

इस तरह के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंक प्रदान करते हैं कार्ड स्वाइपिंग टर्मिनल (प्वाइंट ऑफ सेल) जैसी आवश्यक आधारभूत संरचना

ग्राहक उनके द्वारा स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पी. ओ. एस.) मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न व्यापारी/सेवा प्रतिष्ठानों में बैंकों का अधिग्रहण: कि

अधिग्रहण करने वाले बैंक व्यापारी प्रतिष्ठानों को भुगतान करते हैं /

सेवा प्रतिष्ठान और उनसे पूर्व-अनुबंधित दर लेते हैं

क्रेडिट की सुविधा के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एम. डी. आर.) के रूप में जाना जाता है।

कार्ड लेनदेन; कि अधिग्रहण करने वाले बैंक लेनदेन जमा करते हैं

व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारिती को निपटाया गया (जारी करने वाला बैंक)

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से और बदले में निर्धारिती करता है कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से अधिग्रहण करने वाले बैंकों को भुगतान; कि

कार्ड एसोसिएशन (मास्टर कार्ड, वीजा और डाइनर्स क्लब)

अंतर्राष्ट्रीय) निर्धारिती (जारीकर्ता बैंक) के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

और बैंकों का अधिग्रहण; कि कार्ड एसोसिएशन आवश्यक प्रदान करता है

जारीकर्ता बैंकों और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए नेटवर्क और मंच

कार्ड लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए; जो आम तौर पर बैंक प्राप्त करते हैं। लेन-देन (व्यापारियों द्वारा निपटाया गया) कार्ड में जमा करता है

आगे जमा करने के लिए एक मानक फ़ाइल प्रारूप में संगठन

निर्धारिती (जारीकर्ता बैंक); कि मानक फाइल प्रारूप में शामिल हैं

विवरण जैसे कार्ड संख्या, अधिग्रहणकर्ता संदर्भ संख्या, लेनदेन

राशि, विनिमय शुल्क, लेन-देन की तारीख, व्यापारी की प्रकृति व्यवसाय आदि, जो प्राप्त लेन-देन विवरण के आधार पर

कार्ड एसोसिएशन, निर्धारिती (जारी करने वाला बैंक) ग्राहक को बिल देता है

(जिसे अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा जमा किया जाता है) उसी को भेजकर कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से; वह निर्धारिती (जारी करने वाला बैंक) सामान्य रूप से

के आधार पर अपने ग्राहकों से सकल राशि प्राप्त करता है

देय तिथि के साथ मासिक बिलिंग विवरण जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है ग्राहक द्वारा किया जाना चाहिए; इस संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि

विनिमय शुल्क और कुछ नहीं बल्कि द्वारा अर्जित एम. डी. आर. का एक हिस्सा है। निर्धारिती और उनके संबंध में उनकी सेवा आय का हिस्सा है

क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवाएँ।

XXX

XXX

XXX

4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारिती दिनांकित पत्र के माध्यम से

12.04.2013 कहा कि प्राप्त प्रतिफल की सकल राशि

"क्रेडिट कार्ड सेवाओं" की कर प्रविष्टि के तहत कर योग्य सेवा के लिए,

बैंक के अधिग्रहण से प्राप्त एम. डी. आर. का एक हिस्सा; जो जारी करता है बैंक अधिग्रहण बैंक को कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है और इसलिए नहीं

एम. डी. आर. के आनुपातिक हिस्से पर सेवा कर लागू होता है।

सेवा कर के अधीन; कि चूंकि सेवा कर का भुगतान किया गया था संपूर्ण एम. डी. आर., उनकी देनदारी, यदि कोई हो, को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

उन्होंने (1) क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर एक नोट और [2021] 13 एस. सी. आर. भी संलग्न किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा कर की प्रयोज्यता और (2) एक एक्सेल शीट जो विनिमय आय के कामकाज और एम. डी. आर. के विवरण को दर्शाती है। हालाँकि, अपनी मर्जी से, निर्धारिती ने एक राशि का भुगतान किया

चालान संख्या 11046 के माध्यम से सेवा कर के लिए Rs.15,00,00,000/-

दिनांकित 28/03/2013।

अधिग्रहण करने वाले बैंक को कोई भी सेवा सही नहीं लगती है। जब निर्धारिती (जारीकर्ता बैंक) का कोई क्रेडिट कार्ड धारक खरीदारी करने के लिए व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग करता है, तो व्यापारी प्रतिष्ठान के खाते का निपटान सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंक या अधिग्रहण करने वाले बैंक के माध्यम से किया जाता है। निर्धारिती द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने का तथ्य केवल जारीकर्ता बैंक के रूप में सक्षम बनाता है। ग्राहक से कैशलेस
खरीद या सेवा का लाभ उठाने के लिए

(105) (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (33ए) के साथ पढ़ा गया; अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा विनिमय शुल्क पर सेवा कर के भुगतान का तथ्य निर्धारिती को भुगतान से छूट नहीं देता है। सेवा प्रदान करने के लिए उनके
द्वारा प्राप्त प्रतिफल पर सेवा कर का भुगतान करना क्योंकि सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

28. मैं देख रहा हूं कि एस. सी. एन. के दूसरे संस्करण में दिनांक 23.09.2014 भी, जो वास्तव में पहले एस. सी. एन. की निरंतरता में जारी किया गया था।

23.04.2013 , और इस आधार पर जारी किया गया कि प्रत्यर्थी अभी भी अधिग्रहण करने वाले बैंक से विनिमय शुल्क प्राप्त कर रहा था, जिसे सेवा कर के अधीन नहीं किया जा रहा था और इस तरह के कारण बताएँ नोटिस के पैराग्राफ 5 में वही दोहराया गया है जो पहले कारण बताएँ नोटिस के पैराग्राफ 5 में कहा गया है।

आयोग द्वारा अधिसूचित सामग्री

29. विनिमय शुल्क पहले से ही कर के अधीन है क्योंकि संपूर्ण व्यापारी छूट, जिसमें से विनिमय शुल्क एक हिस्सा है,

कर लगाया गया। वित्त अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें यह हैं कि एक सेवा, सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता होना चाहिए और सेवा के लिए विचार किया जाना चाहिए।

इसका प्रतिवाद जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग बनाम ने किया था। मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्यर्थी कि निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा नहीं है

बैंक का अधिग्रहण। विवाद यह था कि अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी छूट में कटौती करता है और व्यापारी प्रतिष्ठान को शेष राशि का भुगतान करता है। व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा इस तरह से वहन की जाने वाली छूट के परिणामस्वरूप आय में लाभार्थी प्रतिवादी और अधिग्रहण करने वाला बैंक होता है। जारीकर्ता बैंक को देय राशि का निपटान प्रतिधारण द्वारा किया जाता है, यानी, कार्ड एसोसिएशन जारीकर्ता बैंक के खाते से डेबिट करता है और इसे प्राप्तकर्ता बैंक को वितरित करता है। कार्ड एसोसिएशन को भुगतान जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा अलग से किया जाता है। व्यापारी प्रतिष्ठान और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच संविदात्मक संबंध होता है। जारीकर्ता बैंक अधिग्रहणकर्ता बैंक को किसी भी सेवा में संलग्न नहीं है और निर्धारिती द्वारा रखे गए शुल्क का हिस्सा किसी भी सेवा के संबंध में नहीं है। निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रदान किया गया। जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच कोई सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता संबंध नहीं है। वे क्रेडिट कार्ड लेनदेन में भागीदार हैं। के लिए

अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को दी गई सेवा, अधिग्रहण करने वाला बैंक सकल प्रतिफल पर सेवा कर का भुगतान करता है। निर्धारिती और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच किया गया संवितरण निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए नहीं है। अधिग्रहण करने वाला बैंक किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारिती को नियुक्त नहीं करता है। किसी भी सेवा के लिए विनिमय शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है। विनिमय शुल्क और कुछ नहीं बल्कि सेवा कर भुगतान व्यापारी छूट का एक हिस्सा है और किसी भी सेवा के बदले में निर्धारिती को भुगतान किया जाने वाला एक अलग प्रतिफल नहीं है। अधिनियम की धारा 67 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में मौद्रिक शर्तों में प्राप्त प्रतिफल के लिए ली गई सकल राशि पर सेवा कर लागू होता है। सेवा कर के लिए प्रभार्य मूल्य कानून के आदेश के अनुसार केवल प्रदान की गई सेवा के लिए विचार तक सीमित होना आवश्यक है और इससे परे किसी भी राशि को कानूनी रूप से सेवा कर के लिए नहीं लिया जा सकता है। बोर्ड परिपत्र सं. 65/14/2003 दिनांकित 05.01.2003 पर भरोसा किया गया था। द.

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रतिफल प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान से वसूल किया जाता है और इसका हिस्सा निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में होता है। 30. इसलिए, क्रेडिट कार्ड सेवाओं के लिए ली जाने वाली सकल राशि व्यापारी छूट है जो धारा 67 के संदर्भ में सेवा कर लगाने का आधार बनेगी। सभी गतिविधियाँ प्रतिभागियों द्वारा एक लेनदेन का समर्थन करने के लिए की जाती हैं जहाँ एक व्यापारी प्रतिष्ठान है

क्रेडिट कार्ड धारक से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम। प्रदान की गई सेवा का सकल मूल्य, [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा कर, कारण दिखाएँ नोटिसों पर आपत्ति जताई गई थी। उसी के समर्थन में मामला कानून का संदर्भ है। केवल वह मूल्य जिसका प्रदान की गई सेवाओं के साथ संबंध है, सेवा कर के अधीन था। सेवा कर लगाने का कोई भी प्रयास दोहरे कर के बराबर होगा। कर से कोई मुक्ति नहीं है। एक ही कर का द्वंद्व होगा। धन में लेन-देन (इसके बाद की अवधि के लिए कारण दिखाएँ नोटिस से संबंधित)

नकारात्मक सूची पेश की गई थी) सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है यह विवाद था। लेन-देन के पहले चरण में ही सेवा का प्रावधान होता है जिसमें अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी छूट में कटौती करने के बाद व्यापारी प्रतिष्ठान को भुगतान करता है, जो कर के अधीन है। बाद का लेन-देन विशुद्ध रूप से धन में लेन-देन है और पक्षों के बीच सेवा का कोई अंतर प्रावधान नहीं है। कारण दिखाएँ नोटिसों को सीमा द्वारा प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया था। निर्धारिती का जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं करने का कोई इरादा नहीं है। अधिग्रहण बैंक द्वारा विनिमय शुल्क के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया है। इस मामले में, व्याख्यात्मक मुद्दा है। इसी तरह, जुर्माना और ब्याज की मांग का विरोध किया गया। धारा 78 के तहत दंड का मामला नहीं बनाया गया था। मेन्स रिया नहीं थी। उत्तरदाता द्वारा कोई दमन नहीं किया जाता है। बाद के कारण दिखाएँ नोटिसों के संबंध में, कुछ पूरक विवाद उठाए गए थे जिनमें यह भी शामिल था कि विनिमय शुल्क केवल ऋण पर ब्याज की प्रकृति में है।

आयोग के निष्कर्ष

और कार्ड लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक का अधिग्रहण करना। निर्धारिती द्वारा भागीदारी कार्ड धारकों को विभिन्न सेवाओं का प्रावधान करने में सक्षम बनाती है। जारीकर्ता बैंक द्वारा। अर्थात्, भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने और विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों, व्यवसाय/सरकारी संस्थाओं में सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम है। कार्ड एसोसिएशन विभिन्न सेवाओं के लिए लेन-देन प्रवाह और शुल्क लगाने की सुविधा के लिए नेटवर्क प्रदान करता है।

32. मैं पैराग्राफ-8.7 को देख सकता हूं: " 8.7 . लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जब कोई व्यक्ति खरीदारी करता है

एक कार्ड का उपयोग करते हुए, लेन-देन के निम्नलिखित अंग शामिल हैं जिसमें व्यापारी प्रतिष्ठान उस व्यक्ति के कार्ड को स्वाइप करता है जिसके पास जीएसटी और केंद्रीय अपवाद का ओम्मीशनर v है।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

'अधिग्रहण बैंक' द्वारा विस्तारित 'प्वाइंट ऑफ सेल' में 'जारीकर्ता बैंक' द्वारा इस तरह के कार्ड के साथ जारी किया गया है, जो व्यापारी प्रतिष्ठान को निपटाने के लिए सहमत हो गया है, वह राशि जिसके लिए खरीद की गई है

खरीद, व्यापारी प्रतिष्ठान ऐसे कार्डों के माध्यम से खरीद का विवरण अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रस्तुत करता है, जो कार्ड संघ के साथ विवरण दाखिल करता है; कार्ड संघ जारी करने वाले बैंक को अधिग्रहण करने वाले बैंक के कारण होने वाली राशि को कम करता है जो लेनदेन के सत्यापन और अनुमति के लिए जारी करने वाले बैंक को उपार्जित होता है। अधिग्रहण करने वाला बैंक मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट को उनकी सहमति के अनुसार एम. डी. आर. काटने के बाद राशि जारी करता है। इन लेन-देनों में कार्ड संघों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी प्रमुख खिलाड़ी, जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहण करने वाला बैंक और व्यापारी प्रतिष्ठान कार्ड संघों के साथ संविदात्मक समझौते में हैं। कार्ड संघों के साथ संविदात्मक समझौते के अलावा, जारीकर्ता बैंक माल या सेवाओं की खरीद के लिए विभिन्न क्रेडिट सीमाओं की अनुमति देने और उचित समय पर उचित दरों पर क्रेडिट की वापसी के लिए कार्ड धारक के साथ संविदात्मक समझौते में है।

ब्याज। इसी तरह, कुछ मामलों में अधिग्रहण करने वाले बैंक

व्यापारी प्रतिष्ठानों के साथ संविदात्मक समझौते

खरीद उनके द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक के पी. ओ. एस. के माध्यम से सक्षम बनाती है; अधिग्रहण करने वाले बैंक जारी करने वाले बैंक को कार्ड संघों के साथ संविदात्मक समझौतों द्वारा निर्धारित विनिमय शुल्क के साथ भाग लेते हैं। जारीकर्ता बैंक कार्ड धारक से उनके द्वारा सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार खरीद की राशि एकत्र करता है। कार्ड धारक के साथ। हाथ में मौजूद मामले में यह स्पष्ट है कि व्यापारी प्रतिष्ठान को पी. ओ. एस. का विस्तार करना और भुगतान करना, एम. ई. को रियायती राशि एक ओर अधिग्रहण करने वाले बैंक और एम. ई. और दूसरी ओर अधिग्रहण करने वाले बैंक और कार्ड एसोसिएशन के बीच एक संविदात्मक समझौते द्वारा कवर की जाती है; इसी तरह कार्ड धारक

कार्ड क्रेडिट खरीद की सुविधा के लिए जारी किया जाता है और नियत समय में कार्ड धारक से कार्ड जारी करने वाले बैंक के कार्ड धारक के साथ अनुबंध समझौते के अनुरूप उचित ब्याज के साथ क्रेडिट वापस प्राप्त किया जाता है, जबकि विनिमय शुल्क वह विचार है जो जारीकर्ता बैंक को खरीद मूल्य के सत्यापन, सुविधा और विस्तार के लिए प्राप्त होता है। जारीकर्ता बैंक का कार्ड संघ के साथ संविदात्मक समझौता होता है और वह कार्ड धारक से राशि के संग्रह का जोखिम उठाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि आदान-प्रदान शुल्क एक प्राप्त विचार है जो माल की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्ड संघों के साथ संविदात्मक समझौतों के अनुरूप है या

सेवाएँ। इसलिए, मुझे लगता है कि यह तर्क कि कोई सेवा या सेवा प्रदाता संबंध उपलब्ध नहीं है या शुल्क एक विचार नहीं है क्योंकि इस पर बातचीत नहीं की जाती है। गुणों को बनाए रखें। अधिनियम की धारा 67 के अनुसार, सेवा का सकल मूल्य सेवा के प्रावधान के लिए प्राप्त राशि है। यह है।

कानून में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विचार पर बातचीत की जा सकती है। हालांकि, कार्ड एसोसिएशन के साथ समझौता करते समय जारी करने वाला बैंक दरों और शुल्कों का पालन करने के लिए सहमत होता है और इसलिए यह तर्क कि विचार पर बातचीत नहीं की जाती है, तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि दरों से सहमत होकर, उन पर बातचीत की जाती है। क्रेडिट कार्ड सेवाओं की परिभाषा जैसा कि यह 30.06.2012 तक मौजूद थी, स्पष्ट रूप से बताती है कि जारीकर्ता बैंक को कार्ड संघों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एक कर योग्य सेवा है और 01.07.2012 से प्रभावी है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विचार के लिए प्रदान की जाने वाली गतिविधि है

33. जहां तक प्रत्यर्थी के मामले का संबंध है कि एम. डी. आर. पर अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाता है, यह कहा जाता है कि कोई सबूत नहीं दिया गया है।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत। उद्धृत करने के लिए:

" विनिमय शुल्क और एम. डी. आर. समान राशि नहीं है। निर्धारिती ने कहा है कि अधिग्राहक बैंक द्वारा एम. डी. आर. पर सेवा कर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उस हद तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, आदान-प्रदान शुल्क ई-लेनदेन को मान्य करने के लिए जारीकर्ता बैंक को दिया गया विचार है और एम. डी. आर. अधिग्रहण करने वाले बैंक के लिए विचार है।

व्यापारी प्रतिष्ठान "।

34. इसके अलावा, आयुक्त ने इस प्रश्न के संबंध में पता लगाया कि क्या प्रतिवादी द्वारा संबंधित दमन किया गया था

विनिमय शुल्क पर सेवा कर का भुगतान न करना। यह पाया गया कि प्रतिवादी को विनिमय शुल्क प्राप्त हुआ था। यह आगे पाया गया कि जब कानूनी प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट होता है, तो सेवा कर का भुगतान नहीं करने के कार्य से प्रतिवादी की ओर से एक सकारात्मक कार्य का पता चलता है। भले ही उन्हें यह विश्वास था कि शुल्क सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उन्हें विवरण के साथ विभाग से संपर्क करना चाहिए था ताकि विभाग दावे की शुद्धता की जांच कर सके। स्व-मूल्यांकन की शुरुआत के साथ, क़ानून के प्रावधानों में कोई अस्पष्टता नहीं होने के कारण, उचित मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर निर्भर करती है -

धारा 70। सीमा की अवधि विभाग की जानकारी की तारीख से शुरू होगी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रिलायंस को रखा गया था।

मेहता एंड कंपनी 3. जुर्माना भी उचित पाया गया। अंत में, आयुक्त ने सेवा कर, धारा 75 के तहत ब्याज, धारा 78 के तहत जुर्माना और 5 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की पुष्टि की। 10,000 / - धारा 77 (2) के तहत।

ट्राइब्यूनल के विवादित आदेश

35. न्यायाधिकरण ने दिनांक 16.11.2018 के आदेश में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया, जिसे 2019 की सिविल अपील संख्या 8228 में आक्षेपित किया गया है।

36. उक्त आदेश के बाद न्यायाधिकरण ने 20.11.2019 दिनांकित आदेश पारित किया, जो कि सिविल अपील संख्या 89 में आक्षेपित है।

37. दिनांक 16.11.2018 के आदेश में, न्यायाधिकरण ने एससीएनएस से निपटा, जिसे मैंने निर्धारित किया है। बाद का आदेश दिनांक 20.11.2019, कवर करता है

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक की अवधि। न्यायाधिकरण ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (उपरोक्त) में बड़ी पीठ के निर्णय का उल्लेख किया। उक्त निर्णय को विशिष्ट पाया गया।

38. कोई चर्चा नहीं हुई है, यह पाया गया है, या जवाबी प्रतिक्रिया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (उपरोक्त) लागू नहीं है। सवाल यह कि

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (उपरोक्त) में विनिमय शुल्क शामिल नहीं था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि यह मानक चार्टर्ड बैंक (उपरोक्त) में निर्धारिती का निवेदन नहीं था कि विनिमय शुल्क सेवा और न्यायाधिकरण के लिए विचार नहीं था और इसलिए, यह जांचने का कोई अवसर नहीं था कि क्या, जारी करने वाली बैंक की गतिविधि सेवा थी या नहीं और क्रेडिट कार्ड सेवाओं के लिए कर प्रविष्टि द्वारा कवर की गई थी। दूसरी ओर, न्यायाधिकरण ने विज्ञापन के बाद ए. बी. एम. अमरो (ऊपर) में निर्णय से समर्थन प्राप्त किया। पैराग्राफ 6 से 8 तक, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा राजस्व के खिलाफ एबीएम अमरो (ऊपर) में निर्णायक निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश का पालन किया गया और आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया।

दलों की सामग्री

39. विद्वान महान्यायवादी, श्री बलबीर सिंह, क्रेडिट कार्ड लेन-देन की मुख्य विशेषताओं पर जोर देने के बाद, तर्क देंगे कि प्रतिवादी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने अधिनियम की धारा 65 (33ए) में निहित परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिभाषा खंड तैयार करता है

'सम्मिलित' शब्द का प्रयोग। वह हमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (ऊपर) और एबीएन एम्ब्रो (ऊपर) में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के पास भी ले गए। ऋण के विभिन्न आयामों को उजागर करने के बाद कार्ड लेनदेन को स्पष्ट रूप से सेवा कर के लिए विशिष्ट बनाया गया, वह तर्क देगा कि प्रतिवादी के इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसके द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी। 01.07.2012 से पहले की अवधि के लिए और उसके बाद की अवधि के लिए, यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी अधिनियम के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान कर रहा था और जारी रख रहा था और यह तर्क देना असंभव है कि विनिमय शुल्क प्रत्यर्थी के हाथों में कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विनिमय शुल्क वह विचार है जो जारीकर्ता बैंक को संविदात्मक समझौते के अनुरूप खरीद मूल्य के सत्यापन, सुविधा और विस्तार के लिए उपार्जित होता है, जारीकर्ता बैंक का कार्ड एसोसिएशन के साथ होता है और जीएसटी आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सी. आई. टी. आई.

कार्ड धारक से संग्रह का जोखिम। विनिमय शुल्क, के अनुसार है अपीलार्थी, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्ड एसोसिएशन के साथ संविदात्मक समझौतों के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रतिफल। प्रत्यर्थी का तर्क कि गतिविधि को एक के रूप में माना जाना है

धन में लेन-देन, विवादित है। जारीकर्ता बैंक से खरीद राशि से विनिमय शुल्क कम लिया जाता है। आदान-प्रदान शुल्क लेन-देन की अनुमति देने के लिए सेवा शुल्क है। डेबिट की गई राशि पैसे में एक लेनदेन है। सेवा शुल्क की मांग केवल विनिमय शुल्क पर की जाती है न कि खरीद राशि पर। एबीएन एम्ब्रो बैंक (उपरोक्त) में न्यायाधिकरण के आदेश पर इनक्यूरियम के अनुसार होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे अधिनियम की धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) और धारा 66 बी (44) के साथ पठित धारा 65 (33 ए) के तहत 'क्रेडिट कार्ड सेवा' की समावेशी परिभाषा की सराहना किए बिना प्रस्तुत किया गया था।

40. प्रतिवादी की शिकायत कि दोहरा कराधान है, विवादित है। रिलायंस को इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है

एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज v. संघ का भारत और अन्य, यह तर्क देने के लिए कि सेवा कर मूल्य वर्धित कर है और सेवा कर हर बार ग्राहक/ग्राहक को सेवा प्रदान करने पर लगाया जाता है। प्रत्यर्थी के इस तर्क में भ्रांति है कि विनिमय शुल्क एम. डी. आर. का हिस्सा है, जिसे पहले ही कर का सामना करना पड़ चुका है, यह है कि विनिमय शुल्क का भुगतान एम. डी. आर. की प्राप्ति से पहले किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एम. डी. आर. की कटौती व्यापारी को पैसे का निपटान करते समय की जाती है।

स्थापना। यह राशि प्राप्त करने के बाद ही होता है

जारी करने वाला बैंक, जो विनिमय शुल्क का शुद्ध है। विनिमय शुल्क ई-लेन-देन को मान्य करने के लिए जारीकर्ता बैंक को दिया जाने वाला विचार है, जबकि एम. डी. आर. व्यापारी प्रतिष्ठान को निपटाने के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंक के लिए विचार है। एम. डी. आर. बिक्री के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। लागत या सेवा लागत, जबकि विनिमय शुल्क कार्ड एसोसिएशन द्वारा तय किया जाता है, अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पैसे को स्थानांतरित करने की लागत, वर्तमान ब्याज दरों के संदर्भ में पैसे का समय मूल्य और इसमें शामिल सापेक्ष जोखिम आदि। वे दो स्वतंत्र लेनदेन हैं। क्रेडिट कार्ड सेवा के हिस्से के रूप में दो अलग-अलग सेवाएँ भी हैं। कोई सेवा नहीं

कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए विनिमय सेवा के रूप में प्राप्त राशि पर प्रत्यर्थी द्वारा कर का भुगतान किया गया है। बैंक का अधिग्रहण करके सेवा कर के भुगतान का तथ्य जारीकर्ता बैंक को प्राप्त प्रतिफल पर कर के भुगतान से मुक्त नहीं करता है। कोई दोहरा कर नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि उक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

यह तर्क कि प्रत्यर्थी ने विनिमय शुल्क पर अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा कर के भुगतान को स्थापित करने के लिए सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि विस्तारित अवधि सीमा को दिनांकित एस. सी. एन. 24.03.2013 के संबंध में उचित रूप से लागू किया गया है। प्रत्यर्थी के लिए यह विश्वास बनाने का कोई आधार नहीं था कि उनकी गतिविधियाँ सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। न्यायाधिकरण का ऐसा कोई आदेश नहीं था जो प्रत्यर्थी को यह सोचने के लिए राजी कर सके कि वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। धारा 65 (33ए) में परिभाषा स्पष्ट है। विभाग से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था के तहत, कर देयता का ईमानदारी से और कानून के अनुसार आकलन करने की जिम्मेदारी केवल निर्धारिती पर है। लेखापरीक्षा के दौरान खातों के सत्यापन के कारण ही प्रतिवादी की चोरी का पता चला। जाँच के दौरान भी, प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा कर का भुगतान किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, वर्तमान धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत कथन और दमन का मामला था। 41. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एबीएन एम्ब्रो में न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होने के कारण

बैंक (ऊपर), कोई चयन और चयन नहीं हो सकता था और वर्तमान अपील

रखरखाव योग्य नहीं हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलें भी इस कारण से विचारणीय नहीं हैं कि आयुक्त ने कारण दर्शाओ नोटिस से विचलन किया था और उन मामलों पर निष्कर्ष पर पहुंचे थे जो कारण दिखाओ नोटिस में स्थापित मामले के विपरीत थे। यह दो पहलुओं पर जाता है। कारण दर्शाओ नोटिस में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह कहा गया है कि भले ही अधिग्रहण करने वाले बैंक ने कर का भुगतान कर दिया हो, लेकिन यह छूट नहीं देगा।

कर का भुगतान करने के अपने दायित्व से प्रत्यर्थी। दूसरे शब्दों में, कारण दिखाएँ नोटिस पूरे एम. डी. आर. पर सेवा कर के भुगतान की स्वीकृति पर आधारित है, जिसमें विनिमय शुल्क शामिल है, लेकिन विवादित आदेश में निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी ने इस तरह के भुगतान को साबित नहीं किया है। दूसरा, यह तर्क दिया जाता है कि कारण दर्शाओ नोटिस में, विभाग का मामला यह है कि प्रतिवादी, जारी करने वाले बैंक के रूप में, अधिग्रहण करने वाले बैंक को सेवा प्रदान कर रहा है, आक्षेपित आदेश में, जो पाया गया है, वह यह है कि विनिमय शुल्क कार्ड नेटवर्क की सेवा के माध्यम से है। रिलायंस है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर बनाम में इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज Ltd.[3]। क्रेडिट कार्ड लेन-देन की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि अधिग्रहण

बैंक विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्वाइपिंग मशीन लगाने पर खर्च करते हैं। वे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

5 (2007) 8 एस. सी. सी. 89/[2007] 215 ई. एल. टी. 489 (एससी)

जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार लेनदेन (टी + 2) के दो दिनों के भीतर सेवा प्राप्तकर्ता को। जारीकर्ता बैंक की भूमिका के बारे में, यह कहा गया है कि जब कार्ड धारक द्वारा क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है, तो लेनदेन की मंजूरी पर, गतिविधियों की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। दी गई तालिका में, जिसमें Rs.100/- मूल्य का लेन-देन होता है, कार्ड नेटवर्क उत्तरदाता के खाते से Rs.98/- की सीमा तक डेबिट करता है। यह राशि अधिग्रहण करने वाले बैंक को भेजी जाती है। 2/- रुपये जारीकर्ता बैंक के खाते में रहते हैं और इस राशि को विनिमय शुल्क कहा जाता है। यह जारीकर्ता बैंक की आय है। अधिग्रहण करने वाले बैंक को Rs.98/- प्राप्त होता है। यह रुपये भेजता है। 94.30 व्यापारी प्रतिष्ठान को। अधिग्रहण करने वाला बैंक 3/- रुपये के अपने सेवा प्रतिफल को बरकरार रखता है। 14 प्रतिशत की दर से 70 पैसे है।

प्रतिदिन लाखों लेन-देन किए जाते हैं। इसमें न्यूनतम मानव हस्तक्षेप है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी है, जो इसे सुविधाजनक बनाती है। वैसा ही। बैंक जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक के रूप में कार्य कर सकता है। सभी लेन-देनों के लिए, जहां सिटी बैंक ने अधिग्रहण बैंक के रूप में काम किया है, उसने अपने शुल्क के रूप में व्यापारी प्रतिष्ठान से 3/- रुपये रखे हैं, लेकिन उसने सेवा कर प्राधिकरण को 70 पैसे भेजे हैं। सेवा कर व्यापारी प्रतिष्ठान से एकत्र किया जाता है और विभाग को प्रेषित किया जाता है।

42. अधिनियम की धारा 67 (1) के तहत, प्रतिवादी का तर्क है कि सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि 5/- रुपये होगी।

एक बार फिर कर लगाया गया, क्योंकि धारा 65 (33ए) (iii) के तहत, सेवा जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों द्वारा प्रदान की गई है और शुल्क लिया गया है। तदनुसार। 01.07.2012 के बाद की अवधि के लिए, नकारात्मक सूची में संक्रमण का मतलब यह नहीं था कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं को अलग-अलग घटकों में विभाजित किया जा सकता है और फिर से कर लगाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड सेवाएँ कर योग्य सेवा बनी हुई हैं। धारा 67 (1) (i) ने सकल लेवी यानी एम. डी. आर. पर सेवा कर लगाना जारी रखा। कारण दर्शाओ नोटिस में कोई कथन नहीं है, जिसमें सिटी बैंक से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि अधिग्रहण [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैंक ने लागू सेवा कर का भुगतान किया था। यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी ने विनिमय शुल्क सहित राशि पर सेवा कर के अधिग्रहण बैंक द्वारा भुगतान को साबित नहीं किया है, बिना किसी अवसर के था। इस निष्कर्ष को बेतुका माना जाता है, क्योंकि अधिग्रहण करने वाले बैंक के पास केवल 3/- रुपये पर आंशिक सेवा कर का भुगतान करने का कोई तंत्र नहीं है। यह धारा 65 (33ए) (iii) और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत होने का आरोप है। द. भारतीय बैंक संघ, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं, ने एम. डी. आर. की सकल राशि पर अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा कर का भुगतान करने की प्रथा के बारे में प्रतिनिधित्व किया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि विभाग के सुझाव की बेतुकी बात को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट किया जा सकता है जहां एक बैंक जारी करने वाला बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक दोनों है। यह 5/- रुपये का सकल एम. डी. आर. कमाता है। यह 5/- रुपये पर सेवा कर का भुगतान करता है। यदि बैंक को फिर से 2/- रुपये पर अलग से भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो स्पष्ट रूप से दोहरा कर लगेगा।

विभाग नमूना जाँच के माध्यम से आसानी से पार-जाँच कर सकता था। सेवा कर एक पासथ्रू लेवी है। दूसरे शब्दों में, इसका उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा उत्पादन कर के भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है। जहाँ तक व्यापारी प्रतिष्ठानों का संबंध है, क्रेडिट कार्ड सेवा एक निवेश सेवा है। यदि एक बार विनिमय शुल्क पर सेवा कर की मांग की जाती है फिर से, सेवा कर क्रेडिट लेने के लिए कोई तंत्र नहीं है, भले ही,

इसे जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। जारीकर्ता बैंक द्वारा अधिग्रहणकर्ता बैंक या व्यापारी प्रतिष्ठान पर कोई विशिष्ट चालान जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि जारीकर्ता बैंक को व्यापारी प्रतिष्ठान या अधिग्रहणकर्ता बैंक की पहचान नहीं पता होती है। न तो अधिनियम और न ही नियम कई भुगतानों पर विचार करते हैं। सकल सेवा पर विचार करने पर सेवा कर केवल एक बार देय होता है। यह दावा किया जाता है

कि 2007-2015 अवधि के लिए सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान नहीं किया जा सकता था। मुद्दा व्याख्यात्मक है। वहाँ कोई नहीं था। दमन तब किया जाता है जब दोनों पक्षों को तथ्यों का पता चल जाता है। रिलायंस को बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे IIo.

विश्लेषण

क्रेडिट कार्ड लेन-देन की प्रकृति

43. 2019 की सिविल अपील संख्या 8228 में प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, लेन-देन की प्रकृति के संबंध में प्रत्यर्थी का रुख इस प्रकार प्रतीत होता है:

6 (2007) 9 एस. सी. सी. 617 2007/[211] ई. एल. टी. 513 [एस. सी.] जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [के. एम. जोसेफ, जे.]

" जिस तरह से क्रेडिट कार्ड की खरीद (लेनदेन) होती है

आरेखात्मक रूप से नीचे वर्णित है:

(1) वर्तमान क्रेडिट कार्ड

(2) लेन-देन

डेटा

मर्चेंट एस्ट।

डी धारक

बैंक का अधिग्रहण

मर्चेंट एस्ट।

(7) आगे की ओर

मंजूरी

(8) लेन-देन रसीद के संकेत

रुपये के लिए। 100

लेन-देन

(3) लेन-देन डेटा

(6) आगे की ओर

मंजूरी

रुपये के लिए। 100

लेन-देन

(5) ऐप कार्ड नेटवर्क

जारी करने वाला बैंक

इसके बाद खरीदें

प्रक्रिया जाँच

(4) लेन-देन डेटा

उपरोक्त सभी लेन-देन एक तकनीकी मंच द्वारा संचालित हैं।

और सेकंड के एक मामले में होता है।

9. क्रेडिट कार्ड खरीद लेन-देन, अर्थात धन प्रवाह और सेवा कर के निपटान का तरीका इस प्रकार है:

कार्ड धारक ने खरीदे गए सामान का मूल्य

ए.

रु. 100.0

मर्चेंट एस्टीबी। बेचे गए सामान का मूल्य

रु. 100.0

बी.

मर्चेंट एस्टीबी। बैंक के अधिग्रहण से प्राप्त भुगतान

एस.

रु. 94.3

अधिग्रहण बैंक के शुल्क की राशि पर छोटी रसीद और

रु. 5.7

जारीकर्ता बैंक (100-94.3):

रुपये का विभाजन। 5.7 :

अधिग्रहण बैंक का एम. डी. आर। रु. 3.0

डी.

इंटरचेंज शुल्क जारी करने वाले बैंक द्वारा अर्जित रु। 2.0

ई.

एम. डी. आर. + इंटरचेंज शुल्क पर सेवा कर। रु. 0.7

डी.

कुल रु.

5.7 [2021] 13 एस

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. निपटान के उपरोक्त तरीके को आरेखात्मक रूप से दर्शाया गया है।

नीचे:

अधिग्रहण बैंक रुपये का भुगतान करता है। 94.3 मर्चेंट एथ के लिए

बैंक का अधिग्रहण

अर्थात रु. 98 - रु. 3.7 [एम. डी. एफ. + आई. एफ. पर एस. टी. (रु. 3 +

2)

मर्चेंट एस्टीबी।

रु. 100 वस्तुओं/सेवाओं के लिए (बी)

कार्ड नेटवर्क जमा

रु. 98 बैंक प्राप्त करने में

कार्ड धारक

खाता

रु. 100 मर्चेंट एस्टीबी से खरीदने के लिए। (ए)

जारी करने वाला बैंक

कार्ड नेटवर्क

जारीकर्ता बैंक रुपये का भुगतान करता है। 98 (रु. 100 रुपये से कम। 2 इंट

शुल्क) से कार्ड नेटवर्क (ई)

11. उपरोक्त आरेख के संदर्भ में, अपीलार्थी ने रुपये के विनिमय शुल्क पर कर एकत्र करने की मांग की है। 2 पुनः जारीकर्ता बैंक के हाथों में जो पहले ही अधिग्रहणकर्ता बैंक के हाथों में हो चुका है।

12. XXX

XXX

XXX

13. XXX XXX

XXX

14. क्रेडिट कार्ड प्रणाली: व्यापारी प्रतिष्ठानों और क्रेडिट कार्ड धारकों के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली ने कार्ड धारकों को नकद ले जाने/चेक जारी करने या क्रेडिट के किसी अन्य रूप के बिना सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए एक सुविधाजनक साधन प्रदान किया, और व्यापारी प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर 10 तक पहुंचने में सक्षम बनाया।

सामान या सेवाओं के लिए सुनिश्चित भुगतान और धोखाधड़ी से सुरक्षा के साथ ग्राहक आधार। आधुनिक क्रेडिट कार्ड लेनदेन में, निम्नलिखित पाँच पक्ष शामिल हैं, अर्थात्:

जारीकर्ता बैंक-जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है और

आई.

इसलिए, प्रभावी रूप से अपने कार्ड धारकों को धन उधार देता है। जारीकर्ता बैंक और उसके कार्ड धारकों के बीच संविदात्मक संबंध कार्डधारक समझौते/एस. एस. आई. ओ. एन. आर. ओ. जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद v. में वर्णित है।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

नियम और शर्तें। इस तरह की सेवा के लिए जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड धारकों से वसूल की जाने वाली सेवा शुल्क

सेवा कर।

क्रेडिट कार्ड धारक-कार्ड धारक वह ग्राहक होता है जिसे जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा स्थापित क्रेडिट की एक संभावित लाइन का प्रमाण देता है जिसका उपयोग करके कार्ड धारक किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान से सामान या सेवाएं खरीद सकता है।

अधिग्रहण बैंक-अधिग्रहण बैंक एक ऐसा बैंक है जो मर्चेंट प्रतिष्ठानों की भर्ती, प्रदर्शन और स्वीकार करना

कार्ड नेटवर्क का नेटवर्क। वे व्यापारी प्रतिष्ठानों को प्वाइंट ऑफ सेल ('पी. ओ. एस.') मशीनें प्रदान करते हैं जो व्यापारी प्रतिष्ठानों को क्रेडिट कार्ड भुगतानों को मान्य करने और स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं। अधिग्रहण बैंक क्रेडिट कार्ड को संसाधित करता है।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लेन-देन

संबंधित कार्ड नेटवर्क और संबंधित नेटवर्क के संचालन विनियमों के अनुसार भी काम करता है। कोई भी सेवा

से शुल्क (आम तौर पर व्यापारी छूट शुल्क/एम. डी. एफ.)

व्यापारी प्रतिष्ठान से सेवा कर पूरी तरह से लिया जाता है।

व्यापारी प्रतिष्ठान-व्यापारी कार्ड धारकों (खरीदारों) को सामान या सेवाएं बेचता है। कार्ड जारी करने वाले के साथ व्यापारी का कोई संविदात्मक संबंध नहीं है।

बैंक। व्यापारी को अधिग्रहण बैंक द्वारा पी. ओ. एस. मशीनें प्रदान की जाती हैं ताकि वह कार्ड भुगतान स्वीकार कर सके।

एक शुल्क (व्यापारी छूट शुल्क/एम. डी. एफ.) के लिए जो है

लेन-देन के निपटान के समय पूर्व सहमति और कटौती। इसके लिए, व्यापारी कार्ड धारकों को की गई बिक्री के लिए क्रेडिट के लिए अधिग्रहण बैंक के साथ एक बैंक खाता संचालित करता है।

कार्ड नेटवर्क-कार्ड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक (क्रेडिट कार्ड) लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए बुनियादी ढांचा/प्रवेश द्वार प्रणाली प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, वीजा या मास्टरकार्ड)। वे अधिग्रहण करने वाले बैंकों और जारी करने वाले बैंकों के बीच लेनदेन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे खरीदारी की जा सकती है, अधिकृत की जा सकती है और निपटान किया जा सकता है। कार्ड नेटवर्क अधिग्रहण करने वाले बैंकों और जारी करने वाले बैंकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो एक विनिमय या समाशोधन मंच की तरह काम करता है। इस प्रकार, क्रेडिट कार्ड लेनदेन के निपटान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नेटवर्क प्रचालन नियम निर्धारित करता है और उन्हें ठीक करता है

' अंतर-विनिमय शुल्क जो जारीकर्ता बैंक अर्जित करते हैं, बैंकों के बीच अंतर-विनिमय प्रवाह के प्रबंधन के अलावा। कार्ड

अधिकांश मामलों में नेटवर्क भारत के बाहर स्थित है। कार्ड नेटवर्क द्वारा लगाए गए शुल्क, चाहे वह अधिग्रहण करने वाले बैंक को हो या जारी करने वाले बैंक को, इसलिए रिवर्स के तहत सेवा कर का सामना करना पड़ता है। प्रभार तंत्र।

15. ऊपर बताए गए पांच पक्षों में से प्रत्येक को शामिल करते हुए किसी भी क्रेडिट कार्ड लेनदेन में, निम्नलिखित विशिष्ट संविदात्मक संबंध उत्पन्न होते हैं।

(सेवा) संबंध, इनके बीच: ((i)

जारीकर्ता बैंक और कार्ड धारक,

((ख)

अधिग्रहण बैंक और व्यापारी प्रतिष्ठान,

(iii) कार्ड नेटवर्क और जारी करने वाला बैंक,

(@ (iv) कार्ड नेटवर्क और अधिग्रहण बैंक।

16. ऊपर वर्णित इन संविदात्मक संबंधों में से प्रत्येक में, सेवाएं पूर्व द्वारा उत्तरार्द्ध को प्रदान की जाती हैं और संबंधित सेवाओं के लिए विचार पर सेवा कर लगाया जाता है, जिनमें से किसी का भी याचिकाकर्ता द्वारा विरोध नहीं किया जाता है:

जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड धारक को प्रदान की जाने वाली सेवा है

((i)

सेवा कर के लिए प्रभारित,

अधिग्रहण बैंक द्वारा व्यापारी को प्रदान की जाने वाली सेवा

((ख)

प्रतिष्ठान पर सेवा कर लगाया जाता है,

कार्ड नेटवर्क द्वारा अधिग्रहण करने वालों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं

(iii)

बैंक से सेवा कर लिया जाता है, और

(iv) कार्ड नेटवर्क द्वारा जारीकर्ता बैंक को प्रदान की जाने वाली सेवाएं

कर लगाया जाता है।

जारीकर्ता बैंक से बैंक का अधिग्रहण करना। यह है मामला अपीलार्थी-विभाग कि जारीकर्ता बैंक कार्ड नेटवर्क को प्रदान की गई सेवाओं के लिए विनिमय शुल्क प्राप्त करता है, जिसे कर का सामना नहीं करना पड़ा है। जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

44. एस. सी. एन. 97/15 के उत्तरदाता के उत्तर में, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया है:

आप देख सकते हैं कि कारण बताएँ नोटिस के जवाब में

सं. 97 दिनांक 11.08.2015, जो अधिनियम की धारा 66 बी के लागू होने के बाद अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि से संबंधित है।

" 1.2 सूचना प्राप्तकर्ता विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनमें शामिल हैं -

क्रेडिट कार्ड सेवाएँ। इन क्रेडिट कार्ड लेनदेन में,

ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले को 'जारी करने' के रूप में जाना जाता है।

बैंक '। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित लेन-देन

उक्त लेन-देन की प्रक्रिया प्रवाह को नीचे समझाया गया है: ((i)

क्रेडिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वाइप करना आवश्यक है।

सामान की खरीद के लिए उक्त कार्ड धारक से शुल्क लेने के लिए उपकरणों को पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलों के रूप में जाना जाता है और

व्यापारी प्रतिष्ठान से सेवाएँ।

((ख)

उक्त टर्मिनल व्यापारी को प्रदान किए जाते हैं। "अधिग्रहण बैंक" द्वारा प्रतिष्ठान जो क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान के सत्यापन और स्वीकृति को सक्षम बनाता है।

कार्ड संघ ('संघ') जैसे कि वीजा,

(iii)

मास्टरकार्ड आदि सत्यापन और निपटान की सुविधा प्रदान करते हैं।

जारीकर्ता बैंकों (यानी सूचना प्राप्तकर्ता) और अधिग्रहण करने वाले बैंकों को एक निपटान मंच प्रदान करके लेनदेन। जिस क्षण कोई कार्ड धारक किसी व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड को स्वाइप करता है, ऑनलाइन जानकारी संघों की मदद से जारीकर्ता बैंक (यानी सूचना प्राप्तकर्ता) को प्रेषित की जाती है। कार्ड धारक की प्रामाणिकता के बारे में जानकारी फिर संघ द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को वापस भेज दी जाती है। एसोसिएशन की निर्गम बैंक (यानी सूचना प्राप्तकर्ता) और अधिग्रहण बैंक के साथ अलग से व्यवस्था है। ग्राहक सेवा और ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते की एक प्रति

नोटिस प्राप्तकर्ता और संघों के बीच यहाँ संलग्न है और प्रदर्शनी बी के रूप में चिह्नित है।

(iv) अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी को भुगतान करता है।

वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में स्थापना

ग्राहक द्वारा 'मर्चेंट डिस्काउंट' के रूप में जाना जाने वाला शुल्क काटने के बाद खरीदा जाता है। 'व्यापारी छूट' [2021] 13 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहणकर्ता द्वारा की गई गतिविधियों के प्रति प्राप्त प्रतिफल की सकल राशि बैंक।

(v)

इसके बाद, एसोसिएशन पूर्व-वित्त पोषित खाते को डेबिट करता है।

शुद्ध निपटान के आधार पर जारीकर्ता बैंक (यानी सूचना प्राप्तकर्ता) का (यानी विनिमय शुल्क जो इसका हिस्सा है)

जारीकर्ता बैंक जारीकर्ता बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है)।

(vi) जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहणकर्ता बैंक और संघ प्रत्येक यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं कि क्रेडिट कार्ड धारक और व्यापारी के बीच लेन-देन किया जा सके।

स्थापना।

(vii) जारीकर्ता बैंक बाद में उनसे भुगतान एकत्र करता है।

कार्ड धारक। जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण बैंक आगे संघों को भुगतान करते हैं और उसी पर रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत सेवा कर का निर्वहन करते हैं। नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर के भुगतान का प्रमाण
रिवर्स चार्ज तंत्र यहाँ संलग्न है और

प्रदर्शनी सी के रूप में चिह्नित।

(viii) व्यापारी छूट जो व्यापारी प्रतिष्ठान से प्राप्त सकल राशि है, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 बी (44) के अनुसार सेवा कर के अधीन है।

अधिनियम '), अधिग्रहण बैंक के हाथों में।

01.07.2012 से पहले का व्यक्ति;

धारा 66 (33ए) विघटित

45. धारा 65 (33ए) को वित्त अधिनियम, 2006 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, क्रेडिट कार्ड सेवाओं ने अपना पहला स्थान बना लिया है।

धारा 65 (10) के तहत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के हिस्से के रूप में उपस्थिति।

अंत में, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006, कि धारा 65 (33ए) ने अपनी शुरुआत की। धारा 65 (33ए) में "खंड (i) से (vii) के तहत प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा शामिल है" शब्द का उपयोग किया गया है। मुझे इस तथ्य से बेखबर नहीं होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य भुगतान कार्ड सेवाओं के अलावा भी इसके दायरे में हैं। धारा 65 (33क) का दायरा। यह स्पष्ट है कि धारा 65 (33ए) (आई) एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित है।

जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, या कोई अन्य व्यक्ति या जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग के अन्य आयुक्त शामिल हैं।

मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

व्यक्ति और किन संस्थाओं को जारी करने वाले बैंक के रूप में वर्णित किया गया है, जो कार्ड धारक को ऐसा कार्ड जारी करते हैं। जाहिरा तौर पर, यह वह प्रावधान है, जो कार्ड धारक को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए जारीकर्ता बैंक पर सेवा कर के शुल्क को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। वास्तव में, इस बात पर

कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी को दी गई सेवा के संबंध में, उसके द्वारा किए गए अनुबंध के संदर्भ में, प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष है और सेवा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

46. अब, मैं धारा 65 (33ए) के खंड (iii) की ओर बढ़ता हूं, जो कि महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा पर विचार करता है। ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक सहित। उक्त खंड के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि उपखंड के उद्देश्य के लिए, अधिग्रहण बैंक को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी बैंकिंग।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति सहित कंपनी, वित्तीय संस्थान, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है। 47. आइए हम एक पल के लिए रुकें और स्पष्टीकरण की सहायता से धारा 65 (33ए) के खंड (iii) के दायरे की जांच करें। उक्त प्रावधान अपने दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को शामिल करता है। किसी भी

वास्तव में, जमीन पर। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि विधानमंडल ने, वास्तव में, यह विभाजित किया है कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन में क्या शामिल है, और खिलाड़ी कौन हैं, धारा 65 (33ए) के विभिन्न अंग अर्थ ग्रहण करेंगे। 49. धारा 65 (33ए) (iii) के स्पष्टीकरण में, [2021] 13 एस. सी. आर. के खंड (iii) के उद्देश्य के लिए "अधिग्रहण बैंक" शब्द की परिभाषा के संदर्भ में।

धारा 65 (33ए), अधिग्रहण करने वाले बैंक को गणना की गई संस्थाओं या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के मामले के अनुरूप, यह अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के कार्ड को स्वीकार करता है", व्यापारी होगा।

50. खंड (iii) का आगे विश्लेषण करते हुए, मैं देखता हूं कि विधानमंडल ने जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों को शामिल किया है। दूसरे शब्दों में,

जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "या" नहीं है। दूसरे शब्दों में, धारा 65 (33ए) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर विचार करती है जिसमें एक जारीकर्ता बैंक और एक अधिग्रहण बैंक शामिल हैं। यह किसी की भी सेवा है।

दूसरा व्यक्ति।

51. इसका मतलब है कि यह सेवा किसी जारीकर्ता बैंक द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रदान नहीं की जा सकती है। यह एक जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा होनी चाहिए।

ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को बैंक और अधिग्रहण बैंक।

क्या उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा है?

क्रेडिट कार्ड लेनदेन में चालू बैंक के रूप में जवाबदेह?

52. मैंने क्रेडिट कार्ड लेनदेन की विशेषताओं की जांच की है। कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं। जब कार्ड धारक किसी व्यापारी के पास जाता है और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सामान और सेवाएं खरीदता है, तो वह अपनी ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित घटनाओं को शुरू करता है:

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरेख से लेन-देन डेटा

जारीकर्ता बैंक तक पहुँचता है। कार्ड धारक की पात्रता पाए जाने पर, जारीकर्ता बैंक प्रक्रिया जांच के बाद खरीद को मंजूरी देता है और यह कार्ड नेटवर्क के माध्यम से अधिग्रहण करने वाले बैंक को वापस चला जाता है और वहां से इसे व्यापारी प्रतिष्ठान को भेज दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के आधार पर लेन-देन होता है। अंत में, लेन-देन रसीद पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह विवादित नहीं है कि जारीकर्ता बैंक Rs.100/- के सचित्र लेनदेन में 2/- रुपये कमाता है। यह फिर से स्पष्ट है कि यह राशि प्रवेश नहीं करती है।

सेवा कर का माप, जिसे जारी करने वाला बैंक कार्ड धारक को बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा पर भुगतान करता है। ऐसा कोई मामला नहीं है।

यह विवाद में नहीं है कि जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों ने कार्ड संघ के साथ अनुबंध किए हैं।

समान रूप से, जीएसटी आयोग और केंद्रीय अपवाद v है। मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्थापना। अधिग्रहण करने वाला बैंक 3/- रुपये रखता है, जो 'इसकी' सेवा के लिए विचार है। प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, 2/- रुपये रखता है। व्यापारी प्रतिष्ठान को रुपये क्यों मिलते हैं। 94.30 और Rs.95/- नहीं, यानी 5/- रुपये, जिसमें अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा का मूल्य और जारी करने वाले बैंक के रूप में प्रत्यर्थी द्वारा अर्जित विनिमय शुल्क के लिए 2/- रुपये शामिल हैं, यह है कि कथित रूप से, 5 रुपये के सकल प्रतिफल पर 70 पैसे का भुगतान कथित रूप से सेवा कर के रूप में किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 65 (33ए) (iii) के स्पष्टीकरण के तहत, अधिग्रहण करने वाले बैंक को वह बैंक माना जाता है जो उस व्यक्ति को भुगतान करता है जो

ऐसे कार्ड को स्वीकार करता है, जिसे मैंने पहले ही व्यापारी प्रतिष्ठान पाया है। विधानमंडल ने विचार किया है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक के अलावा, जारी करने वाले बैंक सहित कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि के निपटान के संबंध में सेवा प्रदान कर सकता है।

55. हालाँकि, एक परिदृश्य में, जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक अलग हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यह एक मामला होगा। जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहणकर्ता बैंक दोनों क्रेडिट कार्ड लेनदेन के हिस्से के रूप में अलग-अलग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निर्विवाद रूप से, विनिमय [2021] 13 एस. सी. आर.

अधिग्रहण करने वाला बैंक, जो कार्ड संघ के साथ भी समझौते के तहत है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होने की अनूठी गतिविधि में लगा हुआ है। कार्ड एसोसिएशन द्वारा होस्ट किया गया, जो, निश्चित रूप से, इंटरचेंज को ठीक करता है

जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा अर्जित शुल्क और राशि

और, जिसके तत्वावधान में, लेनदेन डेटा, लाखों में, जारीकर्ता बैंक द्वारा संसाधित किया जाता है और यह केवल जारीकर्ता बैंक की मंजूरी से है कि व्यापारी बैंक कार्ड का उपयोग करके खरीद की अनुमति देता है। यह स्पष्ट समझ पर है कि राशि का भुगतान जारीकर्ता बैंक और जारीकर्ता दोनों द्वारा बनाए गए खातों में उचित डेबिट और क्रेडिट द्वारा किया जाएगा।

बैंक का अधिग्रहण। 2/- रुपये, हालांकि, जारीकर्ता बैंक द्वारा रखे जाते हैं और यह Rs.98/- है जो अकेले अधिग्रहण करने वाले बैंक के खाते में जमा हो जाता है। वास्तविक भुगतान अंततः व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा खाते के निपटान पर सहमत तिथि पर प्राप्त किया जाता है, अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा रुपये की कटौती के बाद राशि का भुगतान किया जाता है। 5 / - व्यापारी छूट की राशि के रूप में। व्यापारी छूट की यह राशि जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित 2/- रुपये से बनी है।

56. यह अकल्पनीय है कि जारीकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका के बिना

57. यह भी स्पष्ट है कि क्रेडिट कार्ड प्रणाली मूल रूप से जारीकर्ता बैंक पर आधारित है, जो जोखिम उठाता है। Rs.98/-, Rs.100/- के लेन-देन में, खाते से डेबिट हो जाता है, जिसे प्रतिवादी बैंक, जारीकर्ता बैंक के रूप में रखता है। यह जारीकर्ता बैंक की निधि है, जिसका उपयोग, दूसरे शब्दों में, भुगतान को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा है, जो धारा 65 (33ए) के खंड (iii) के संबंध में है। यह एक और बात है कि जारीकर्ता बैंक और कार्डधारक के बीच समझौते के तहत, कार्डधारक निर्धारित समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को Rs.100/- की राशि का

भुगतान करेगा। अवधि और, यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित ब्याज का भुगतान करने का दायित्व वहन करेगा।

तथ्य यह है कि जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहली बार में, व्यापारी प्रतिष्ठान को कार्ड के माध्यम से किए गए लेन-देन की राशि को संतुष्ट करने और निपटाने के लिए धन उपलब्ध कराने का जोखिम है।

धारा 67 से 70; कौन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

सेवा कर, नियत विनियमन और फाइल वापसी? 58. जहाँ तक कर योग्य सेवा के मूल्य का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जो अधिनियम की धारा 67 द्वारा शासित है। धारा 66 से

कर योग्य सेवा के मूल्य पर लगाया गया सेवा कर, धारा 67 में यह प्रावधान है कि कर योग्य सेवा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाना है। धारा 67 (1) (i) में विचार किया गया है कि जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए है, तो मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि होगी।

उसके द्वारा प्रदान किया गया। धारा 67 (1) (ii) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां सेवा का प्रावधान विचार के लिए है जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल नहीं है - पैसा। धारा 67 (1) (iii) एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां विचार किया जाता है।

सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में राशि का निर्धारण नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाना है। उप-धारा (3) घोषणा करती है कि सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के प्रावधान के दौरान कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई भी राशि सकल राशि में शामिल की जाएगी। उप-धारा (4) यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ती है कि उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन मूल्य निर्धारित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। द.

वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित धारा 67 का स्पष्टीकरण खंड (सी) घोषित करता है कि प्रभारित सकल राशि में चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती और निर्गम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल है। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट या पुस्तक समायोजन, अन्य बातों के साथ।

59. जहाँ तक सेवा कर के भुगतान का संबंध है,

अधिनियम की धारा 68 द्वारा शासित, सेवा कर का भुगतान करने का दायित्व किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर डाला जाता है। उप-धारा (2) में धारा 68 (1) के अधिदेश से हटने का विचार किया गया है,

कर योग्य सेवाओं के संबंध में, जिन्हें राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, सेवा कर का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 66 और अध्याय के प्रावधानों में निर्दिष्ट दर पर निर्धारित तरीके से किया जाना है (जो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं)। सेवा कर का भुगतान) इस तरह लागू होता है जैसे कि वह ऐसी सेवा से संबंधित सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो। धारा 68 को धारा 69 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के पंजीकृत होने के दायित्व का प्रावधान करता है। अध्याय 5 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर दायित्व डाला जाता है। कोई [2021] 13 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी के लिए मामला कि मामला धारा 68 (2) द्वारा शासित है जिसके लिए कर योग्य सेवा को उसके तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह कि धारा 68 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित तरीके से खुद को पंजीकृत करना चाहिए, नियमों के नियम 4 से स्पष्ट किया गया है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति खुद को पंजीकृत करने के लिए आवेदन करेगा और नियमों के सभी प्रावधान सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर पंजीकृत होने की देयता पर आधारित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा पंजीकरण का समर्थन संभव हो सकता है। धारा 70 सेवा कर का भुगतान करने, देय कर का आकलन करने और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर भी दायित्व डालती है।

60. धारा 66 के तहत सेवा कर का प्रभार कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर था जैसा कि धारा 65 (105) में गिना गया है। कर का माप धारा 67 में पाया जाता है। कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है धारा 68 द्वारा शासित और ऐसा व्यक्ति जो धारा 68 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, नियमों के साथ पठित धारा 69 के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए भी उत्तरदायी है और ऐसा व्यक्ति जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सेवा कर को भी कर का आकलन करना चाहिए और नियमों में निर्धारित धारा 70 के तहत विवरणी दाखिल करनी चाहिए।

61. मैंने पहले ही धारा 67 से 70 के दायरे को समझाया है। तथापि, इस न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुति में धारा 67 (1) (i) के संबंध में प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि "सेवा" अभिव्यक्ति

जारीकर्ता बैंक को देय और 3/- रुपये जो अधिग्रहणकर्ता बैंक को देय है। यह तर्क उस मामले से गुणात्मक रूप से अलग है, जिसे आयुक्त और न्यायाधिकरण के समक्ष इस अर्थ में स्थापित किया गया है कि प्रत्यर्थी का मामला यह प्रतीत होता है कि धारा 67 के तहत, सेवा प्रदाता को सकल राशि पर कर का भुगतान करना था, जिसके लिए उसने सेवा प्रदान की थी और यह तर्क देने का प्रयास किया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। मैं इसे लेता हूँ कि यह है, में

प्रभाव, एक निहित स्वीकृति कि जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि के निपटान के मामले में सेवा प्रदान करता है, जिसके लिए वह विनिमय शुल्क के रूप में 2/- रुपये कमाता है। अब, कि यह तर्क दिया जाता है

कि धारा 67 (1) (i) में "सेवा प्रदाता" अभिव्यक्ति में, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक शामिल होगा, मैं इसमें अधिक आश्वस्त महसूस करूंगा। हमारा निष्कर्ष है कि, पूरे समय, प्रत्यर्थी वास्तव में, जारीकर्ता बैंक के रूप में, धारा 65 (33ए) (iii) के तहत विचार की गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा इसके प्रतिस्थापन के बाद, धारा 67 (1) (i), जैसा कि मेरे द्वारा पहले से ही डिकोड किया गया है, प्रदान करता है कि जीएसटी और केंद्रीय अपवाद के कर योग्य आयुक्त का मूल्य v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि सेवा होगी।

ऐसी सेवा जो उसके द्वारा प्रदान की जाए या प्रदान की जाए। यह तर्क कि सकल राशि रु. 5/- होगी, जो अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए रु. 3/- और जारी करने वाले बैंक (विनिमय शुल्क) को देय रु. 2/- से बनाई गई है, इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि सकल राशि वास्तव में प्रदान की जाने वाली या विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में अनुमानित है। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि शब्द " सेवा प्रदाता "में जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक शामिल हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनों सेवा प्रदाताओं द्वारा ली जाने वाली सकल राशि, अर्थात्। , जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवा पर आधारित होना चाहिए। शब्द हैं।

" सकल राशि विभिन्न सेवा धारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य का योग नहीं हो सकती है। अधिग्रहण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग है। यह इतना स्पष्ट है कि इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा का मूल्य, जो कर का माप है, सेवा की प्रकृति पर निर्भर करता है। जाहिरा तौर पर, मूल्य के रूप में कर का माप, कार्ड एसोसिएशन द्वारा तय किया गया है, जिसके साथ, जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों ने अलग-अलग समझौते किए हैं। अधिग्रहण करने वाले बैंक की गतिविधि, और इसलिए, अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रतिवादी बैंक की गतिविधि से अलग हैं और इसलिए, सेवा अलग और विशिष्ट है। इसलिए, कानून में, दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा दो अलग-अलग सेवाओं के मूल्य को जोड़कर एक सकल राशि नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति "सकल राशि" को किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि यह प्रावधान इसके दायरे में नहीं आता है, किसी विशेष सेवा

प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सकल राशि पर पहुंचने के लिए अलग-अलग सकल राशि क्या होगी। इस संदर्भ में, मैं देख सकता हूं कि "प्रभारित सकल राशि" शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसमें कई रूपों में भुगतान शामिल है, जिसमें डेबिट नोट, पुस्तक समायोजन और किसी भी खाते में जमा या डेबिट की गई कोई भी राशि शामिल है। Rs.100/- के लेन-देन में विनिमय शुल्क 2/- रुपये की राशि है, जो प्रत्यर्थी-जारीकर्ता बैंक के खाते में जमा रहती है।

जब यह Rs.100/- के लेन-देन में केवल Rs.98/- के डेबिट से पीड़ित होता है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता को 2/- रुपये का भुगतान किया गया। यह केवल Rs.98/- है, जो अधिग्रहण करने वाले बैंक के खाते में प्रवेश करता है। द मर्चेंट

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिष्ठान को रु। 94.30, प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उदाहरण में, प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त Rs.98/- में से।

62. उपरोक्त से, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, धारा 65 (33ए) (iii) के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान करता है। यह उसी दिशा में है कि प्रतिवादी को विनिमय शुल्क के रूप में 2/- रुपये का भुगतान किया जाता है। इसलिए, अंतर-विनिमय शुल्क सेवा कर के लिए अनुपयुक्त है।

63. मान लीजिए, प्रतिवादी ने उक्त राशि पर कोई सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।

64. अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में, मैंने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार से पूछा कि यदि अधिसूचना जारी की जाती है तो क्या होगा।

अधिनियम की धारा 93 के तहत जारी किया जाता है, जो अधिग्रहण करने वाले बैंक को धारा 65 (33ए) (iii) के तहत अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा देय सेवा कर से छूट देता है। धारा 93 कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है।

किसी विनिर्दिष्ट विवरण का संपूर्ण या उस पर देय सेवा कर का कोई भाग। स्थिति क्या होगी, यदि केंद्र सरकार अधिग्रहण करने वाले बैंक को, विशेष रूप से, धारा 65 (33) (iii) के अर्थ के भीतर सेवा के लिए उसके द्वारा देय सेवा कर से छूट देती है? क्या जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित विनिमय शुल्क की राशि को छूट दी जाएगी?

और क्या जारीकर्ता बैंक ऐसी अधिसूचना के तहत आश्रय ले सकता है? यह

यह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि सेवा प्रदाता के रूप में अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा देय राशि, जारी करने वाले बैंक द्वारा देय राशि से अलग है, सेवाओं की प्रकृति अलग है और कर का माप भी अलग है।

क्या अंतर-विनिमय शुल्क सबसे दिलचस्प है और वहाँ है

सेवा के लिए समन्वय नहीं?

65. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार ने तर्क दिया कि विनिमय शुल्क वास्तव में है

ब्याज के समान और इसे किसी भी सेवा के लिए विचार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और सहायकों बनाम में अमेरिकी कर न्यायालय के फैसले से प्रेरणा ली।

आयुक्त, 133 टी. सी. सं. 8 (21 सितंबर, 2009)। यह निर्णय आयकर से संबंधित कानून के तहत लिया गया था। अधिनियम में निहित वैधानिक ढांचा उस कानून से अलग है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। विदेशी निर्णय के पत्तों से सिद्धांत को हटाना और इसे संदर्भ से बाहर लागू करना अनुचित है।

66. प्रत्यर्थी एक बैंकिंग संस्थान है। निस्संदेह, इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। वास्तव में यह एक

अनुसूचित बैंक। दिलचस्प बात यह है कि ब्याज कर अधिनियम, 1978, एक क्रेडिट संस्थान द्वारा अर्जित ब्याज पर धारा 4 में शुल्क का प्रावधान करता है, जिसमें जी. एस. टी. का आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v शामिल हैं।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

उत्तरदाता-बैंक। निस्संदेह, धारा 18 के तहत, ब्याज कर अधिनियम के तहत ब्याज पर भुगतान किए गए कर को आयकर अधिनियम के तहत काटा जा सकता है। यदि विनिमय शुल्क को ब्याज माना गया है, तो निस्संदेह, इसे ब्याज कर अधिनियम के तहत कर में लाया गया होगा। प्रत्यर्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान किया गया है और इसे ब्याज के रूप में माना गया है।

67. जबकि ब्याज के प्रश्न पर, मैं फेरो मिश्र धातुओं में निर्णय में रुचि की अवधारणा पर इस न्यायालय की चर्चा को देख सकता हूं।

कॉर्प. लिमिटेड वी. ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य 2:

" 129. सटीक रूप से, "ब्याज" शब्द केवल दो मामलों में लागू होगा जहां देनदार और लेनदार का संबंध है। एक ऋणदाता जो उधारकर्ता को कुछ निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, वह खुद को उन निधियों के उपयोग से वंचित कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह ब्याज लेता है जिसे धन के उपयोग के लिए एक प्रकार का किराया कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक या ऋणदाता ब्याज के भुगतान पर धन उधार देता है। इस मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है,

ऋणी और लेनदार का कोई संबंध नहीं है।

130. अब हम हैल्सबरी, 4 थ एडन का उल्लेख कर सकते हैं। , खण्ड. 32 , पैरा 108:

कानून ब्याज देय है (1) जहां एक स्पष्ट समझौता है ब्याज का भुगतान करना; (2) जहां ब्याज का भुगतान करने का समझौता पक्षों के बीच लेन-देन के क्रम से या लेन-देन की प्रकृति या संबंधित व्यापार या पेशे की प्रथा या उपयोग से निहित हो सकता है; (3) कुछ मामलों में अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के रूप में (केवल भुगतान करने के लिए अनुबंध के अलावा)

धन) जहाँ अनुबंध, यदि निष्पादित किया जाता है, पक्षकारों की जानकारी के अनुसार वादी को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। उल्लिखित मामलों को छोड़कर, ऋण पर ब्याज नहीं लगता है

सामान्य कानून।"

ऊपर वर्णित श्रेणियाँ। पैरा 109 कहता है: " ब्याज का समान अधिकार। — इक्विटी ब्याज में हो सकता है

कुछ मामलों में वसूली की जाती है जहां लेनदार और देनदार के बीच एक विशेष संबंध मौजूद होता है, जैसे कि बंधक और

1 1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 136 [2021] 13 एस. सी. आर.

बन्धक, व्यक्तिगत प्रतिनिधि और लाभार्थी, मूलधन और मुचलका, विक्रेता और खरीदार, मूलधन और अभिकर्ता, वकील और ग्राहक, न्यासी और लाभार्थी, या जहां देनदार लेनदार के लिए प्रत्ययी स्थिति में है, पर बाध्य और बाध्य। एक निश्चित समय के भीतर भुगतान नहीं की गई आर्थिक विरासतों पर, साझेदारी के विघटन पर, वार्षिकी के बकाया पर जहां कदाचार या भुगतान में अनुचित देरी हुई है, या धोखाधड़ी से प्राप्त या रखे गए धन के मामले में भी ब्याज की अनुमति है। यह भी अनुमति दी

जा सकती है जहां प्रतिवादी को कुछ ऐसा करना चाहिए था जो वादी को सामान्य कानून में ब्याज का हकदार बनाता, या वादी को कुछ ऐसा करने से गलत तरीके से रोकता है जो

वह इसका हकदार होता।"

यह अनुच्छेद वर्तमान मामले पर भी लागू नहीं होता है।

68. इस न्यायालय के निर्णय में उक्त दृष्टिकोण पर भरोसा किया गया है।

कर्नाटक राज्य और अन्य में v. कर्नाटक प्यादा दलाल

संगठन और अन्य। उक्त निर्णय में, मैं निम्नलिखित पर ध्यान दे सकता हूं:

" मुद्दा (iii)

29. इस मुद्दे को तय करने के लिए हमें पहले इस अवधारणा को समझना होगा -

ब्याज। यह बार-बार माना गया है कि ब्याज मूल रूप से धन के उपयोग या प्रतिधारण के लिए क्षतिपूर्ति है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण। , खण्ड. 32 , " ब्याज को परिभाषित किया गया है

इस प्रकार है:

" 127. सामान्य रूप से रुचि। -ब्याज एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से संबंधित या बकाया राशि के उपयोग या प्रतिधारण के लिए वापसी या क्षतिपूर्ति है। ब्याज दिन-प्रतिदिन अर्जित होता है, भले ही केवल अंतराल पर देय है और इसलिए मूलधन के उत्तराधिकार में हकदार व्यक्तियों के बीच समय के संबंध में विभाजित किया जा सकता है।

30. लॉ लेक्सिकन के अनुसार, पी. रामनाथन अय्यर द्वारा, तृतीय संस्करण।

(2005) (पी। 2402) खंड। 2 :

" " ब्याज का अर्थ है शामिल निधियों या धन का समय मूल्य,

जिसकी गणना, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, उस दर पर और उस आधार पर की जाती है जिसे बैंकिंग समुदाय द्वारा आम तौर पर स्वीकार किया जाता है।

शामिल धन की राशि "।

31. शब्दों और वाक्यांशों में स्थायी संस्करण, खंड। 22 पी। 148 ,

" ((i) "ब्याज" मूलधन के उपयोग के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति है। जर्सी सिटी बनाम। ज़िंक [जर्सी सिटी बनाम। ज़िंक, 44 ए 2 डी 825: 133 एन. जे. कानून 437 (1945)] , ए 2 डी पी। 828 " .

((ii) "ब्याज" का अर्थ है धन के उपयोग या सहनशीलता के लिए क्षतिपूर्ति। कॉम. आंतरिक राजस्व बनाम। मेयर [कॉम. आंतरिक राजस्व बनाम। मेयर, 139 एफ 2 डी 256 (छठा सिर 1943)], एफ 2 डी

पी पर। 259. "

69. यह अकल्पनीय है कि जारीकर्ता बैंक और कार्ड एसोसिएशन के रूप में प्रत्यर्थी के बीच लेनदार और देनदार संबंध है या

अधिग्रहण बैंक या यहाँ तक कि व्यापारी प्रतिष्ठान भी। प्रत्यर्थी को धन के ऋणदाता और अन्य तीन खिलाड़ियों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पहले वर्णित किया गया है, उधारकर्ता के रूप में। के संदर्भ में

लेनदार-देनदार संबंध के अस्तित्व पर आधारित जो अनुपस्थित है। रामनाथन अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकन में परिभाषा के संदर्भ में ब्याज, शामिल धन या धन पर एक समय मूल्य रखता है और इसके अलावा, इसमें वह दर भी शामिल होगी, जिस पर ब्याज की गणना की जाती है। एक बार फिर, यह परिभाषा ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच संबंधों के संदर्भ में उपयुक्त है। मैंने खुलासा किया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रकृति में क्रेडिट कार्ड लेनदेन के अनुमोदन का कार्य शामिल है। यह क्रेडिट कार्ड लेनदेन का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। यह आंशिक रूप से इस सेवा के लिए था कि विनिमय शुल्क प्रत्यर्थी द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में अर्जित किया जाता है। एक निहित अनुबंध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि विनिमय शुल्क स्पष्ट रूप से अनुबंध के संदर्भ में भुगतान किया जाता है। स्पष्ट रूप से, विनिमय शुल्क के आधार के रूप में इक्विटी को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि विनिमय शुल्क अनुबंध के तहत और प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए देय है। मैं हूँ, में परिस्थितियां, इस दृष्टिकोण से कि प्रत्यर्थी का तर्क निरर्थक है।

पी. ई. आर. आई. ओ. डी. 01.07.2012

70. धारा 66 बी की शुरूआत के साथ-साथ

धारा 65 बी (44) के तहत सेवा की परिभाषा और विधायिका उन सेवाओं की नकारात्मक सूची प्रदान करती है जो [2021] 13 एस. सी. आर. से बाहर थीं।

धारा 66 डी में सेवा कर का उद्ग्रहण, सवाल केवल यह होगा कि क्या कोई सेवा है और क्या इसे धारा 66 डी के तहत बाहर रखा गया है। विचाराधीन विवाद के लिए धारा 65 बी (44) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" (44) " "सेवा" से किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार के लिए की गई कोई गतिविधि अभिप्रेत है, और इसमें एक घोषित सेवा शामिल है, लेकिन

इसमें शामिल नहीं होगा -

(क) एक ऐसी गतिविधि जो केवल -

((i) माल या अचल संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण, बिक्री, उपहार या किसी अन्य तरीके से; या

((ii) किसी भी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति जिसे अनुच्छेद 366 के खंड (29ए) के अर्थ के साथ बिक्री माना जाता है।

संविधान; या

((ग) धन में लेन-देन या कार्रवाई योग्य दावा;

(ख) एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवा का प्रावधान

उसके रोजगार के पाठ्यक्रम या संबंध में;
(ग) किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में ली गई फीस।

उस समय के लिए जो लागू है "।

स्पष्टीकरण 2 मूल रूप से निम्नानुसार पढ़ा गया है;
" स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, में लेनदेन

मुद्रा में धन के उपयोग या नकद द्वारा या किसी अन्य तरीके से, एक रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग से दूसरे रूप, मुद्रा या मुद्रा में इसके रूपांतरण से संबंधित कोई गतिविधि शामिल नहीं होगी।

मूल्यवर्ग जिसके लिए एक अलग प्रतिफल लिया जाता है।

2015 में इसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया: -

" स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'धन में लेनदेन या कार्रवाई योग्य दावा' अभिव्यक्ति में शामिल नहीं होगा।

धन के उपयोग या उसके रूपांतरण से संबंधित कोई गतिविधि

(1)

नकद या किसी अन्य तरीके से, एक रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग, किसी अन्य रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग के लिए जिसके लिए एक अलग प्रतिफल लिया जाता है।

71. मैंने पहले ही धारा 65 (33ए) के संदर्भ में पाया है कि विधानमंडल ने सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को मान्यता दी है जो हैं -

क्रेडिट कार्ड लेनदेन के संबंध में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा प्रदान किया गया, जीएसटी आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

अन्य बातों के साथ। मैंने आगे पाया है कि जारीकर्ता बैंक वास्तव में ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिनके बिना क्रेडिट कार्ड लेनदेन असंभव हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नई व्यवस्था के तहत सेवा का गठन करने के लिए चार तत्व हैं (i) एक गतिविधि, (ii) सेवा प्रदाता द्वारा, (iii) सेवा प्राप्तकर्ता के लिए और (iv) इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह निस्संदेह किसी भी घोषित सेवा से अलग है। मेरा स्पष्ट मत है कि सभी इस मामले में सामग्री उस सेवा के अलावा क्रेडिट कार्ड के तहत लेन-देन की गई राशि के निपटान में संतुष्ट होती है जो जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड धारक द्वारा की जाती है जो एक अलग सेवा का गठन करती है। कार्ड एसोसिएशन के साथ समझौते के तहत जारी करने वाला बैंक उन गतिविधियों में शामिल होता है जिनमें उस प्रणाली का हिस्सा होना शामिल है जो लेनदेन के अनुमोदन के साथ शुरू होती है जो

तुरंत व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड धारक को उसके द्वारा भुगतान किए बिना वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री में समाप्त हो जाती है और आगे आवश्यक धन को बनाए रखने का जोखिम उठाती है जिसके द्वारा अधिग्रहण करने वाला बैंक अंततः व्यापारी प्रतिष्ठान को राशि उपलब्ध कराता है।

एक साथ क्रेडिट कार्ड हस्तांतरण ए

पैसे में लेन-देन?

72. एकमात्र तर्क जो अन्यथा उठाया जाता है वह यह है कि

धन में लेन-देन और इसलिए इसे सेवा शब्द की परिभाषा से बाहर रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय 2013 (30) एस. टी. आर. 347 द्वारा दिए गए निर्णय में, चिट के लेन-देन के संदर्भ में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" केवल पैसे के लेन-देन या कार्रवाई योग्य दावे में, कोई सेवा नहीं है

इसमें केवल पैसे का भुगतान और रसीद शामिल है।

XXX

XXX

XXX

केवल धन में एक लेनदेन के सकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है

लेन-देन। लेकिन जो सेवा कर के लिए देय है वह नहीं है

पैसे में ही लेनदेन क्योंकि इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जा सकता है सेवा के रूप में।

XXX

XXX

XXX

परिभाषा स्पष्टीकरण 2 में अंतर्निहित है। यह स्पष्टीकरण नक्काशी द्वारा परिभाषा के बहिष्करण भाग के लिए एक अपवाद बाहर

यह उपबंध करते हुए कि धन के उपयोग से संबंधित कोई गतिविधि या

नकद या किसी अन्य माध्यम से, एक रूप, मुद्रा [2021] 13 एस. सी. आर. से रूपांतरण।

या किसी अन्य रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग के लिए मूल्यवर्ग

जिस पर अलग से प्रतिफल लिया जाता है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। पैसे में लेन-देन के रूप में "।

XXX

XXX

XXX

73. विनिमय शुल्क जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित किया जाता है

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए प्रतिफल। तीन मुख्य भागीदारों-जारी करने वाले बैंक, कार्ड संघ और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का जटिल जाल व्यापारी प्रतिष्ठान को देय राशि के निपटान में समाप्त होता है, जिसे शुरू में क्रेडिट पर सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजी किया गया था, लेकिन इस आश्वासन पर कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन को अपने स्तर पर ले जाया जाएगा। तार्किक समापन। यह स्पष्ट है कि सक्रिय भूमिका जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है जारीकर्ता बैंक द्वारा की गई गतिविधि अनिवार्य है और प्रणाली में लेनदेन के केंद्र में है जिसके तहत हालांकि

अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध मशीनों के लिए व्यापारी को भुगतान किया जाता है। प्रत्येक लेन-देन के लिए जारीकर्ता बैंक को लेन-देन को मंजूरी देनी होगी। जोखिम जो जारीकर्ता बैंक द्वारा लिया जाता है जो फिर से धन उपलब्ध कराता है और निधि का रखरखाव करता है।

समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार और संविदात्मक दायित्वों के तहत जारीकर्ता बैंक द्वारा की जाने वाली सेवा का हिस्सा है। अधिनियम के तहत जिस पर कर लगाने की मांग की जाती है, वह विनिमय शुल्क है न कि वह राशि जो उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए, मेरा विचार है कि प्रत्यर्थी का यह तर्क कि यह केवल धन में लेन-देन है, शामिल है।

जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा को नजरअंदाज करना। स्पष्टीकरण के भीतर धन के उपयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से गतिविधि है।

एबीएन एमरो को चुनौती न देने का प्रभाव

(एसयूपीआरए)

74. अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी के पास नहीं है

उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, यह उक्त आदेश का पालन करते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने से वंचित है।

75. इस संबंध में, मैं निम्नलिखित मामले कानून को नोटिस और विचार करता हूं।

प्रत्यर्थी पर भरोसा किया।

76. भारत संघ और अन्य में v. कौमुदिनी नारायण दलाल

और दूसरा, यह देखते हुए कि राजस्व ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया था, यह पाया गया कि यह राजस्व के लिए खुला नहीं था सिवाय इसके कि

9 (2001) 10 एस. सी. सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग के आयुक्त v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस मामले में निर्धारिती और बिना किसी उचित कारण के अन्य निर्धारिती के मामले में इसकी शुद्धता को चुनौती देता है।

77. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कं. Ltd.[10], निस्संदेह, पैराग्राफ-9 में, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 9. अधिसूचना की व्याख्या के सवाल के अलावा, अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि बजाज ऑटो मामले में न्यायाधिकरण का दिनांक 2-9-1998 का निर्णय एक मेसर्स बजाज ऑटो के कारखाने में निर्मित और आकर्षक रूप से उपयोग किए जाने वाले मापकों के संबंध में 1986 की अधिसूचना के लाभ की अनुमति देने को चुनौती नहीं दी गई थी। हम इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि न्यायाधिकरण की व्याख्या को राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और वे अब एक असंगत रुख अपनाने से वंचित हैं। (भारत संघ बनाम देखें। कौमुदिनी नारायण दलाल [(2001) 10 एस. सी. सी. 331: (2001) 249 आईटीआर 219]।) ”

78. उक्त मामले में शामिल प्रश्न यह था कि क्या प्रत्यर्थी निर्धारिती छूट के लाभ के हकदार थे

अधिसूचना में निहित स्पष्टीकरण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना। यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और पाया कि विचाराधीन माल छूट अधिसूचना द्वारा कवर किए गए थे। इसके बाद पैराग्राफ-9 में जो कहा गया है,

विवादित आदेश को बनाए रखने के निर्णय के पूरक होने का कारण पाया गया। 79. बिड़ला कॉर्प में। लिमिटेड वी. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ", न्यायालय ने अपीलार्थी के इस कथन पर ध्यान दिया कि कई निर्णयों के बाद, दो मामलों में न्यायाधिकरण के विचार, जिन्हें उसमें संदर्भित किया गया था, और कानून पूरी तरह से तय हो गया था। हम निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान देते हैं:

" 5. तत्काल मामले में वही सवाल विचार के लिए उठता है और तथ्य लगभग समान होते हैं। हम राजस्व को इस मामले में अलग रुख अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते। इससे पहले की अपील समान मुद्दे को दबाया नहीं गया था और इसलिए खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने स्वीकार करने का एक सचेत निर्णय लिया है

पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड [(2001) 130 ई. एल. टी. 193 में निर्धारित सिद्धांत: (2001) 42 आरएलटी 800 (सी. ई. जी. ए. टी.)] को अनुमति नहीं दी जा सकती है

10 (2003) 11 एस. सी. सी. 19311 (2005) 6 एस. सी. सी. 95 [2021] 13 एस. सी. आर.

इस मामले में विपरीत रुख अपनाएँ। अगर हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तो कानून भ्रम की स्थिति में होगा और अधिकारियों के साथ-साथ कर निर्धारकों को भी दुविधा में डाल देगा।

वास्तव में, न्यायालय ने निर्धारिती की अपील को स्वीकार कर लिया।

80. जयस्वाल एन. ई. सी. ओ. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर 1 2, निर्धारिती द्वारा एक अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय ने पाया कि विभाग ने छूट देने वाली अधिसूचना के संबंध में सी. जी. ए. टी. के निर्णय को स्वीकार कर लिया था और यह पता लगाने के लिए कि उसके समक्ष मामले में शामिल अधिसूचना, सामग्री में समान थी।

और लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर)। मैं पहले ही ए. बी. एन. अमरो (ऊपर) में निर्णय के आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख कर चुका हूं। विशेष रूप से, मैंने देखा है कि न्यायाधिकरण द्वारा परागरापा-8 में क्या निर्णय लिया गया है। मेरा स्पष्ट मत है कि उसमें लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से असंगत है। अधिनियम के तहत वैधानिक योजना के साथ, और जारी करने वाले बैंक की भूमिका के बारे में केवल संभावित निष्कर्ष हैं, जिन पर मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ। वास्तव में, मैं देखता हूं कि लिखित प्रस्तुतियों में भी, अन्य बातों के साथ-साथ, बहुत निष्पक्ष रूप से, निम्नानुसार कहा गया है:

" 8.2 हालाँकि पैरा 8 में दिए गए अवलोकन पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं।

यह निष्कर्ष कि सेवा कर दो बार नहीं लगाया जा सकता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले पर आधारित है, अभी भी उचित है और इससे बचा हुआ है। इसके अलावा, यह निष्कर्ष भी कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है

लागू किया जाए "।

मैंने लिखित प्रस्तुतियों में इस स्थिति पर भी ध्यान दिया है कि धारा 67 के तहत, अधिग्रहण करने वाला बैंक और जारी करने वाला बैंक दोनों ही सेवा प्रदान करते हैं।

प्रदाता। लिखित प्रस्तुतियों में यह भी कहा गया है कि धारा 65 (33ए) (iii) के तहत, सेवा जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक दोनों द्वारा प्रदान की गई है और तदनुसार शुल्क लिया गया है। मैं संभाल लूंगा

दोहरा कराधान और सीमा की विस्तारित अवधि से संबंधित पहलू अलग से।

12 2 (2007) 13 एस. सी. सी. 807 जी. एस. टी. और केंद्रीय आयुक्त बनाम। मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

83. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी यह इंगित करता है कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क कि कोई अपील नहीं की गई थी क्योंकि एबीएन अमरो (ऊपर) मामले में सीमा/देरी का मुद्दा था और इसे गलत बताया गया है। यह कहा गया है कि अपील समय के भीतर दायर की गई थी। अपील में लिया गया एक आधार यह है कि जिस आधार पर ए. बी. एन. अमरो (ऊपर) का निर्णय लिया गया था, वह अपीलार्थी के मामले से अलग था। यह भी बताया गया कि उक्त मामले में आधार यह था कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा कर का भुगतान करने के तथ्य पर विभाग द्वारा कोई विवाद नहीं था। मुझे लगता है कि मामले की परिस्थितियों में, मैं केवल इस आधार पर अपीलों को अस्वीकार नहीं कर सकता कि एबीएन अमरो (उपरोक्त) के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

कारण सूचना दिखाने से प्रतिबंध [संख्या]

एक]; 84. प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि आयुक्त द्वारा जारी कारण दिखाएँ नोटिस में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया

प्रत्यर्थी के इस कथन की अस्वीकृति का आधार कि प्रत्यर्थी बैंक द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक के प्रति जारी करने वाले बैंक के रूप में कोई सेवा नहीं की जा रही थी। हालाँकि, यह बताया गया है कि आदेश में एक विचलन है और जो पाया गया है वह यह है कि सेवा जारीकर्ता द्वारा की जा रही है। कार्ड एसोसिएशन के साथ समझौते के संदर्भ में बैंक। आयुक्त के आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थी ने यह तर्क देते हुए कारण दर्शाएँ नोटिस का बचाव किया है कि वह अधिग्रहण करने वाले बैंक को कोई सेवा नहीं दे रहा था। अदालतों ने नहीं किया

एक प्राधिकरण को कारण दिखाएँ नोटिस से परे जाने की अनुमति दी गई उस पूर्वाग्रह के बारे में जो नोटिस प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। इस संबंध में, मुझे ध्यान देना चाहिए कि जबकि कारण दिखाएँ नोटिस इंगित करता है कि

आयुक्त ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को खारिज करते हुए आगे बढ़े थे कि वे अधिग्रहण करने वाले बैंक को कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, यह सही नहीं है, वास्तव में नोटिस में इंगित अंतिम निष्कर्ष के आधार का संदर्भ है जो यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी ने सेवा आय अर्जित की है, अर्थात। , विनिमय शुल्क, जो धारा 65 (33ए) के साथ पठित धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के तहत कर योग्य है। इसके अलावा, कुछ तथ्यों पर कानून को लागू करने का सवाल होना जो विवाद में नहीं हैं

अर्थात् वह तरीका जिसमें क्रेडिट कार्ड प्रणाली संचालित होती है जिसके बारे में [2021] 13 एस. सी. आर.

कोई विवाद नहीं है और हमारे इस निष्कर्ष पर कि सेवा वास्तव में क्रेडिट कार्ड के तहत राशि लेनदेन के निपटान के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रदान की जाती है, मैं इस मामले के तथ्यों में नहीं सोचता कि प्रतिवादी को इस बिंदु पर सफल होना चाहिए।

85. इस संबंध में, इस न्यायालय के समक्ष लिखित प्रस्तुति में प्रत्यर्थी के रुख पर ध्यान देना इस मामले में प्रासंगिक है, जो

यह स्वीकार करता है कि जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक धारा 65 (33 ए) (iii) के अर्थ के भीतर सेवा प्रदाता हैं।

प्रमाण पत्र; दोहरा कर

86. सर्कुलर नं. एसटी-51/13/2002 दिनांक 07.01.2003, जिस पर वास्तव में, आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया था, आया

कुछ सेवाओं के वर्गीकरण के संबंध में उठाए गए संदेहों के आलोक में जारी किया जाना चाहिए, जो दो या दो से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आती प्रतीत होती हैं।

एक साथ। निम्नलिखित बात निर्धारित की गई थी:

" 2. बोर्ड में इस मामले की जांच की गई है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी सेवा (लेनदेन) पर कर लगाया जा सकता है

केवल एक बार, भले ही यह दो या दो से अधिक श्रेणियों में आता प्रतीत हो। इसलिए, सेवा कर लगाने से पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि कोई विशेष सेवा किस श्रेणी में आती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेवा कर सेवा पर एक कर है।

प्रदान किया जाता है और सेवा प्रदाता से वसूल किया जाता है (कुछ मामलों में सेवा प्राप्तकर्ता से भी)। यह स्थिति केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समान है जो विनिर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। जिस तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दो अलग-अलग अध्यायों/शीर्षकों/उप-शीर्षकों के तहत एक ही माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दो बार नहीं लगाया जा सकता है, उसी तरह एक ही सेवा (लेनदेन) पर भी दो बार सेवा कर नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, एक सेवा प्रदाता एक से अधिक कर योग्य सेवा प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में, सेवा प्रदाता को केवल एक पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे सभी कर योग्य सेवाओं के लिए अनुमोदित किया जाएगा और कर देयता को प्रत्येक कर योग्य सेवाओं के लिए अलग से निर्वहन करना होगा।

87. उपरोक्त परिपत्र में विचार किया गया है कि यदि एक सेवा प्रदाता एक से अधिक कर योग्य सेवा प्रदान करता है, तो एक पंजीकरण पर्याप्त है, लेकिन सभी कर योग्य सेवाओं के लिए इसका समर्थन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक कर योग्य सेवा के लिए कर देयता का भुगतान करना होगा।

अलग से। क्रेडिट कार्ड लेन-देन के संदर्भ में, कार्ड धारक के लिए जारी करने वाले बैंक के रूप में, प्रत्यर्थी कार्ड धारक को कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, यदि अधिनियम की धारा 65 (33ए) के तहत, जीएसटी आयोग और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्यर्थी आई. डी. 1 तक अन्य सेवाओं में संलग्न रहा है और उसके बाद विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसे कर योग्य सेवाओं के अपने कर दायित्व का अलग से निर्वहन करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिच्छेद-3 में दिए गए परिपत्र में किसी विशेष सेवा के सही वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। लेकिन यह कहना एक बात है कि एक सेवा है और सवाल उस सेवा के वर्गीकरण का है और दूसरा यह कहना है कि यदि एक ही सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली एक से अधिक सेवाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग कर योग्य है, तो सेवा प्रदाता को केवल एक कर का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट है कि प्रदान की जाने वाली प्रत्येक अलग-अलग सेवा के लिए, सेवा प्रदाता अलग-अलग कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

88. जहां तक 17.12.2004 दिनांकित परिपत्र का संबंध है, यह एक ग्राहक द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में देय सेवा कर से संबंधित है।

माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में माल परिवहन एजेंसी। पैराग्राफ-4.4 में कहा गया है कि अधिसूचना 35/2004 दिनांकित है।

03.12.2004 कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है, जो सेवा कर का भुगतान करने के लिए बाध्य माल ढुलाई के लिए भुगतान करते हैं। पैराग्राफ 4.5 में प्रावधान किया गया है कि पैराग्राफ 4.4 में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाना है। इसके बाद उस अनुच्छेद पर प्रत्यर्थी ने भरोसा किया, अर्थात। , परिच्छेद 5 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

" 5.7 . यदि किसी खेप के परिवहन पर देय सेवा कर का भुगतान किया गया है या सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उत्तरदायी है, तो दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से समान राशि के लिए सेवा कर नहीं लिया जाना चाहिए। "

89. इसमें पहले उल्लिखित निर्देश जारी करने का संदर्भ यह था कि केवल एक ही सेवा है और अनुच्छेद 4.4 और 4.5 पारस्परिक रूप से अनन्य श्रेणियां थीं, और फिर भी, यदि भुगतान एक श्रेणी द्वारा किया

जाता है, तो स्पष्ट रूप से दोहरा कराधान होगा, यदि फिर से, उसी सेवा पर, दूसरी श्रेणी के व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

90. दोहरे कराधान पर रहते हुए, मैं श्री कृष्ण दास बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दे सकता हूं। नगर क्षेत्र समिति 1 3:

" 28. हम अपीलार्थी के निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि इस मामले में दोहरा कर लगाया गया था। "दोहरा कराधान" अभिव्यक्ति का उपयोग अक्सर अलग-अलग अर्थों में किया जाता है, अर्थात्, इसके सख्त रूप में।

13 (1990) 3 एससीसी 645 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यक्ष दोहरे कराधान की कानूनी भावना और अप्रत्यक्ष दोहरे कराधान के अपने लोकप्रिय अर्थ में। सख्त कानूनी अर्थों में दोहरे कराधान का अर्थ है एक ही संपत्ति या विषय वस्तु पर दो बार कर लगाना, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही अवधि के लिए और एक ही क्षेत्र में। दोहरा कराधान गठित करने के लिए, दो या दो से अधिक कर (1) एक ही संपत्ति या विषय वस्तु पर, (2) एक ही सरकार या प्राधिकरण द्वारा, (3) एक ही कराधान अवधि के दौरान लगाए गए होने चाहिए, और

विभिन्न राज्य, (ख) अधिरोपणों में से एक कर नहीं है, (ग) एक कर यह संपत्ति के खिलाफ है और दूसरा संपत्ति कर नहीं है, या (घ) दोहरा कराधान प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष है।

91. भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य में v. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर 1,4, निर्धारिती ने शुल्क भुगतान सिल्ल का उपयोग किया सांचे और नीचे के स्टूल, जब वे अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसे अन्य गैर-शुल्क भुगतान किए गए स्क्रैप और गर्म धातु के साथ मिश्रण के साथ फिर से पिघलाते हैं।

स्टील की सिल्लियों का निर्माण। अधिसूचना के संदर्भ में छूट के लिए निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने राहत दी। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

केवल तभी जब शुल्क भुगतान किए गए पिग आयरन का उपयोग किया जाता है और छूट तब उपलब्ध नहीं होगी जब शुल्क भुगतान किए गए पिग आयरन को अन्य गैर-शुल्क भुगतान सामग्री के साथ मिलाया जाता है। यदि सरकार का इरादा अन्य सामग्रियों के साथ मिलाने पर शुल्क भुगतान किए गए लोहे की छूट को बाहर करना था, तो अधिसूचना में शुल्क भुगतान किए गए लोहे के संबंध में "केवल" या "विशेष रूप से" या "पूरी तरह से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया होगा। अधिसूचना का उद्देश्य

शुल्क से छूट देकर राहत देना था पेड पिग आयरन "।

14 (1976) 2 एस. सी. सी. 123 जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [के. एम. जोसेफ, जे.]

सेवा कर का प्रभाव एक मूल्य जोड़ा गया

कर 92. जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का संबंध है कि सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर है, कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। दी जाने वाली सेवाएँ

पिछली व्यवस्था के साथ-साथ उसी सेवा के लिए 01.07.2012 के बाद की रूपरेखा भी, कानून उसी सेवा के संबंध में कर के समान माप पर उसी कर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, यदि प्रत्यर्थी द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए, उसने विनिमय शुल्क अर्जित किया है, जो कर का माप होना चाहिए, बैंक का अधिग्रहण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, उसने उक्त राशि पर कर का भुगतान किया है, तो फिर, प्रत्यर्थी पर फिर से कर लगाना अवैध और अनुचित होगा। यह एक और बात है कि प्रतिवादी वह व्यक्ति है जो धारा 70 के तहत विवरणी दाखिल करने और विनिमय शुल्क को कर योग्य सेवा का मूल्य मानने के बाद विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। ये सभी मामले हैं, जिनसे मैं विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सहमत हूं। हालांकि, मैं विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सहमत होने में असमर्थ हूं कि भले ही अधिग्रहण करने वाले बैंक ने एम. डी. आर. के हिस्से के रूप में इसे मानते हुए, विनिमय शुल्क के रूप में देयता का निर्वहन किया हो, तो भी प्रतिवादी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

93. मैं इस बात से अवगत हूं कि अपीलार्थी के तर्क में निम्नलिखित तर्क शामिल हैं। कानून में प्रतिवादी को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया जा रहा है विनिमय शुल्क पर और, जैसा कि माना जा सकता है, उसके द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, इस पर विचार करना विभाग का काम नहीं है कि क्या अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा कर का भुगतान किया गया था, यह मानते हुए भी कि यह विनिमय शुल्क सहित किसी राशि पर था। लेकिन वास्तव में इसमें दोहरा कराधान शामिल है।

कारण सूचना दिखाएँ: से विभाजन

आयोग का आदेश [दो की संख्या]:

94. प्रत्यर्थी द्वारा बताया गया एक अन्य पहलू यह है कि कारण दर्शाएँ नोटिस में, आयुक्त ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि विनिमय शुल्क, [2021] 13 एस. सी. आर. पर सेवा कर के अधिग्रहण बैंक द्वारा भुगतान किया गया है।

95. यह सच हो सकता है कि कारण दर्शाओ नोटिस में यह कथन शामिल है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा विनिमय शुल्क पर सेवा कर के भुगतान का तथ्य, निर्धारिती को सेवा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त विचार पर सेवा कर के भुगतान से छूट नहीं देता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अनिवार्य रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त प्रत्यर्थी के मामले का उल्लेख कर रहे थे कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने विनिमय शुल्क पर कर का भुगतान किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे यह धारणा बनती है कि आयुक्त आगे बढ़ता है, जैसे कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान किया गया था, जो लेखा परीक्षा के दौरान प्रतिवादी का मामला था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी के लिए यह भी मामला है कि एक मूल्य वर्धित कर होने के नाते, भले ही, अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है, प्रतिवादी बना रहेगा।

उत्तरदायी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब आयुक्त के आदेश को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो इस दावे के समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने विनिमय शुल्क की राशि पर भी दायित्व का निर्वहन किया था।

96. इस संबंध में, यह ध्यान देना उचित है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील में, संकलन संख्या 3 के साथ प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी, बिना किसी संदेह के लिए गए आधारों में से एक यह है कि विवादित आदेश एससीएन के दायरे से परे चला गया। इसके तहत, हालांकि, शिकायत, जो की जानी चाहिए थी, वह यह थी कि एससीएन में, आयुक्त द्वारा स्थापित मामला यह था कि सेवा अधिग्रहण करने वाले बैंक को थी, जबकि, आयुक्त द्वारा पारित आदेश इस आशय का था कि सेवा कार्ड एसोसिएशन को प्रदान की गई थी। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर एससीएनएस कार्यवाही के संबंध में अपील में कोई आधार नहीं लिया गया है, जिसे स्वीकार किया जा रहा है, और इस तरह, आदेश में एक नया मामला पाया जा रहा है। वास्तव में, 'दोहरे कराधान' के आधार पर, अनुच्छेद-74 में वर्जित होने के कारण, इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है:

" 74. विवादित आदेश में पाया गया है कि अपीलार्थी ने अपने दावे के समर्थन में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है कि अधिग्रहण बैंक द्वारा मर्चेंट डिस्काउंट पर इंटरचेंज शुल्क पर पहले से ही सेवा कर का भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में, अपीलार्थी इच्छा करता है

यदि और जब प्रस्तुत किया जाता है तो प्रासंगिक दस्तावेजों को संदर्भित करने और उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि यह सराहना की जानी चाहिए कि अपीलार्थी के पास अधिग्रहण करने वाले बैंक के साथ संपर्क की कोई गोपनीयता नहीं है, और उक्त दस्तावेजों को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा। जबकि कर विभाग के पास यह जानकारी सीधे अधिग्रहण करने वाले बैंक से प्राप्त करने की क्षमता है। द टैक्स विभाग ने हालांकि इसकी मांग नहीं की है या कोई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है या यहां तक कि आरोप भी नहीं लगाया है कि अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी छूट पर सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा है। विवादित आदेश, इस पहलू की सराहना करने में विफल रहने से अपीलार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरा कराधान हुआ है, और यह तय किए गए कानूनी सिद्धांतों के साथ-साथ उद्धृत निर्णयों के विपरीत भी है और इस प्रकार, गलत और अस्थिर है, और इसलिए इसे दरकिनार किया जा सकता है।

97. मैं यह भी देख सकता हूं कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में, न्यायाधिकरण आयुक्त के बारे में शिकायत को नोटिस करता है।

अपील में आधार के संदर्भ में एससीएन से प्रस्थान, जिसे मैंने निर्धारित किया है। अंतिम लेकिन कम से कम, न्यायाधिकरण के वास्तविक तर्क पर ध्यान देना प्रासंगिक है, जिसके कारण आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया, जो इस प्रकार है:

" 5.11 जो भी हो, हम पाते हैं कि ए. बी. एन. एम. आर. ओ. (उपरोक्त) के मामले में न्यायाधिकरण के एक बहुत ही हाल के निर्णय में, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त राशि क्रेडिट कार्ड सेवाओं के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती है कि जब बैंक ने पूरी राशि पर सेवा कर देयता का निर्वहन किया है, तो अपीलार्थी द्वारा कोई सेवा कर देय नहीं है और यह कि अपीलार्थी द्वारा दी गई राशि

अपीलार्थी क्रेडिट के योग्य नहीं है। ..... "

98. इसके बाद, ए. बी. एन. अमरो (ऊपर) के पैराग्राफ-6 से 8 का संदर्भ दिया जाता है, जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

99. न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के आधार पर, और न

इससे भिन्न होने का कारण, इस कानूनी आधार पर, आदेश

आयुक्त को अलग कर दिया गया। मैं देख सकता हूं कि उक्त मामले में, पैराग्राफ-6 में, विभाग ने वास्तव में इस बात पर विवाद नहीं किया कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जा रहा था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100. ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी का तर्क

यह संबंध, मुझे आकर्षित नहीं करता है। मुझे ध्यान देना चाहिए कि प्रतिवादी ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है।

बाहर निकल चुका एक भी व्यक्ति

24.04.2013 दिनांकित कारण सूचना दिखाने की माँग के संबंध में सीमा उपलब्ध है?

101. उक्त कारण दिखाएँ नोटिस अक्टूबर की अवधि से संबंधित है,

2007 जून, 2012 तक। सामान्य अवधि जिसके भीतर वित्त अधिनियम की धारा 73 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रासंगिक तिथि से 18 महीने है। हालांकि, धारा 73 (4) के प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर दमन किया जाता है तो अवधि को बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी का तर्क था कि उसके द्वारा कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया था। केवल निष्क्रियता थी। यह आगे तर्क दिया गया कि विभाग को प्रतिवादी द्वारा जारीकर्ता बैंक के रूप में विनिमय शुल्क की प्राप्ति के बारे में पता था। लेखापरीक्षा होती थी। एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा करके आयुक्त द्वारा इन तर्कों को खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त निर्णय अधिनियम की धारा 11 ए के तहत दिया गया था। इस संबंध में धारा 11 ए के प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम की धारा 73 के संबंधित प्रावधानों के साथ समान हैं। दमन दोनों कानूनों में अवधि बढ़ाने के आधार के रूप में पाया जाता है। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवधि विभाग द्वारा ज्ञान के साथ शुरू होती है।

102. दमन पर रहते हुए, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 ए के तहत दिए गए इस न्यायालय के फैसले को फिर से देख सकता हूं और रिपोर्ट कर सकता हूं

बजाज ऑटो लिमिटेड, वालुज, औरंगाबाद (ऊपर)। उक्त मामले में, मुझे निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

" 15. अधिनियम की धारा 11-ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को संबंधित तिथि से छह महीने के भीतर ऐसी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है जहां शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है। लेकिन यह शर्त धारा 11-ए (1) सीमा की एक विस्तारित अवधि प्रदान करती है बशर्ते कि शुल्क नहीं लगाया जाता है या भुगतान नहीं किया जाता है या जो कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, यदि धोखाधड़ी, मिलीभगत या कोई जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों का दमन, या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन है। इस प्रकार दी गई विस्तारित अवधि छह महीने के बजाय पांच साल की है। चूंकि परंतुक ने

सीमा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है, इसलिए यह जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद का पर्यवेक्षक v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

अस्तित्व में था। लेकिन विभाग के आने के बाद यह बोझ निर्धारिती पर पड़ता है। यह दिखाने के लिए सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम है कि अपीलार्थी दोषी है

उन स्थितियों में से कोई भी खंड में कल्पना की गई है।

16. इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय सी. सी. ई. बनाम. चेम्फर

ड्रग्स एंड लिनिमेंट्स [(1989) 2 एस. सी. सी. 127: 1989 एस. सी. सी. (कर) 245]

आयोजित: (जब निर्धारित अवधि उससे छह महीने पहले की थी

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 12-5 से प्रभावी एक वर्ष बनाया गया

2000) : (एस. सी. सी पी. 131, पैरा 9)

" 9 ..... शुल्क की मांग को आगे भी टिकाऊ बनाने के लिए

छह महीने की अवधि और 5 साल की अवधि तक

अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसार,

यह स्थापित करने के लिए कि उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या

भुगतान किया गया या कम समय के लिए लगाया गया या कम समय के लिए भुगतान किया गया, या गलती से वापस किया गया धोखाधड़ी या मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन के कारण या

तथ्यों का दमन या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन

भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम कर्तव्य की। केवल निष्क्रियता के अलावा कुछ सकारात्मक या

निर्माता या निर्माता की ओर से विफलता या

जानकारी को सचेत या जानबूझकर रोके रखना जब

निर्माता को अन्यथा पता था, इससे पहले कि इसकी आवश्यकता हो

छह महीने की अवधि से पहले किसी भी दायित्व से ग्रस्त।

चाहे वह तथ्यों और परिस्थितियों के एक विशेष समूह में हो

क्या कोई धोखाधड़ी या मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन या दमन था

या किसी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन, का प्रश्न है

किसी विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथ्य मामला "।

(जोर दिया गया)

17. कॉस्मिक डाई केमिकल v. सी. सी. ई. [(1995) 6 एस. सी. सी. 117]

आयोजित: (एससीसी p.119, पैरा 6) " 6. अब जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का सवाल है, यह स्पष्ट है

कि अपेक्षित आशय अर्थात कर्तव्य से बचने का आशय इनमें निहित है।

बहुत शब्द। जहाँ तक तथ्यों का गलत कथन या दमन है

संबंधित, वे स्पष्ट रूप से 'विलफुल' पूर्ववर्ती शब्द से योग्य हैं

शब्द 'गलत कथन या तथ्यों का दमन' जिसका अर्थ है कर्तव्य से बचने के इरादे से। शब्दों का अगला सेट '[2021] 13 एस. सी. आर. का उल्लंघन है।

इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान को फिर से अर्हता प्राप्त है

भुगतान से बचने के इरादे से तुरंत निम्नलिखित शब्द

कर्तव्य '। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि एक हो सकता है

तथ्य का दमन या गलत कथन, जो जानबूझकर नहीं है और

फिर भी के उद्देश्य के लिए एक अनुमेय आधार का गठन करता है

धारा 11-ए का परंतुक। तथ्य का गलत कथन या दमन

जानबूझकर होना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

18. आनंद निशिकावा कंपनी लिमिटेड बनाम। सीसीई [(2005) 7 एससीसी 749]

इस न्यायालय ने टिप्पणी की है: (एस. सी. सी पी. 759, पैरा 27) " 27. ..... हम पाते हैं कि 'तथ्यों का दमन' केवल एक ही हो सकता है

जानबूझकर शुल्क के भुगतान से बचने के लिए। जब तथ्यों का पता चला दोनों पक्षों के लिए, एक द्वारा वह करने के लिए चूक जो उसके पास हो सकता है

किया और ऐसा नहीं कि उसने किया होगा, इसे प्रस्तुत नहीं करेगा दमन। यह एक स्थापित कानून है कि घोषणा करने में विफलता ही ऐसा करती है

जानबूझकर दमन के बराबर नहीं है। कुछ सकारात्मक होना चाहिए

जानबूझकर दमन का पता लगाने के लिए निर्धारिती की ओर से कार्य करें।

(जोर दिया गया)

" 19. हमारे विचार में, प्रासंगिक प्रावधान को पढ़ने पर

धारा के परंतुक द्वारा प्रदत्त सीमा की विस्तारित अवधि

11 - अधिनियम के ए (1) को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब कोई सचेत व्यक्ति हो।

धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत कथन, दमन का कार्य

तथ्य, या अधिनियम या किसी के प्रावधानों का उल्लंघन

प्रभार्य व्यक्ति की ओर से इसके तहत बनाए गए नियम

कर्तव्य या उसका अभिकर्ता, शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से। में

वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए ऐसा नहीं किया है

कहा कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ थीं या नहीं जो

राजस्व को विस्तारित अवधि का आह्वान करने की अनुमति नहीं देगा सीमा। यह केवल अपने क्रम में देखता है कि चूंकि दोनों निर्धारिती

एक ही प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं हो सकता कि राजस्व था

लेन-देन के बारे में पता नहीं। चूँकि यह वह नहीं है जिसकी परिकल्पना की गई है अधिनियम की धारा 11-ए (1) के प्रावधान के तहत हम सहमत नहीं हो सकते हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष के साथ।

103. मैं आगे ध्यान देता हूँ कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने

न्यायाधिकरण को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि न्यायाधिकरण अंतिम तथ्य है

एनजी प्राधिकरण।

जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

104. आयुक्त ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि

प्रत्यर्थी ने कहा कि जानबूझकर दमन की दिशा में उसके द्वारा कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है और यह अभिनिर्धारित करके केवल निष्क्रियता थी कि विनिमय शुल्क की प्राप्ति का तथ्य विवाद में नहीं था और प्रावधान स्पष्ट होने के कारण, भुगतान न करने का कार्य एक सकारात्मक कार्य था। स्वनिर्धारण के परिवेश में, यह प्रत्यर्थी पर है कि वह मूल्यांकन करे और पूर्ण विवरण घोषित करे और कर का भुगतान करे। आयुक्त ने इस मामले को भी खारिज कर दिया कि

विभाग के पास लेखापरीक्षा पर आधारित ज्ञान था।

105. उन्होंने पाया कि बैंकिंग उद्योग हमेशा विकसित हो रहा है

और नए व्यापार मॉडल के साथ और विभाग को निहितार्थ नहीं जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह आगे पाया गया कि निर्णय। वर्गीकरण की अवधि से संबंधित उत्तरदाता द्वारा भरोसा किया गया सूचियों, मूल्यांकन सूचियों और गेट पास को मंजूरी दी जानी थी। मूल्यांकन स्वयं अधिकारियों द्वारा किया गया था। यह भी पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

106. मुझे ध्यान देना चाहिए कि विवादित आदेश में, उस न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की वैधता से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया था

विस्तारित अवधि। इसके बजाय इसने गुण-दोष के आधार पर आयुक्त के विवादित आदेश को रद्द करने का फैसला किया है।

107. इस मामले में, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद बनाम में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम का पालन करूंगा। बजाज ऑटो लिमिटेड,

वालुज, औरंगाबाद अपने उपाध्यक्ष (सामग्री) और अन्य 1 5 15 के माध्यम से।

108. मेरा विचार है कि प्रत्यर्थी के पास यह भी मामला है कि उसे यह साबित करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था कि अधिग्रहण करने वाला बैंक

अंतर-विनिमय शुल्क पर भी कर देयता का निर्वहन किया गया था, प्रतिवादी को इसे स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैंने यह भी पाया है कि न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न के संबंध में एक निष्कर्ष वापस नहीं किया है कि क्या प्रतिवादी द्वारा दिनांकित सूचना 24.04.2013 द्वारा कवर की गई अवधि के हिस्से के संबंध में जानबूझकर दमन किया गया था। मैं सोचता हूँ

कि यह एक ऐसा मामला है जो न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकालने की मांग करता है।

109. अतः उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस प्रकार है:

मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, प्रदान कर रहा था

आई.

सेवा, जैसा कि आयुक्त द्वारा पाया गया है;

1 5 (2010) 13 एस. सी. सी 117 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.07.2012 से पहले की अवधि के लिए, की सेवा

II.

प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, अधिनियम की धारा 65 (33ए) (iii) के अंतर्गत आता है।

मैं प्रत्यर्थी के इस तर्क को अस्वीकार करता हूं कि आदान-प्रदान

III.

शुल्क को ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, कर योग्य नहीं है

अधिनियम के तहत; मेरा मानना है कि मामला क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर आधारित है,

IV.

धन में लेन-देन होने के कारण और इसलिए, धारा 65 बी (44) में "सेवा" की परिभाषा से बाहर होने के कारण,

अस्वीकार्य;

ए. बी. एम. अमरो (ऊपर) में न्यायाधिकरण का आदेश,

वी.

एक जारीकर्ता बैंक की स्थिति के साथ, अधिनियम के ढांचे के तहत, स्पष्ट रूप से अस्थिर है;

VI.

इस मामले के तथ्यों में, मैं अपील को खारिज करने से इनकार करता हूं

केवल इस आधार पर कि इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी

ए. बी. एन. एमरो (ऊपर) में आदेश;

VII. प्रत्यर्थी, जारीकर्ता बैंक के रूप में, सेवा प्रदाता होने के नाते, धारा 68 (1) के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। धारा 68 (1) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण, यह विनिमय शुल्क की राशि सहित विवरणी दाखिल करने के लिए भी उत्तरदायी था।

VIII. अधिग्रहण करने वाला बैंक उस सेवा को महत्व देने के लिए बाध्य था, जिसे उसने प्रदान किया या प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। कर का माप, जो धारा 67 (1) (i) में पाया गया है, पूरी तरह से उस सेवा से संबंधित है जो अधिग्रहण करने वाला बैंक प्रदान करता है और प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

इसी तरह, जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा का मूल्य, जैसा कि मैंने पाया है, और जो धारा 67 (1) के उद्देश्य के लिए सेवा का मूल्य होगा, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित है। इसलिए, प्रत्यर्थी बैंक था

विनिमय शुल्क और फाइल विवरणी को शामिल करने के लिए उत्तरदायी और उसी पर कर का भुगतान करें;

IX.

जबकि सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर हो सकता है, यह सब

इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग-अलग सेवाओं के लिए कर देय है।

प्रत्येक अलग सेवा। मूल्य वर्धित कर की अवधारणा इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यदि इस मामले में अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा पहले से ही

कर का भुगतान किया गया है, तो प्रत्यर्थी द्वारा जारी करने वाले बैंक के रूप में प्रदान की गई सेवा के लिए विनिमय शुल्क की राशि पर, जी. एस. टी. आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्यर्थी बैंक को फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस तरह की कवायद, निस्संदेह दोहरे कराधान का गठन करेगी; न्यायाधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या

एक्स.

अधिनियम की धारा 73 के अर्थ के भीतर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.04.2013 के कारण दिखाएँ नोटिस द्वारा कवर की गई अवधि के हिस्से के संबंध में दमन। मेरा यह भी विचार है कि प्रत्यर्थी को यह स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने विनिमय शुल्क के संबंध में कर देयता का निर्वहन किया है।

तब, प्रत्यर्थी से ब्याज और जुर्माने के साथ मुलाकात नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो ब्याज और जुर्माने की मांग बनी रहेगी। 111. परिणामस्वरूप, उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, मैं अपील की अनुमति देता हूं और मामले को विचार के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजता हूं:

क्या आयुक्त का निष्कर्ष, जो था

ए।

प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई कि दिनांकित 24.04.2013 कारण दिखाएँ नोटिस द्वारा कवर की गई अवधि के संबंध में दमन किया गया था, उचित था या नहीं? यदि यह पाया जाता है कि यह उचित नहीं था, तो यह न्यायाधिकरण को पारित करना है उचित आदेश;

बी।

न्यायाधिकरण प्रतिवादी को एक अवसर प्रदान करेगा

आयुक्त से निष्कर्ष के लिए कॉल करें; यह न्यायाधिकरण के लिए खुला रहेगा कि वह अपीलार्थी से अनुरोध करे कि -

सी.

एक पर पहुंचने के लिए अधिग्रहण बैंक से रिकॉर्ड के लिए कॉल करें

इस संबंध में उचित निष्कर्ष; [2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, तो,

डी।

अनिवार्य रूप से, आयुक्त द्वारा पारित आदेश दरकिनार कर दिए जाएँगे। इसके विपरीत, यदि यह साबित नहीं किया जाता है कि भुगतान किया गया था, तो आयुक्त के आदेश

एस. सी. एन. के संबंध में धारा 73 के तहत विस्तारित अवधि की उपलब्धता से संबंधित निष्कर्ष के अधीन है

दिनांकित 24.04.2013।

112. ऊपर की तरह अपीलों की अनुमति है। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के लिए।

एस. रवींद्र भाट, जे.

2. तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1994 में पहली बार सेवा कर की शुरुआत करते हुए कहा था कि इसकी शुरुआत का कारण यह था कि हालांकि सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत योगदान था, लेकिन उस पर कभी भी कर नहीं लगाया गया था। कर सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम') ने शुरू में केवल 3 सेवाओं जैसे टेलीफोन बिल, गैर-जीवन बीमा और कर पर 5 प्रतिशत का सेवा कर लगाया। दलाल। केवल 3 सेवाओं पर शुल्क लगाने की इस व्यवस्था से शुल्क उत्तरोत्तर बढ़कर 1996 में 3 और सेवाओं (अर्थात् विज्ञापन एजेंसियों) तक पहुंच गया।

कूरियर एजेंसियां और रेडियो पेजर सेवाएं); और 1997 से 15 तक, जिसमें हवाई यात्रा एजेंट, मंडप रखने वाले, मानव शक्ति भर्ती एजेंसियों जैसी सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया था।

3. 2003 में संसद ने संविधान में अनुच्छेद 268ए जोड़ा, जिसमें प्रावधान है कि सेवाओं पर कर संघ द्वारा लगाया जाएगा। भारत और संघ और राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाए। सेवाओं पर कर लगाने के लिए संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92सी भी पेश की गई थी। 2011 में शुल्क के अधीन सेवाओं की संख्या बढ़कर 119 हो गई। 2012 से, सेवा कर के उद्ग्रहण में एक आदर्श बदलाव आया है- गणना की गई सेवाओं पर कर लगाने के बजाय, नकारात्मक सूची में सूचीबद्ध सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर कर लगाया जाता है। 18 द.

16 1 6 कर सुधारों पर डॉ. राजा चेलिया समिति 17 1 7 संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा 18 नई शुरू की गई धारा 66 डी जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग बनाम में सूचीबद्ध है।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2012 में नकारात्मक सूची में 39 अलग-अलग सेवाओं को सेवा कर से छूट दी गई थी। तब से, इस सूची को हर साल संशोधित किया जाता रहा है।

4. धारा 65-जैसा कि यह मूल रूप से थी, परिभाषाओं की लगभग एक विस्तृत सूची थी, जिसका उद्देश्य उन गतिविधियों को चित्रित करना था जिनके अधीन किया जाना था।

सेवा कर लगाने के लिए। इनमें से प्रत्येक परिभाषा को धारा 65 (105) के विभिन्न उपखंडों के तहत विशेष रूप से "कर योग्य सेवा" के रूप में भी चिह्नित किया गया था। 16 जुलाई 2001 से "बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं" (इसके बाद "बी. ओ. एफ. एस".) पर सेवा कर लागू किया गया था। बी. ओ. एफ. एस. की परिभाषा के प्रासंगिक भाग-धारा 65 (10) द्वारा जैसा कि यह मूल रूप से था, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का अर्थ निम्नलिखित है -

बैंकिंग कंपनी या वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित संस्था,

अर्थात्:

((ख) क्रेडिट कार्ड सेवाएँ।

वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा धारा 65 (12) में बी. ओ. एफ. एस. की परिभाषा के तहत गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया था-जिसे जब अधिनियमित किया जाता है, तो निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

" (12) " बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं "का अर्थ है

(क) बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं या

एक वित्तीय संस्थान जिसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या [वाणिज्यिक]

चिन्ता], अर्थात्:

(i) उपकरण पट्टा सहित वित्तीय पट्टा सेवाएँ और

किराया-खरीद;

स्पष्टीकरण। इस मद के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय पट्टा" का अर्थ है पट्टा लेनदेन जहां

(i) पट्टे के लिए अनुबंध दो पक्षों के बीच किया जाता है

किसी विशिष्ट संपत्ति को पट्टे पर देना;

((ii) ऐसा अनुबंध संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए है।

पट्टेदार;

((iii) पट्टा भुगतान की गणना इस प्रकार की जाती है कि संपत्ति की पूरी लागत को ब्याज शुल्क के साथ शामिल किया जा सके; और (2021) 13 एस. सी. आर.

((iv) पट्टेदार स्वामित्व का हकदार है, या उसके पास स्वामित्व का विकल्प है।

पट्टा देने के बाद पट्टा अवधि के अंत में परिसंपत्ति

भुगतान;]

((ख) क्रेडिट कार्ड सेवाएँ।

((ग) मर्चेंट बैंकिंग सेवाएँ।

((iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) दलाली, और

मुद्रा सहित विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री

बदल रहा है;

(v) पोर्टफोलियो प्रबंधन सहित परिसंपत्ति प्रबंधन, सभी

निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन के रूप,

6 [अभिरक्षा, भंडार और न्यास सेवाएँ,

(vi) * *

***

((ix) अन्य वित्तीय सेवाएँ, अर्थात् ऋण देना, वेतन जारी करना।

ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज, टेलीग्राफ हस्तांतरण, मेल हस्तांतरण और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सहित धन का हस्तांतरण, बैंक प्रदान करना।

गारंटी, ओवरड्राफ्ट सुविधा, बिल छूट सुविधा, सुरक्षित

जमा लॉकर, सुरक्षित तिजोरी, बैंक खातों का संचालन; '

5. 1 मई 2006 को, अधिनियम में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के लिए प्रविष्टि को हटा दिया गया था [बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की परिभाषा से, यानी धारा 65 (12) के उप-खंड (ii)] और "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" की एक पूरी तरह से नई कर योग्य सेवा शुरू की गई थी [धारा 65 (105) (33ए)]।

साथ ही, धारा 65 (10) में संशोधन किया गया। इस नई श्रेणी के दायरे की सराहना करने के लिए, धारा 65 (105) (33ए) ('क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा') की परिभाषा के प्रासंगिक भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" धारा 65 परिभाषाएँ: इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ

अन्यथा आवश्यक है,
(33क) "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा" में प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा शामिल है -

(i) किसी बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति (जिसे इसके बाद जारीकर्ता बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा, किसी कार्ड धारक को ऐसा कार्ड जारी करना; जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ii) ऐसे कार्ड के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा जारीकर्ता बैंक को

आवेदन की प्राप्ति और प्रसंस्करण सहित व्यवसाय,

जारीकर्ता बैंक के वैयक्तिकरण में उभरे हुए डेटा का हस्तांतरण

एजेंसी, स्वचालित टेलर मशीन व्यक्तिगत पहचान

संख्या सृजन, कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन, पते में परिवर्तन, क्रेडिट सीमा में वृद्धि, भुगतान अद्यतन और विवरण सृजन;

((ग) किसी भी व्यक्ति द्वारा, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक सहित, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मामले के निपटारे के संबंध में।

ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि। स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

" "अधिग्रहण बैंक" का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी भी संस्था सहित

अन्य व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है जो

इस तरह के कार्ड को स्वीकार करता है;

((iv) संयुक्त प्रचार कार्ड या एफ़िनिटी कार्ड के संबंध में या

सह-ब्रांडेड कार्ड;

(v) वस्तुओं के संवर्धन और विपणन के संबंध में और

इस तरह के कार्ड के माध्यम से सेवाएं;

(vi) किसी व्यक्ति द्वारा, किसी जारीकर्ता बैंक या ऐसे कार्ड के धारक को, ऐसी स्वचालित टेलर मशीनों का उपयोग करने के लिए।

व्यक्ति; और

(vii) ऐसे कार्ड के संबंध में व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम और अन्य सेवाओं के उपयोग के लिए एक समझौते के तहत जारी करने वाले बैंक को व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम के मालिक द्वारा, चाहे वह मालिक एक क्लब या संघ हो या नहीं और जारी करने वाला बैंक ऐसे क्लब या संघ का सदस्य हो।

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, एक जारीकर्ता बैंक और व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम का मालिक होगा

अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है;

6. (उसी संशोधन द्वारा) क्रेडिट कार्ड से, जो धारा 65 में एक अलग श्रेणी के तहत शामिल थे, धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के कारण से एक अलग कर योग्य सेवा के रूप में लगाए जाने के अधीन हो गए। यह प्रावधान इस प्रकार है:

फिकेशन सं. 15/2006 दिनांकित 25.04.2006।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

“ 65 ****

(105) " कर योग्य सेवा का अर्थ है प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई सेवा।

" ( ) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड के संबंध में

} }

सेवा, किसी भी तरह से;

इस प्रकार क्रेडिट कार्ड सेवा को अलग से कर योग्य सीई के रूप में शामिल किया गया था। साथ ही, धारा 65 बी (जो "अभिव्यक्ति" से शुरू होती है) के माध्यम से "सेवा" को इस उद्देश्य के लिए परिभाषित किया गया था।टेर ")। सेवा की परिभाषा इस प्रकार है:

“ (44) “ "सेवा" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई गतिविधि।

विचार के लिए दूसरे के लिए, और

इसमें एक घोषित सेवा शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा ((क) ऐसी गतिविधि जिसमें केवल -

तरीका; या ((ख) किसी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति जो -

के भीतर एक बिक्री माना जाता है

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29 ए) का अर्थ; या

((ग) धन में लेन-देन या कार्रवाई योग्य दावा;

(ख) एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवा का प्रावधान

पाठ्यक्रम या में

उसके रोजगार के संबंध में;

धारा 65 बी (7)-"निर्धारिती" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है" और धारा 65 बी (37) "व्यक्ति" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (37) " व्यक्ति में शामिल हैं,

((i) एक व्यक्ति,

((ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग का आयुक्त। मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ग) एक कंपनी,

((ix) कोई स्थानीय प्राधिकारी, या (x) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी के भी दायरे में नहीं आता है

पूर्ववर्ती उपखंड; "

" घोषित सेवाओं को धारा 65 बी (22) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए विचार के लिए की गई कोई भी गतिविधि और धारा 66 ई के तहत घोषित"। इसलिए, "घोषित सेवाओं" की श्रेणी में आने के लिए एक सेवा को दो बुनियादी शर्तों को संयुक्त रूप से पूरा करना होता है:

ए। यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए एक गतिविधि होनी चाहिए

विचार करें।

बी। इसे धारा के तहत निर्दिष्ट (यानी घोषित) किया जाना चाहिए। 66 ई.

7. बहुत पहले, गोविंद सरन गंगा सरन बनाम। कमिश्नर

इसके अलावा कर 20, इस अदालत ने माना कि कर कानून विषय की पहचान करता है, या कर लगाने की घटना; यह तब उस व्यक्ति को इंगित करता है जिस पर कर लगाया जाता है-और जिसे कर का भुगतान करना होता है; तीसरा कर लगाने की दर है; और अंतिम, "वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर लागू की जाती है।" 2 1 यह देखा गया था

: 85 पूरक एस. सी. सी. 205

इसी तरह, आयकर आयुक्त बनाम बी. सी. श्रीनिवास सेट्टी (1981) 2 एस. सी. सी. 460

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि

" चार्जिंग सेक्शन और कम्प्यूटेशन प्रावधान मिलकर एक एकीकृत कोड का गठन करते हैं। जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें गणना के प्रावधान नहीं हो सकते हैंयह बिल्कुल भी लागू होता है, यह स्पष्ट है कि इस

तरह का मामला चार्जिंग रिक्शन के दायरे में आने का इरादा नहीं था। अन्यथा, यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि जबकि एक निश्चित आय प्रभार अनुभाग के भीतर आती है, इसके लिए गणना की कोई योजना नहीं है।

इसकी मात्रा निर्धारित करना। "[2021] 13 एस. सी. आर.

" यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से नहीं हैं

निश्चित रूप से, यह कहना मुश्किल है कि लेवी कानून के दृष्टिकोण से मौजूद है। लेवी के उन घटकों में से किसी को भी परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई भी अनिश्चितता या अस्पष्टता इसकी वैधता के लिए घातक होगी।

अप्रत्यक्ष कर लगाने वाले विभिन्न घटकों, जैसे कि उत्पाद शुल्क, का वर्णन इस अदालत ने अपने नौ अध्यायों में किया है।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. भारत संघ 2 2:

" 116. उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला कर एक अप्रत्यक्ष कर (शुल्क) है। उत्पाद शुल्क के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है

सामान। आम तौर पर, यह माल के निर्माता या निर्माता पर लगाया जाता है। (चूँकि शुल्क माल के निर्माण या उत्पादन के संबंध में या उसके संबंध में है, इसलिए इसे लगाया जा सकता है।

यहाँ तक कि माल के निर्माण या उत्पादन के बाद भी)। लगाया गया शुल्क निर्माता या उत्पादक की कुल लागत का हिस्सा होगा। शुल्क उस कीमत का एक घटक है जिसके लिए माल बेचा जाता है, आमतौर पर ग्राहक को दिया जाता है। यह आम जानकारी की बात है कि प्रत्येक विवेकपूर्ण व्यापारी अपने सर्वोत्तम हित में अपने मामलों को समायोजित करेगा और उस वस्तु पर लगाए गए या लगाए जाने वाले शुल्क को

उपभोक्ता। यही कानून में अनुमान है "।

सेवा कर के संदर्भ में, इस न्यायालय ने एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज बनाम में टिप्पणी की थी। संघ

भारत 23 का कि:

" 38 ..... आज तकनीकी प्रगति के साथ एक बहुत ही पतली रेखा है जो "बिक्री" को "सेवा" से विभाजित करती है। कि, आवेदन करना

समतुल्यता का सिद्धांत, बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण और एक गतिविधि के रूप में विपणन योग्य/बिक्री योग्य सेवाओं के उत्पादन के बीच कोई अंतर नहीं है।

सेवा प्रदाता द्वारा विचार के लिए लिया जाता है, जो तदनुसार सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। यह. क्या यह समतुल्यता का सिद्धांत है जो अवधारणा में अंतर्निहित है

वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर।

2 (1997) 5 एस. सी. सी. 536 (2011) 2 एस. सी. सी. 352 जी. एस. टी. और केंद्रीय आयुक्त बनाम। मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह सिद्धांत कि वित्त अधिनियम के तहत लेवी एक अप्रत्यक्ष है

कर, धारा 8324 द्वारा लाया जाता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 1994 पर लागू करता है। बाद के अधिनियम की धारा 12 बी, एक धारणा को उठाती है कि शुल्क माल के खरीदार (इस मामले में, ग्राहक या सेवा प्राप्तकर्ता) को दिया गया है। 25

अधिनियम की योजना 8. अधिनियम के तहत सेवा कर के प्रावधान निम्नलिखित पर आधारित हैं -

योजना। सबसे पहले, धारा 65 कर योग्य सेवाओं को परिभाषित और प्रदान करती है। धारा 66 प्रभार का प्रावधान है:

" 66. सेवा कर का प्रभार-एक कर लगाया जाएगा।

(इसके बाद सेवा कर के रूप में संदर्भित) बारह की दर से

प्रतिशत। उप में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के मूल्य का

(ज़ज़ी), 3

[(ज़ज़ज़

_____
ज़ज़ज़

करेगा, (i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में विचार के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि होगी।

उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए;

((ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक के लिए है

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धन से युक्त न होने पर, धन में ऐसी राशि, सेवा कर के साथ

प्रभारित, विचार के बराबर है; (iii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक के लिए है

ऐसा प्रतिफल जो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, वह राशि हो जो निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है।

(2) जहाँ एक सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि,

प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा में शामिल हैं -

देय सेवा कर, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर के अतिरिक्त के बराबर हो। प्रभारित सकल राशि के लिए।

(3) कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि

कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त किसी भी राशि को शामिल करें ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में।

26 वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) द्वारा "बारह प्रतिशत" के लिए प्रतिस्थापित किया गया। 14.05.2014 , डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 वीडियो सूचना। सं. 14/2015-एसटी, डीटी। 19.05.2015 .

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

मूल्य इस तरह से निर्धारित किया जाएगा जो हो सकता है

निर्धारित किया गया

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

4 [(क) "विचार" में शामिल हैं

((i) प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए देय कोई भी राशि।

या प्रदान करने के लिए;

((ii) किसी भी प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत

सेवा प्रदाता और प्रभारित, प्रदान करने के दौरान या

कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए सहमत होना, सिवाय इसके कि

परिस्थितियां, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो हो सकती हैं

निर्धारित;

((iii) लॉटरी वितरक या बिक्री द्वारा रखी गई कोई भी राशि।

लॉटरी टिकट की सकल बिक्री राशि के अलावा एजेंट शुल्क या कमीशन, यदि कोई हो, या, जैसा भी मामला हो,

प्राप्त छूट, अर्थात, चेहरे में अंतर

लॉटरी टिकट का मूल्य और वह मूल्य जिस पर वितरक

या बिक्री एजेंट को ऐसा टिकट मिलता है।] 3 [***]

क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती और किसी भी प्रकार का भुगतान क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके और 2 [पुस्तक समायोजन, और कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, जमा या डेबिट करके,

कोई भी खाता, चाहे उसे "सस्पेंस खाता" कहा जाए या किसी अन्य द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में अन्य नाम

सेवा कर, जहाँ कर योग्य सेवा का लेन-देन होता है

कोई भी संबद्ध उद्यम।]

धारा 68 इस प्रकार है:

" 68. सेवा कर का भुगतान। - (1) प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति

किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा इस दर पर सेवा कर का भुगतान करेगी

धारा 66-बी में इस तरह से और इसके भीतर निर्दिष्ट किया गया है

अवधि जो निर्धारित की जाए।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

ऐसी कर योग्य सेवाओं के संबंध में जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है -

केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में सेवा कर [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी तरीके से भुगतान किया जाएगा जो धारा 66-बी में निर्दिष्ट दर पर निर्धारित किया जाए और

इस अध्याय के सभी प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे। मानो वह सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

ऐसी सेवा से संबंध:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सेवा को अधिसूचित कर सकती है

और सेवा कर की सीमा जो ऐसे द्वारा देय होगी

व्यक्ति और इस अध्याय के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे। इस प्रकार निर्दिष्ट सीमा तक व्यक्ति और शेष भाग

सेवा कर का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

9. उल्लेखनीय बात यह है कि शुल्क (धारा 66 के तहत) "संदर्भित कर योग्य सेवा के मूल्य पर है और इस तरह से एकत्र किया जाता है।

कर योग्य सेवा, और, अधिक स्पष्ट रूप से, कर की दर उस तरीके से एकत्र की जानी है जो निर्धारित की जाए। वर्तमान उद्देश्यों के लिए मामले में, कर योग्य सेवा का मूल्य वह है जो धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) में गिना गया है।

क्रेडिट कार्ड लेनदेन का विवरण

10. 2006 के संशोधनों से पहले और बाद में कानून के इतिहास, कानून की स्थिति, सभी पर विस्तार से चर्चा की गई है-और, सटीक रूप से, न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा चर्चा की गई है। मैं तथ्यात्मक कथन से सहमत हूँ। हालाँकि, इस अलग निर्णय की पूर्णता के लिए, मैं दोहराव के आरोप के तहत, अंतर्निहित लेनदेन का वर्णन करूँगा। क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए वर्ण नीचे दिए गए हैं:

कार्डधारक-क्रेडिट कार्ड का धारक है।

ए।

जारीकर्ता बैंक-बैंकिंग कंपनी, वित्तीय

बी।

कार्डधारक अपनी साख योग्यता की जांच करने के बाद। व्यापारी प्रतिष्ठान ("एम. ई".)-से विक्रेता है

सी।

जिनका माल या सेवा प्रदाता, भुगतान के विरुद्ध

कार्ड धारक द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड द्वारा।

डी।

अधिग्रहण बैंक-वह बैंक जो क्रेडिट कार्ड प्राप्त करता है

एम. ई. से पर्ची, जिसके परिसर में यह अपना उपकरण रखता है

(' बिक्री केंद्र 'या' पी. ओ. एस. 'मशीन)

27 अधिनियम की धारा 65 (33ए) (आई) जी. एस. टी. आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कार्ड एसोसिएशन-एक मंच प्रदान करने वाला संगठन

ई.

क्रेडिट कार्ड लेनदेन और देय राशि के निपटान के लिए (जैसे

वीजा, मास्टरकार्ड या रुपे के रूप में)

11. लेन-देन प्रवाह-आमतौर पर शामिल होता है, जब सामान या सेवाओं की खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है (स्वाइप किया जाता है), तो नीचे वर्णित किया गया है:

((i)

कार्डधारक एम. ई. से सामान/सेवाएं खरीदता है।

₹100 मूल्य का और क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करता है। एम. ई. प्राप्तकर्ता बैंक से वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रतिफल प्राप्त करता है। हालांकि, अधिग्रहण करने वाला बैंक अपनी फीस (जिसे 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' या 'एम. डी. आर.' के रूप में जाना जाता है) काटता है और शुद्ध आय को एम. ई. (₹94.3) में भेजता है।

अधिग्रहण करने वाला बैंक बदले में प्रतिफल प्राप्त करता है

((ख)

जारीकर्ता बैंक से वस्तु/सेवाएँ। जारीकर्ता बैंक एम. डी. आर. (बैंकिंग मुहावरे में "विनिमय आय" के रूप में जाना जाता है) के अपने हिस्से को बरकरार रखता है और शुद्ध आय (₹. 98 / -) अधिग्रहण करने वाले बैंक को।

जारीकर्ता बैंक से अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रेषण

(iii)

कार्ड संघों के माध्यम से होता है। एम. डी. आर. में अधिग्रहण करने वाले बैंक का हिस्सा ₹3 है।

(iv) संपूर्ण एम. डी. आर. राशि (₹5) पर सेवा कर का अर्थ है 0.7, जो कर अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।

(v)

कार्ड धारक इसके लिए सकल राशि का भुगतान करता है।

क्रेडिट कार्ड विवरण की प्राप्ति पर सहमत अनुग्रह अवधि के दिनों के भीतर जारीकर्ता बैंक को सेवाएं (100)। डेबिट के लिए कार्ड लेनदेन, राशि सीधे जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते से डेबिट की जाती है।

12. कुल मिलाकर, उस लेन-देन के लिए जिसकी लागत ग्राहक को 100/- रुपये है।

(उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए) कुल एम. डी. आर. 5 है, जिसमें से जारीकर्ता बैंक का हिस्सा 2 (विनिमय आय) है-जो उसके द्वारा बरकरार रखा जाता है। शेष एम. डी. आर. (₹3) लेन-देन में अपनी भूमिका के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंक का विचार है।

13. जिस मुद्दे पर इस अदालत को निर्णय लेना है, वह यह है कि क्या "लेन-देन की गई राशि" के निपटान की सेवा, धारक की ओर से क्रेडिट कार्ड-जिसमें कई घटक, या एक एकीकृत सेवा के तत्व शामिल हैं, पर समग्र रूप से या पूरे लेनदेन के कराधान के अलावा, उस सेवा का एक अलग हिस्सा, यानी [2021] 13 एस. सी. आर. जारी करके कर लगाया जाना है।

माल या सेवा प्रदाता को जारी किए जाने वाले ऋण के प्राधिकरण के रूप में बैंक का भी अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एबीएन अमरो में सी. ई. जी. ए. टी. के निर्णय

क्रेडिट कार्ड सेवाएँ, पूर्व-संशोधित यानी 2006 से पहले के लिए अपने आवेदन में युग पर संदेह था। पिछला निर्णय, इसलिए संदिग्ध था, एबीएन एमरो था

बैंक वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर "(इसके बाद" एबीएन-आई ")। ए. बी. एन.-I में, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" 17.4 . इंटरचेंज रसीद की राजस्व द्वारा जांच की गई और कारण बताएँ नोटिस के पैरा 1 में स्पष्ट करते हुए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया कि अपीलकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करने में लगा हुआ था और इसके संबंध में सेवाएं 01.06.02 से 31.04.06 तक की अवधि के लिए प्रदान की गई थीं और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए विचार प्राप्त किया गया था। हालाँकि, प्राप्तियों को अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा मास्टर कार्ड के माध्यम से आदान-प्रदान शुल्क के रूप में भेजा जाता था, जो सेवा कर लगाने के लिए कर का उपाय बन गया। अधिनियम की 65 (12) की धारा 65 (10) के साथ पठित धारा 65 (72) (जेड. एम.) में निहित प्रावधान, जैसा भी मामला हो।

17.5 . अपीलार्थी बैंक द्वारा 30.12.08 पर दायर बचाव पक्ष के जवाब में, यह अनुरोध किया गया था कि "व्यापारी प्रतिष्ठान" जिनसे अपीलार्थी ने अधिग्रहण के माध्यम से विनिमय शुल्क प्राप्त किया था।

बैंक को एबीएन बैंक के सीमा शुल्क के बराबर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और अपने ग्राहक को प्रदान की गई ऐसी कार्ड सुविधा के संबंध में भुगतान प्राप्त करने और मास्टरकार्ड नीति के संदर्भ में "अधिग्रहण बैंक" से प्रतिफल की प्राप्ति की अपनी गतिविधि से इनकार नहीं किया। जब उपरोक्त के रूप में अभिलिखित विवरण को खारिज नहीं किया गया और अपीलार्थी की कार्यप्रणाली ने प्रदर्शित किया कि अपीलार्थी बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी किए थे और कार्ड धारक द्वारा ऐसे कार्ड का उपयोग किया गया था, तो ग्राहक ने इसके लिए विनिमय शुल्क का हिस्सा अर्जित किया।

28 2015 [40] S.T.R.104 (त्रि. - डेल) 29 2011 (187) ईसीआर 181 (ट्राई। - दिल्ली)

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अपीलार्थी, कर की घटनाएँ उत्पन्न हुईं। इसलिए, कर

इस प्रकार प्रदान की गई कर योग्य सेवा का सकल मूल्य उचित रूप से कर योग्य था

न्यायनिर्णयन में।

17.6 . यह कहा जा सकता है कि एक की व्याख्या का उद्देश्य

कानून संसद के इरादे का पता लगाने के लिए है

अधिनियम में व्यक्त किया गया। एक के अर्थ में प्रमुख उद्देश्य

कानून विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए है कानून में व्यक्त किया गया, इसे समग्र रूप से और इसके रूप में मानते हुए

संदर्भ। "के संबंध में" शब्द का उपयोग करने वाला चार्जिंग अनुभाग सभी जुड़े हुए और संबंधित को गले लगाने के लिए अपने पंख का विस्तार किया

क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी करने के उद्देश्य को छूती सेवाएं। एक्सप्रेस वैधानिक अनुदान ने जो कुछ भी आवश्यक है उसे अपने दायरे में ले लिया है

करें, ताकि उस अनुदान को प्रभावी बनाया जा सके। तदनुसार, चार्जिंग सेक्शन ने क्रेडिट कार्ड सुविधा की सेवा शुरू की

प्रदान की गई और इसकी संबंधित और संबंधित गतिविधियाँ

कराधान।

***

****

18. उपरोक्त इस आदेश द्वारा किए गए निष्कर्ष इस पर उत्पन्न होते हैं -

भौतिक समय पर और सामग्री से बाहर लागू कानून का आधार

तथ्यों के साथ-साथ अभिलेख पर ठोस साक्ष्य। बयान दर्ज किया गया

जाँच के दौरान प्रदान करने का पूरा सबूत प्रदान करता है अपीलार्थी द्वारा कर योग्य सेवा। किसी भी स्तर या बिंदु पर नहीं

समय, साक्ष्य की शृंखला जो लेन-देन लाती है

जब तक ग्राहक का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उसे डी-लिंक कर दिया गया था। अपीलार्थी बैंक

बिना अभिलेख के राजस्व के साक्षय को त्यागने में विफल रहा

इसके विपरीत किसी भी ठोस साक्षय का नेतृत्व करना। अपीलार्थी

क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बैंक का संविदात्मक दायित्व था

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए जाने वाले लेन-देन के लिए जो

अपीलार्थी द्वारा ऐसे कार्ड जारी किए गए थे। कानून की है चिंता

परिचर परिस्थितियों सहित अभिलेख पर साक्षय इस तरह की घटना का प्रदर्शन किया, अपीलार्थी का तर्क कि उसे मिल गया

"अधिग्रहण बैंक" से इसके हिस्से का कानून से कोई अंतर नहीं है क्योंकि

उपराष्ट्रपति से दर्ज बयान लाया गया

कार्ड जारी करने वाले बैंक के रूप में सेवा कर के दायरे में अपीलार्थी

कर योग्य क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करना। न्यायनिर्णयन उपकर

इसलिए न्यायसंगत माना जाए और अपीलार्थी उत्तरदायी है -

प्रदान की गई कर योग्य सेवा के लिए सेवा कर। "[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्टैंडर्ड चार्टर्ड में सी. ई. जी. ए. टी. की तीन सदस्यीय पीठ का गठन यह तय करने के लिए किया गया था कि क्या ए. बी. एन.-I में निर्णय सही था। सबसे पहले उन चार प्रश्नों को निर्धारित करना उपयोगी होगा जिन पर न्यायाधिकरण विचार करने और उनका उत्तर देने के लिए बाध्य था:

" 3. 16-08-2013 दिनांकित आदेश में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

कानून के प्रश्न:

i) क्या नए, व्यापक का परिचय

वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित धारा 65 (33ए) के अनुसार "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान देखभाल सेवा" की परिभाषा ठोस है और

जहां तक क्रेडिट कार्ड सेवाओं का संबंध है, क्रेडिट/डेबिट/चार्ज कार्ड के उपयोग द्वारा कवर किए गए सभी लेन-देनों को लागू करना चाहते हैं या धारा 65 (10) या (12) के तहत लगाए गए शुल्क को जारी रखना चाहते हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में एबीएन एमरो के निर्णय में माना गया है?

(ii) क्या कर योग्य सेवा की परिभाषा में उपखंड (iii) है। धारा 65 (33ए) में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अन्य भुगतान कार्ड सेवा के चार्ज कार्ड को पूर्वव्यापी रूप से लागू कहा जा सकता है, यानी 16 जुलाई 2001 से जब धारा

65 (72) (zm) प्रभावी हो गया?

iii) क्या 'व्यापारियों/व्यापारी प्रतिष्ठानों' को वित्त की धारा 65 (72) (जेड. एम.) में परिकल्पित 'ग्राहक' माना जा सकता है?

अधिनियम, 1994 जैसा कि यह 1-5-2006 से पहले था?

iv) क्या व्यापारी प्रतिष्ठान छूट को क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में 'प्राप्त' कहा जा सकता है जब वास्तव में

एक विशेष लेन-देन, अधिग्रहण करने वाला बैंक जो मुझे प्राप्त करता है

हो सकता है कि छूट ने उस विशेष क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं किया हो

सब? " न्यायाधिकरण ने कहा कि संदर्भ का संदर्भ यह था कि:

" 5. एबीएन एमरो बैंक बनाम भारत संघ 2011 एसटीआर 529 (ट्राई-डेल) मामले में सी. ई. एस. टी. ए. टी. की एक खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि चार्जिंग अनुभाग (जहां तक बी. ओ. एफ. एस. में क्रेडिट कार्ड सेवाओं का संबंध है) प्रदान की गई क्रेडिट कार्ड सुविधा की सेवा लाता है और इसे जोड़ा जाता है और

कराधान से संबंधित गतिविधियाँ (पैरा 17.6)

15. यहाँ, यह इंगित करना उल्लेखनीय होगा कि न्यायाधिकरण-टंडरड चार्टर्ड (ऊपर) में किसी भी विवाद का निर्णय नहीं करना था जो

पद की संशोधित परिभाषा, अर्थात धारा 65 जी. एस. टी. आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(33ए)। यह केवल संशोधन के संदर्भ और पृष्ठभूमि में कानून की व्याख्या कर रहा था, और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 65 (10) के तहत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के हिस्से के रूप में पूर्व-संशोधित

परिभाषा यानी क्रेडिट कार्ड सेवाओं की व्याख्या में इसकी भूमिका। न्यायाधिकरण ने सेवा कर के साथ-साथ विनिमय शुल्क पर कर लगाने के मुद्दे पर कई फैसलों पर विचार किया। न्यायाधिकरण ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में कर व्यवस्थाओं के निर्णयों पर विचार किया और देखा कि एक ओर उन विधानों में परिभाषा, अधिनियम के तहत लेवी की तुलना में, दूसरी ओर बिल्कुल समान नहीं थी। न्यायाधिकरण की चर्चा के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

**

क्रेडिट कार्ड के उपयोग में होने वाले परस्पर निर्भर लेनदेन की श्रृंखला और अनुक्रम में, अधिग्रहण करने वाले बैंक उत्पन्न करते हैं

व्यापारी निपटान के लिए रिपोर्ट जो कार्ड एसोसिएशन नेटवर्क के माध्यम से जारी करने वाले बैंकों को भी भेजी जाती हैं। वहाँ

जारी करने के बाद बैंक एक विनिमय शुल्क को बनाए रखने के बाद अधिग्रहण करने वाले बैंकों को देय राशि का निपटान करते हैं, जिसे कार्ड संघ के साथ साझा किया जाता है। अधिग्रहण और जारी करने वाले बैंकों के बीच इस तरह के वाणिज्यिक संबंध की निरंतरता और नियमितता, हमारे विचार में अधिग्रहण की स्थिति की ओर ले जाती है।

बैंक जारी करने वाले बैंकों के ग्राहक होते हैं। जारी करने वाले और अधिग्रहण करने वाले बैंक बारीकियों में मान्यता प्राप्त प्रतिभागी हैं।

क्रेडिट कार्ड लेनदेन का व्यवसाय।

एम. ई., एक अधिग्रहण बैंक और एक जारीकर्ता के बीच होने वाले परस्पर निर्भर और निर्बाध लेकिन विशिष्ट लेनदेन।

इसलिए बैंक को एक प्रथागत माना जाता है।

इन पक्षों के बीच संबंध। हम इस निष्कर्ष पर इस परिस्थिति से दृढ़ हैं कि अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदाता की पहचान एक बैंकिंग कंपनी, एक गैर-बैंकिंग सहित एक वित्तीय संस्थान के रूप में की जाती है।

वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या

वाणिज्यिक चिंता भी। इन परिस्थितियों में, "एक ग्राहक" अभिव्यक्ति को किसी व्यक्ति या संस्था तक सीमित रखना, जिसका बैंक में बचत या चालू खाता है, पाठ्य रूप से अनुचित है। इसके अलावा, बैंकिंग कंपनियां, वाणिज्यिक लेनदेन के विस्तार के वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शुरू करें जिनकी कल्पना [2021] 13 एस. सी. आर. के रूप में नहीं की गई थी।

प्राचीन या पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों का हिस्सा। इसलिए (बी. ओ. एफ. एस. के संदर्भ में) यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि बैंक के ग्राहक में कोई भी व्यक्ति या संस्था शामिल है जिसके पास

तदनुसार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बी. ओ. एफ. एस. में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संदर्भ में, जैसा कि कर योग्य सेवा को परिभाषित और गणना की गई है, अधिग्रहण करने वाले बैंक और एम. ई. को क्रमशः जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक का ग्राहक माना जा सकता है। बी. ओ. एफ. एस. के कर योग्य मूल्य के एक भाग के रूप में शुल्क और मेरे बीच अंतर-विनिमयः

20. क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विनिमय शुल्क या एम. ई. छूट राशि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा एम. ई. को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और जारी करने वाले बैंक द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दायरे में आती हैं।

बोर्ड सर्कुलर दिनांक आई. डी. 2, आर. बी. आई. अधिसूचना दिनांक आई. डी. 1 और बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन पर आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर (पिछले पैरा में संदर्भित) पर भरोसा करते हुए, निर्धारकों का तर्क है कि चाहे एम. ई. या अधिग्रहण करने वाला बैंक क्रमशः अधिग्रहण करने वाले बैंक और जारी करने वाले बैंक का ग्राहक हो, अपने कार्ड धारक के अलावा किसी अन्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दायरे से बाहर हैं।

ई. ई. सी. अदालतों और अपील न्यायालय के कई निर्णय नोटिस देते हैं और जारीकर्ता बैंक और कार्ड धारक के बीच विशिष्ट संविदात्मक व्यवस्थाओं के अस्तित्व को मान्यता देते हैं;

एम. ई. और एक अधिग्रहण करने वाला बैंक; एक अधिग्रहण करने वाला बैंक और जारी करने वाला बैंक; और जारी करने और अधिग्रहण करने वाले बैंकों और जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद के बीच।

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक अन्य इकाई जो नेट-ऑफ जैसी सेवाएं प्रदान करती है, जैसा कि एफ. डी. आर. लिमिटेड के तथ्यों में देखा गया है। हालाँकि, इस तरह के विशिष्ट समझौतों के अस्तित्व और उनके कानूनी परिणामों पर प्रासंगिक कानून/मानदंडों के संदर्भ में विचार किया गया था, चाहे वे वैट कानून हों या ई. ई. सी. परिषद के निर्देश।

बी. ओ. एफ. एस. के संदर्भ में, हमारे सुविचारित विचार में, ये निर्णय इस सीमित सीमा तक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं (और वह है -

तथ्यात्मक मैट्रिक्स की वास्तविकता भी), कि एक जारीकर्ता बैंक और उसके कार्ड धारक के बीच पारस्परिक अधिकार और दायित्व; एम. ई. और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच; अधिग्रहण करने और जारी करने वाले बैंकों के बीच; या बैंकों और कार्ड संघ के बीच अलग संविदात्मक व्यवस्थाओं पर आधारित हैं। तथ्य यह है कि इन कई खिलाड़ियों के बीच सेवाएं प्रवाहित होती हैं, जो क्रेडिट कार्ड लेनदेन के प्रभाव के लिए क्रमिक और परस्पर निर्भर हैं, निर्विवाद है। हालाँकि समस्या यह पहचानने में है कि प्रासंगिक प्रावधानों में बी. ओ. एफ. एस. की परिभाषा और गणना के संदर्भ में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऐसे विशिष्ट लेकिन क्रमिक और परस्पर निर्भर लेनदेन में से कौन सा है।

अधिनियम से। ऋण के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं का दायरा

कार्ड सेवाएँ: 21. अधिनियम के तहत और जारी करने की अवधि के दौरान कोई भी सेवा

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में, एक बैंकिंग कंपनी, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय सहित एक वित्तीय संस्थान द्वारा एक ग्राहक को प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवा है जिससे हम संबंधित हैं। एक पाठ्य और व्याकरणिक संरचना पर, कर योग्य सेवा के पूर्णांक हैं:

(क) प्रदाता एक बैंकिंग कंपनी आदि होनी चाहिए और

प्रदाता का ग्राहक प्राप्तकर्ता; और (ख) कर योग्य प्रत्यर्पण के संबंध में कोई भी सेवा होनी चाहिए -

क्रेडिट कार्ड सेवाएँ।

प्रासंगिक प्रावधानों के व्याकरणिक निर्माण पर, क्योंकि एक अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा एम. ई. को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और अधिग्रहण करने वाले बैंक को जारी करने वाले बैंक [2021] 13 एस. सी. आर. के लिए उतने ही आवश्यक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले लेन-देनों के निष्कर्ष के रूप में कार्ड धारक को जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं यानी क्रेडिट कार्ड जारी करने और अभिन्न क्रेडिट सुविधा, यह तर्क दिया जा सकता है, जैसा कि किया गया है, कि एक अधिग्रहण करने वाला बैंक और जारी करने वाला बैंक एम. ई. छूट और विनिमय शुल्क के रूप में कर योग्य प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

हालांकि, मूल्यांकनकर्ताओं का तर्क है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा एम. ई. को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और जारी करने वाले बैंक द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंक को प्रदान की जाने वाली सेवाएं

क्रेडिट कार्ड सेवाएं नहीं हैं, बल्कि बिल छूट या भुगतान सेवाओं का निपटान हैं, जो कार्ड धारक को जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपरीत हैं, जो अकेले कर योग्य सेवा के दायरे में आती हैं, क्योंकि जारी करने वाला बैंक कार्ड धारक को क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। व्याख्या की इस पंक्ति को मजबूत करने के लिए मूल्यांकनकर्ता कार्ड सेवाओं डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 की परिभाषा का उल्लेख करते हैं।

22. जैसा कि पहले देखा गया है, कार्ड सेवाओं को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 से शुरू किया गया था, जिसे धारा 65 (33ए) में परिभाषित किया गया है। अनुभाग

65 (105) ( ), गणनात्मक प्रावधान में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति (न केवल एक ग्राहक) के लिए सेवाओं का भुगतान किया जाता है।

बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति (किसी अन्य निगमित निकाय के बजाय), जो कार्ड धारक को ऐसा कार्ड जारी करता है। इस प्रावधान के उपखंड (ii) से (vii) में उन सेवाओं की श्रेणियों की गणना की गई है जो कर योग्य के दायरे में आती हैं। सेवा करते हैं। उपखंड (ii) की प्राप्ति और प्रसंस्करण की गणना करता है

आवेदन, बैंक की वैयक्तिकरण एजेंसी को एम्बॉसिंग डेटा का हस्तांतरण, स्वचालित टेलर मशीन व्यक्तिगत पहचान संख्या पीढ़ी, कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन, पते में परिवर्तन, क्रेडिट सीमा में वृद्धि, भुगतान अद्यतन और विवरण पीढ़ी। उपखंड (iii)

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गणना करता है जिसमें एक ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को जारी करने वाला बैंक या अधिग्रहण करने वाला बैंक। उपखंड (iii) के तहत स्पष्टीकरण एक अधिग्रहण बैंक को परिभाषित करता है जो किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है-जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसा कार्ड कौन स्वीकार करता है। उपखंड (iv) संयुक्त प्रचार कार्ड, एफ़िनिटी कार्ड या सह-ब्रांडेड कार्ड के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गणना करता है। उपखंड (v) वस्तुओं के संवर्धन और विपणन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गणना करता है।

और इस तरह के कार्ड के माध्यम से सेवाएं। उपखंड (vi) किसी जारीकर्ता बैंक या ऐसे कार्ड धारक को स्वचालित टेलर मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गणना करता है।

प्रदाता। उपखंड (vii) ऐसे कार्ड के संबंध में ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम और अन्य सेवाओं के उपयोग के लिए एक समझौते के तहत जारीकर्ता बैंक को ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के मालिक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गणना करता है, चाहे वह मालिक एक क्लब या संघ हो या नहीं और जारीकर्ता बैंक ऐसे क्लब

या संघ का सदस्य हो। इस उपखंड (vii) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, जारीकर्ता बैंक और क्रेडिट कार्ड और ब्रांड नाम के मालिक को अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

कार्ड सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की किस्मों के विस्तृत विनिर्देश से यह स्पष्ट है कि डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 में तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बी. ओ. एफ. एस. के तहत क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे और परिभाषा के विपरीत। वित्त अधिनियम, 2006 ने धारा 65 (12) में बी. ओ. एफ. एस. के दायरे से "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" को भी हटा दिया।

डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 में किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(क) कार्ड सेवाओं में डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य शामिल हैं।

क्रेडिट कार्ड के अलावा भुगतान कार्ड;

(ख) सेवा प्रदाता का दायरा बढ़ाया जाता है। सेवा.

प्रदाता अब "कोई अन्य व्यक्ति" भी है;

(ग) सेवा प्राप्तकर्ता की पहचान का भी विस्तार किया जाता है।

उपखंड (zzzw) में;

(घ) क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा। तरीका, अब कर योग्य सेवा है;

(ई) सेवाओं की प्रकृति और विविधता शामिल है

कार्ड सेवाओं का दायरा अब विशेष रूप से गिना गया है, खंड (33ए) में पूर्वनिर्धारित "सम्मिलित" और धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) में "किसी भी तरीके से" एक व्यापक खंड के उपयोग के बावजूद; और [2021] 13 एस. सी. आर.

(च) उपखंड (i), (ii), (iii), (vi) और

(vii) के संबंध में प्रदान किए गए के रूप में अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है

क्रेडिट कार्ड सेवाएँ भी।

**

**

**

26. उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों के आधार पर मार्गदर्शन

अब हम कर लगाने वाले कानूनों सहित बी. ओ. एफ. एस. में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

समस्या में सेवा। उपयोग के दौरान होने वाले कई लेन-देनों में से किस लेनदेन की पहचान

एक क्रेडिट कार्ड, की परिभाषा और गणना के अंतर्गत आता है

क्रेडिट कार्ड सेवाएँ, एक अस्पष्ट और काफी हद तक व्याख्यात्मक समस्याग्रस्त मुद्दा प्रतीत होता है।

27. प्रासंगिक प्रावधानों के शाब्दिक निर्माण पर पहली नज़र में यह प्रतीत होता है कि ग्राहक को प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में एक बैंकिंग कंपनी आदि द्वारा,

यह एक कर योग्य सेवा है। इस निर्माण की स्वीकृति से कर योग्य घटना का अनंत विस्तार होगा। न केवल जारीकर्ता बैंक द्वारा अपने कार्ड धारक को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

इस सेवा के दायरे में आती है लेकिन क्रेडिट कार्ड आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण जैसी सेवाएं;

जारीकर्ता बैंक की वैयक्तिकरण एजेंसी को डेटा को उभारा जाना;

टेलर मशीन व्यक्तिगत पहचान संख्या उत्पन्न करना; क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन; पता बदलना;

भुगतान अद्यतन और विवरण सृजन; का निपटान

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि; प्रदान की गई सेवाएं

ट्रेडमार्क या बैंक नाम के मालिक द्वारा ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के उपयोग के लिए जारी करने वाले बैंक को; और कई अन्य सेवाएं जो क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर होने वाले लेनदेन के क्रम में विभाजित होती हैं, सभी सेवाएं होंगी।

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रदान की गई। इन सेवाओं को उपखंड (ii), (iii), (vi) और उपखंडों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

(vii) धारा 65 (33क), डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006। राजस्व के बारे में

व्याख्या, इन सेवाओं को क्रेडिट कार्ड के भीतर शामिल किया जाता है

"संबंध में" वाक्यांश के कारण सेवाएँ। जहाँ भी कोई जारीकर्ता बैंक अपनी कुछ गतिविधियों के संबंध में

क्रेडिट कार्ड संचालन, जैसे क्रेडिट की प्राप्ति और प्रसंस्करण

कार्ड आवेदन और इस तरह की और ये सेवाएं एक बाहरी एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं, फिर भी ये बी. ओ. एफ. एस. के दायरे में आती हैं, हालांकि सांविधिक रूप से इस तरह से पहचाने नहीं जाते हैं और ओ. एम. आई. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

व्यक्त किया। क्रेडिट कार्ड सेवाओं और बी. ओ. एफ. एस. का दायरा

अनिश्चित, मूल्यांकनकर्ता तर्क देते हैं। मूल्यांकनकर्ताओं का यह भी आग्रह है कि राजस्व की व्याख्या को स्वीकार करने से

सीमा और विविधता का पता लगाने में निरंतर अस्पष्टता

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे में आने वाले लेनदेन

और इसलिए ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए

संदिग्ध और अस्पष्ट कराधान और अयोग्य का सिद्धांत

राजकोषीय विधान में कर योग्य घटना का विनिर्देशन।

**

**

38. जबकि किसी अधिग्रहणकर्ता को जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

बैंक और एम. ई. के लिए एक अधिग्रहण बैंक मध्यस्थ हैं,

ऋण के प्रभावी उपयोग के लिए सहायक और परस्पर निर्भर पूर्णांक कार्ड, हम इस निष्कर्ष पर सहमत हैं कि ये सेवाएँ

यद्यपि अन्योन्याश्रित विशिष्ट हैं और होने का इरादा नहीं है क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे में आने से पहले

01.05.2006 , वाक्यांश के बावजूद "के संबंध में

गणनात्मक प्रावधान में नियोजित। हम इतने आश्वस्त हैं

क्योंकि एक विपरीत व्याख्या जो अप्रतिबंधित है

क्रेडिट कार्ड सेवाओं का दायरा, स्थान और विस्तार इसके परिणामस्वरूप होगा।

पाठ्य अस्पष्टता के एक गंभीर तत्व को पेश करने में,

BOFS में घटना। दुर्जेय पूर्ववर्ती प्राधिकरण पैराग्राफ 23 और नवीन में दिए गए निर्णय

रसायन और भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ में

साथ ही, एक पारस्परिक सिद्धांत को सकारात्मक रूप से अपनाना जो नेतृत्व करता है कर योग्य घटना की स्पष्ट और निश्चित पहचान के लिए,

संदिग्ध कराधान से बचें। 39 . केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर में,

गुंटूर बनाम। आंध्र चीनी मनु/एससी/0079/1988: (1989) एसयूपी

(1) एस. सी. सी. 144 सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित है।

सिद्धांत कि अर्थ जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है

एक अधिसूचना एक अच्छा मार्गदर्शक और समकालीन है।

कानून की स्थिति का प्रदर्शन। के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ.

एर्नाकुलम मनु/एससी/0300/1981: (1981) 4 एससीसी 173,

स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि का सादा अर्थ

एक कानून पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जहां यह बेतुकेपन में परिणाम देता है,

अन्याय या अनिश्चितता (जोर) और ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ का अर्थ निकालना चाहिए

और वह उद्देश्य जो विधायिका ने [2021] 13 एस. सी. आर. को लागू करने में देखा था।

प्रावधान, वह संदर्भ जिसमें यह होता है और उस शरारत को दबाने की दृष्टि से जिसे सुधारने की मांग की गई थी

कानून। मंत्री के भाषण में वैधानिक पाठ के अर्थ की समकालीन प्रशासनिक व्याख्या

विचाराधीन विधान के अधिनियमन के लिए विधेयक को पेश करना एक क़ानून के निर्माण के लिए एक वैध सहायता माना जाता है जब पाठ व्याकरणिक या प्रासंगिक रूप से अस्पष्ट होता है। यह भी एक तय सिद्धांत है कि उसी विषय पर एक बाद का कानून कुछ परिस्थितियों में पूर्व प्रावधान की संसदीय व्याख्या के रूप में काम कर सकता है। पैराग्राफ 29 (ऊपर) में।

40. उपरोक्त प्राधिकरण से प्राप्त सिद्धांतों और मार्गदर्शन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं

बोर्ड सर्कुलर दिनांक 09.07.2001, RBI सर्कुलर दिनांक 12.12.2003, RBI मास्टर सर्कुलर और कई सेवाओं का स्पष्ट और विशिष्ट वैधानिक स्पष्टीकरण जो संसद के पास है। धारा 65 (33ए) में डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.2006 के बाद की अवधि के लिए कार्ड सेवाओं की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट। क्रेडिट कार्ड सेवाएँ

कार्ड सेवाओं में शामिल है और बी. ओ. एफ. एस. से हटा दिया गया है।

01.05.2006 . धारा 65 (33ए) में विशेष रूप से गणना की गई कई सेवाओं और अन्य सेवाओं जैसे क्रेडिट सूचना कंपनियों या टेलीफोन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की व्याख्या करना या

इंटरनेट नेटवर्क प्रदाता, जो क्रेडिट कार्ड लेनदेन के प्रभाव में समान रूप से योगदान करते हैं और बी. ओ. एफ. एस. के भीतर भी समझे जाते हैं, स्थायी रूप से प्रभावी होंगे। बी. ओ. एफ. एस. में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे की अनिश्चितता और गैर-अस्थायी मुद्रास्फीति। इस तरह की व्याख्या से स्पष्ट रूप से बचना चाहिए, यह स्थापित व्याख्यात्मक सिद्धांतों का अधिदेश है।

**

**

** :

**

अधिनियम की धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित धारा 65 (33ए) से निम्नलिखित स्पष्ट है।

(क) सेवा कर लगाने का दायरा क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य कार्डों जैसे डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक बढ़ाया गया है।

मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(बी) कई और मध्यवर्ती सेवाएं जो में होती हैं

परिभाषा के उपखंड (i) से (vii) में कार्डों के उपयोग की गणना की गई है, जो स्पष्ट रूप से इन्हें शामिल करने के इरादे को व्यक्त करता है। के तहत कर योग्य घटनाओं के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध सेवाएं

प्रावधान;

(ग) धारा 65 (105) (zzzw) में "के संबंध में" वाक्यांश को बनाए रखते हुए, "किसी भी तरह से" वाक्यांश जोड़ा जाता है। द.

विस्तृत प्रारूपण पद्धति की सटीकता और स्पष्टता

वित्त अधिनियम, 2006 में कार्यरत, निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करता है

कि संसद ने न केवल विस्तार करने का इरादा व्यक्त किया प्रदान की गई सेवाओं को कवर करने के लिए कर योग्य सेवा का दायरा

" अन्य कार्डों के संबंध में भी लेकिन आगे है और

सेवाओं तक कराधान की पहुंच का स्पष्ट रूप से विस्तार किया जो अन्यथा निर्विवाद रूप से कार्ड के दायरे में नहीं आ सकता है।

सेवाएँ। इस प्रकार धारा 65 (33ए) ने अस्पष्टता, अनिश्चितता को हटा दिया।

और वैधानिक पाठ में असंगतता।

दिनांकित 09.07.2001 क्रेडिट कार्ड के दायरे को सटीक रूप से पकड़ता है 16.07.2001 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान BOFS के तहत सेवाएं

30.04.2006 अर्थात् एक सेवा के रूप में जहाँ ग्राहक है

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना;

जिसके तहत निर्दिष्ट समय तक नकद अग्रिम की भी अनुमति है। सीमाएँ; जहाँ सेवा प्रदान करने के लिए, सेवा प्रदाता ज्वाइनिंग शुल्क, अतिरिक्त कार्ड शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि एकत्र करता है; और

सेवा के लिए ब्याज शुल्क सहित ये सभी शुल्क

प्रस्तुत, कर योग्य सेवा के मूल्य का हिस्सा, में

BOFS "।

न्यायाधिकरण द्वारा मानक चार्टर्ड में दर्ज किए गए निष्कर्ष

क), नीचे निकाले गए हैं:

" 47. निष्कर्ष -

हम 16.08.2013 दिनांकित संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान सेवा "अनुभाग में 65 (33क) वित्त अधिनियम द्वारा धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के साथ पठित,

2006 यह एक ठोस विधायी प्रयास है जो लेवी [2021] 13 एस. सी. आर. को लागू करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 65 (33ए) में निर्दिष्ट परिभाषा में निर्दिष्ट उपखंड (i) से (vii) में गिने गए कई लेन-देनों पर; और ये सभी लेन-देन न तो निहित रूप से शामिल हैं और न ही बीओएफएस के हिस्से के रूप में धारा 65 (10) या (12) में परिभाषित क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे में स्वाभाविक रूप से शामिल हैं;

(ख) बिन्दु सं. (ii) पर हम मानते हैं कि धारा 65 (33क) में उपखंड (iii) का न तो पूर्वगामी पहुँच का इरादा है और न ही व्यक्त किया गया है अर्थात डब्ल्यू. ई. एफ. 16.07.2001। इन उपखंडों में उल्लिखित सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं के दायरे में निहित नहीं हैं;

(ग) संदर्भ के बिंदु संख्या (iii) पर, हम मानते हैं कि एक व्यापारी/व्यापारी प्रतिष्ठान धारा 65 (72) (जेड. एम.), बाद में धारा 65 (105) (जेड. एम.) में उल्लिखित क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संदर्भ में "एक ग्राहक" है और एक अधिग्राहक बैंक "एक ग्राहक" है।

जारीकर्ता बैंक का ग्राहक। (
घ) बिंदु संख्या (iv) पर, हम मानते हैं कि एम. ई. छूट, चाहे किसी भी नाम से जानी जाए, किसी अधिग्रहणकर्ता द्वारा रखी गई राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

ऐसे बैंक द्वारा वसूल की गई राशि से बैंक एम. ई. को भुगतान के निपटान की राशि नहीं है

क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्राप्त प्रतिफल।"

16. नोट का अगला निर्णय एबीएन एमरो बैंक (वर्तमान में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है) का है। केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क 3 0 (इसके बाद "एबीएन-2" के रूप में संदर्भित) जो इस सवाल पर था कि क्या विनिमय शुल्क 2006 के बाद की अवधि के लिए सेवा कर के अधिरोपण के अधीन हो सकता है। वास्तव में, एबीएन-II में विचाराधीन सटीक अवधि मई, 2006 से फरवरी, 2008 थी। न्यायाधिकरण ने संशोधित परिभाषा का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि एबीएन एमरो बैंक किसी भी कार्य में शामिल नहीं था।

लेन-देन की गई राशियों के निपटान के लिए गतिविधि; कि यह एक निपटान एजेंसी नहीं थी और इसलिए केवल एक जारीकर्ता बैंक के रूप में कार्य करती थी। परिभाषा खंड के इस संक्षिप्त विश्लेषण और एबीएन एमरो II में इसकी समझ पर, सी. ई. एस. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि विनिमय शुल्क को धारा 65 (33ए) (iii) के तहत आने वाली सेवा के रूप में अलग से कराधान के अधीन नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान अपीलों से संबंधित तथ्य

17. प्रतिवादी, सिटीबैंक सी. ए. को अपीलार्थी (इसके बाद "राजस्व") द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए जारी किए गए चार कारणदर्शक नोटिस प्राप्त हुए। 30 2018 टीआईओएल-2018-सीईएसटीएटी।

जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2006 के बाद और 2012 के बाद भी विभिन्न अवधियों के लिए सेवा कर। कारण बताएँ नोटिसों का विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

विवाद की अवधि

तिथि

केस नं. एससीएन

सी. ए. नंबर। एससीएन 141/2013

अक्टूबर 2007 जून 2012

23.04.2013

8228/2019

जुलाई 2012-दिसंबर

2013

23.09.2014

एससीएन 258/2014

माँग का विवरण। 02.03.2015

जनवरी 2014 मार्च

2014

नं. 25/2015

अप्रैल 2014-मई 2015

माँग का विवरण। 11.08.2015

नं. 97/2015

अप्रैल 2015-16

सी. ए. नं.

माँग का विवरण। 04.10.2016

89/2021

नं. 6725/2016

18. पूर्णता के लिए, दोनों के उद्धरण कारण दिखाते हैं

नोटिस नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

कारण सूचना 1 दिखाएँ।

" 2. निर्धारिती के खातों के लेखापरीक्षा के दौरान

सेवा कर द्वारा संचालित सेवा कर का आंतरिक लेखा परीक्षा समूह

आयुक्तालय, चेन्नई, यह देखा गया कि निर्धारिती

अपने ग्राहक को क्रेडिट कार्ड जारी कर रहा था; वह क्रेडिट कार्ड

लेन-देन में आम तौर पर दो बैंक शामिल होते हैं-एक जारी करने वाला बैंक -

और एक अधिग्रहण बैंक; जो जारी करने वाला बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है

अपने ग्राहकों के लिए; कि अधिग्रहण करने वाले बैंक अनुबंध व्यापारी

सामान के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रतिष्ठान

या ग्राहकों को बेची जाने वाली सेवाएं और ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए

लेन-देन, अधिग्रहण करने वाले बैंक आवश्यक प्रदान करते हैं कार्ड स्वाइपिंग टर्मिनल (प्वाइंट ऑफ सेल) जैसी आधारभूत संरचना

मशीनें), भुगतान गेटवे आदि। ; उस निर्धारिती का क्रेडिट कार्ड

विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सेवाओं में बैंक का अधिग्रहण करके जिन प्रतिष्ठानों को अधिग्रहण करने वाले बैंक भुगतान करते हैं

बैंक व्यापारी द्वारा निपटाए गए लेन-देन प्रस्तुत करते हैं। कार्ड के माध्यम से निर्धारिती (जारी करने वाला बैंक) को प्रतिष्ठान

संगठन और बदले में निर्धारिती को भुगतान करता है

कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से बैंकों का अधिग्रहण; वह कार्ड

एसोसिएशन (मास्टर कार्ड, वीजा और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारिती (जारीकर्ता बैंक) और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है; वह कार्ड संघ जारीकर्ता बैंकों और अधिग्रहण करने वाले बैंकों को कार्ड लेनदेन की सुविधा के लिए आवश्यक नेटवर्क और मंच प्रदान करता है; जो आम तौर पर प्राप्त करने वाले बैंक कार्ड एसोसिएशन को एक मानक फाइल प्रारूप में लेनदेन (व्यापारियों द्वारा निपटाया गया) प्रस्तुत करते हैं।

निर्धारिती (जारीकर्ता बैंक) को प्रस्तुत करना कि मानक फाइल प्रारूप में कार्ड संख्या, अधिग्रहणकर्ता संदर्भ संख्या, लेनदेन राशि, विनिमय शुल्क, भुगतान की तारीख जैसे विवरण शामिल हैं। लेन-देन, व्यापारी व्यवसाय की प्रकृति आदि। , कि कार्ड एसोसिएशन से प्राप्त लेन-देन के विवरण के आधार पर, निर्धारिती (जारी करने वाला बैंक) ग्राहक को सकल राशि का बिल देता है और कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त समान राशि का भुगतान करके (जो बैंकों द्वारा जमा की जाती है) कम विनिमय शुल्क की सकल राशि का भुगतान करता है; वह निर्धारिती (जारी करने वाला बैंक) आम तौर पर अपने ग्राहकों से मासिक बिलिंग विवरण के आधार पर एक देय तिथि के साथ सकल राशि प्राप्त करता है जिसके द्वारा

ग्राहक को भुगतान करने की आवश्यकता होती है; इस संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि विनिमय शुल्क और कुछ नहीं बल्कि ग्राहक के हिस्से का एक हिस्सा है।

निर्धारिती द्वारा अर्जित एम. डी. आर. और क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड के संबंध में उनकी सेवा आय का हिस्सा है। सेवाएँ।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारिती ने दिनांकित 12.04.2013 पत्र के माध्यम से कहा कि प्रतिफल की सकल राशि

"क्रेडिट कार्ड सेवाओं" की कर प्रविष्टि के तहत कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त, पहले से ही अधिग्रहण करने वाले बैंक के हाथों में सेवा कर के अधीन है; कि जारी करने वाले बैंक द्वारा प्राप्त विनिमय शुल्क केवल अधिग्रहण करने वाले बैंक से प्राप्त एम. डी. आर. का एक हिस्सा है; कि जारी करने वाला बैंक अधिग्रहण करने वाले बैंक को कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है और इसलिए जारी करने वाले बैंक द्वारा आदान-प्रदान के रूप में प्राप्त एम. डी. आर. के आनुपातिक हिस्से पर कोई सेवा कर लागू नहीं है; कि जारी करने वाले बैंकों के हाथों में एम. डी. आर. के हिस्से के रूप में आदान-प्रदान पर कर लगाना दोहरे कर के बराबर होगा क्योंकि सकल एम. डी. आर. पहले ही सेवा कर के अधीन हो चुका है; कि चूंकि पूरे एम. डी. आर. पर सेवा कर का भुगतान किया गया था, इसलिए उनकी देयता, यदि कोई हो, तदनुसार समायोजित की जानी चाहिए। उन्होंने (1) क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर एक नोट भी संलग्न किया।

और सेवा कर की प्रयोज्यता और (2) जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के ओ. एम. एस. आई. एन. आर. को दर्शाने वाला एक एक्सेल शीट v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इंटरचेंज आय की कार्यप्रणाली और एम. डी. आर. का विवरण।

हालाँकि, अपनी मर्जी से, निर्धारिती ने एक राशि का भुगतान किया से रु. 15,00,00,000 / - चालान सं. के माध्यम से सेवा कर की ओर।

11046 दिनांकित 28.03.2013।

5. निर्धारिती का तर्क कि वे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अधिग्रहण करने वाले बैंक को कोई सेवा नहीं दी जाती है

सही है। जब निर्धारिती का क्रेडिट कार्ड धारक (जारी करने वाला)

बैंक। निर्धारिती द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने का तथ्य जारीकर्ता बैंक केवल ग्राहक को कैशलेस लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

व्यापारी प्रतिष्ठान से खरीद या सेवा जो है

बाद में अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा निपटाया गया और छूट

(इस प्रकार अर्जित विनिमय शुल्क) को निर्धारिती (कार्ड) के साथ साझा किया जाता है।

निर्धारिती धारा 65 (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के तहत कर योग्य प्रतीत होता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (33ए) आई. बी. आई. डी. के साथ पठित;

विनिमय शुल्क पर सेवा कर के भुगतान का तथ्य

अधिग्रहण बैंक निर्धारिती को भुगतान से छूट नहीं देता है।

उनके द्वारा प्राप्त प्रतिफल पर सेवा कर

सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के रूप में सेवा प्रदान करना उत्तरदायी है उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान करना।

XXXXXXXX '

XXXXXXXXXXXX

कारण सूचना 2 दिखाएँ

" 2.0 संक्षेप में मुद्दा यह है कि लेखापरीक्षा के दौरान

सेवा कर आंतरिक द्वारा संचालित निर्धारिती के खाते

सेवा कर आयुक्तालय चेन्नई का लेखा परीक्षा समूह, यह था

ग्राहक; कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन में आम तौर पर दो शामिल होते हैं बैंक-एक जारी करने वाला बैंक और एक अधिग्रहण करने वाला बैंक; जो जारी करता है

बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करता है; जो बैंक का अधिग्रहण करते हैं

क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए अनुबंध व्यापारी प्रतिष्ठान

ग्राहकों को बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान और

इस तरह के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंक प्रदान करते हैं कार्ड स्वाइपिंग टर्मिनल (प्वाइंट [2021] 13 एस. सी. आर.) जैसी आवश्यक आधारभूत संरचना।

या बिक्री मशीन), भुगतान गेटवे आदि। ; निर्धारिती के क्रेडिट कार्ड ग्राहक विभिन्न व्यापारियों में बैंकों का अधिग्रहण करके स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पी. ओ. एस.) मशीनों का उपयोग कर रहे हैं।

प्रतिष्ठानों/सेवा प्रतिष्ठानों; कि अधिग्रहण

बैंक व्यापारी प्रतिष्ठानों/सेवा प्रतिष्ठानों को भुगतान करते हैं और उनसे एक पूर्व-संविदित दर लेते हैं जिसे व्यापारी छूट दर (एम. डी. आर.) के रूप में जाना जाता है ताकि क्रेडिट कार्ड लेनदेन को सुविधाजनक बनाया जा सके; कि अधिग्रहण करने वाले बैंक व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा तय किए गए लेनदेन को निर्धारिती (जारी करने वाले) को जमा कर दें।

बैंक) कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से और बदले में निर्धारिती कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से अधिग्रहण करने वाले बैंकों को भुगतान करता है;

वह। कार्ड एसोसिएशन (मास्टरकार्ड, वीजा कार्ड और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल) लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

मूल्यांकनकर्ता। (जारी करने वाला बैंक) और अधिग्रहण करने वाले बैंक, जो कार्ड एसोसिएशन तब जारी करने वाले बैंकों और अधिग्रहण करने वाले बैंकों को आवश्यक नेटवर्क और मंच प्रदान करता है

कार्ड लेनदेन; कि सामान्य रूप से प्राप्त करने वाला बैंक निर्धारिती (जारी करने वाले बैंक) को आगे जमा करने के लिए एक मानक फ़ाइल प्रारूप में कार्ड संघ को लेनदेन (व्यापारियों द्वारा निपटाया गया) प्रस्तुत करता है; कि मानक फ़ाइल प्रारूप में कार्ड संख्या, अधिग्रहणकर्ता संदर्भ लेनदेन संख्या, राशि, विनिमय शुल्क, लेनदेन की प्रकृति की तारीख जैसे विवरण शामिल हैं।

व्यापारी व्यवसाय आदि, जो लेन-देन के विवरण पर आधारित हो।

अक्टूबर 2007 से जून 2012 तक की अवधि के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंकों से उनके द्वारा विनिमय शुल्क एकत्र किया गया था और उस पर सेवा कर नहीं लगाया गया था। XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद का XXX ओम्मीशनर v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निर्धारिती द्वारा अर्जित विनिमय शुल्क धारा 65 बी (44) के अनुसार "सेवा" के रूप में कर योग्य प्रतीत होता है; भुगतान का तथ्य अधिग्रहणकर्ता द्वारा विनिमय शुल्क पर सेवा कर। बैंक निर्धारिती को सेवा कर के भुगतान से छूट नहीं देता है।

सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा कर।

चौथे कारण दर्शाओ नोटिस पर सिटीबैंक का जवाब, दिनांक 16.09.2013,

7/2015 यह अपनी स्थिति को दर्शाता है:

" 4.7 . नोटिस प्रस्तुत करता है कि भुगतान करते समय

कार्ड धारकों द्वारा क्रेडिट पर की गई खरीदारी के लिए व्यापारी प्रतिष्ठान, अधिग्रहण बैंक व्यापारी को कटौती करता है

छूट दें और मर्चेंट प्रतिष्ठान को शेष राशि का भुगतान करें।

बेचे गए या प्रदान की गई सेवाएँ। व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा इस प्रकार वहन किए जाने वाले शुल्क (व्यय) के परिणामस्वरूप आय होती है, जिसके दो लाभार्थी/दावेदार होते हैं अर्थात् अधिग्रहण करने वाला बैंक और जारी करने वाला बैंक अर्थात सूचना प्राप्तकर्ता)। जारीकर्ता बैंक के राजस्व का हिस्सा प्रतिधारण के माध्यम से निपटाया जाता है। एसोसिएशन जारीकर्ता बैंक (यानी सूचना प्राप्तकर्ता) के खाते से पैसे निकालता है और इसे अधिग्रहण करने वाले बैंक को वितरित करता है। का भुगतान

एसोसिएशन के लिए शुल्क अलग से किया जाता है

जारी करने वाला बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक। सभी इकाइयाँ सह क्रेडिट कार्ड लेनदेन [2021] 13 एस. सी. आर. का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करें।

क्रेडिट कार्ड धारक और व्यापारी प्रतिष्ठान के बीच।

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

4.16 जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, सूचना में कोई प्रावधान नहीं है

अधिग्रहण बैंक को सेवाएँ, और परिणामस्वरूप, उनके बीच कोई सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता संबंध नहीं है। नोटिस प्रस्तुत करता है कि प्रतिभागी यानी अधिग्रहण

कर। अधिग्रहण बैंक और जारीकर्ता बैंक के रूप में नोटिस का कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। वे क्रेडिट के बीच क्रेडिट कार्ड लेनदेन के प्रतिभागी हैं। कार्ड धारक और मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट और इंटरचेंज शुल्क कर भुगतान किए गए मर्चेंट डिस्काउंट का केवल एक हिस्सा है जो इस तरह के नोटिसों को वितरित किया जाता है।

भागीदारी।

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

4.30 . वर्तमान तथ्यों में सभी गतिविधियाँ प्रतिभागियों द्वारा एक लेनदेन का समर्थन करने के लिए की जाती हैं जहाँ एक व्यापारी

प्रतिष्ठान क्रेडिट कार्ड धारक से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम है। ऐसी सेवाओं के संबंध में देय सकल राशि यानी मर्चेंट डिस्काउंट जो मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट द्वारा अधिग्रहण बैंक को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें इंटरचेंज शुल्क शामिल होता है जो नोटिस का हिस्सा है। सकल प्रतिफल की यह राशि तत्काल मामले में अधिग्रहण करने वाले बैंक के हाथों में सेवा कर के अधीन है। वर्तमान तथ्यों में केवल एक ही लेन-देन है। मर्चेंट डिस्काउंट विचारणीय है। जो इस लेन-देन के संबंध में प्राप्त होता है। मर्चेंट छूट आगे प्रतिभागियों (यानी जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण बैंक) के बीच वितरित की जाती है। विचारणीय

इस एकल लेन-देन में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त कर को अधिग्रहण करने वाले बैंक के हाथों में कर की पेशकश की जाती है।

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

4.33 . यह सराहना की जानी चाहिए कि विनिमय शुल्क केवल मर्चेंट ओम्मीशनर ऑफ जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद की सकल राशि का एक अनुपात है।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

छूट जो पहले से ही कर के अधीन है

अधिग्रहण बैंक से। अत: सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह के विनिमय शुल्क पर मांग की गई।

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

4.35 . नोटिस प्रस्तुत करता है कि आयुक्त विफल रहा है

इस तथ्य की सराहना करें कि जारी करने के कारण विनिमय शुल्क

बैंक सकल राशि में से आंशिक रूप से वितरित करता है जो

पहले से ही कर का सामना कर रहा है और सेवा के नए शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है कर। इस तरह के शुल्क के परिणामस्वरूप दोहरे कराधान होंगे

एक ही कर कानून के तहत एक ही विचार।

इस संदर्भ में, बैंकिंग के भीतर प्रचलित समझ

प्रयास भी सूचक है, जिसे अभ्यावेदन से प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय बैंक संघ द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड और ओ. एम. एस. से स्पष्टीकरण की मांग (जो सिटीबैंक द्वारा दायर किए गए थे)। स्थिति का वर्णन करने वाला एक उद्धरण:

" 2. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब जारी करने वाले ग्राहक

बैंक का उपयोग करके व्यापारी प्रतिष्ठान से खरीदारी करता है

क्रेडिट कार्ड, लेनदेन एक भुगतान चक्र से गुजरता है

वीजा/मास्टरकार्ड निपटान मंच के माध्यम से। द.

बैंक का अधिग्रहण एक निश्चित पूर्व निर्धारित प्रतिशत की कटौती करता है।

(आम तौर पर व्यापारी को भुगतान की गई राशि से 3 प्रतिशत तक),

केवल अपने हिस्से पर सेवा कर देयता का निर्वहन करना छूट, 'अधिग्रहण करने वाला बैंक' पूर्ण सेवा कर का निर्वहन करता है

लेन-देन पर पूरी विनिमय आय पर दायित्व, जिसमें कार्ड जारीकर्ता द्वारा प्राप्त 'इंटरचेंज' भी शामिल है।

बैंक। इस प्रकार, पूरे विनिमय पर सेवा कर का भुगतान किया जाता है। अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा आय और कोई रिसाव नहीं है

" 31

राजस्व।

धारा 65 (33 ए) की व्याख्या

19. क्रेडिट कार्ड सेवाओं की पूर्व-विद्यमान परिभाषा [अनुभाग]

2) (ii)] केवल बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के हिस्से के रूप में "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" का उल्लेख किया-बिना यह बताए कि किस तरह की सेवाएं थीं।भारतीय बैंक संघ द्वारा दिनांकित 07.10.2010 संयुक्त सचिव जे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को भेजा गया।

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 65 (12) के उपखंड (ii) को हटाकर और एक नई धारा 65 (33 क) लागू करके। 20. धारा 65 (33 ए) के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं के सात अलग-अलग प्रमुख अब व्यापक दायरे में समझे जाते हैं।

"क्रेडिट कार्ड सेवाओं" का विवरण। उपखंड (i) से (vii) में आने वाली प्रत्येक श्रेणी एक विशिष्ट, गणना की गई सेवा से संबंधित है। नियंत्रक अभिव्यक्ति "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवाओं में प्रदान की गई कोई भी सेवा शामिल है" पूर्व-मौजूदा कानून के विपरीत, इस प्रकार की सेवा के दायरे को व्यापक बनाती है। यह समावेश-"डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा" की विशिष्ट गणना द्वारा कार्ड सेवा का एक विस्तारित वर्ग है। हालांकि, "क्रेडिट कार्ड सेवाओं" के विस्तार (विशिष्ट उप-श्रेणियों की गणना द्वारा) के दौरान भी "शामिल" शब्द का आगे उपयोग धारा के तहत कवरेज को सीमित करने का प्रभाव डालता है।

65 (33) (क) केवल सात गणना की गई श्रेणियों के लिए। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपखंड (vii) के बाद, गैर-गणना गतिविधियों के समान उपचार को अधिकृत करने वाला कोई अवशिष्ट प्रावधान नहीं है, यानी वे जो उपखंड (i) से (vii) के भीतर नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, कार्ड सेवाओं की सात श्रेणियों की विशिष्ट गणना द्वारा विस्तार करते समय "शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग भी समावेशी प्रकृति को उन श्रेणियों तक सीमित करता है, और इससे अधिक नहीं।

21. दूसरी निर्विवाद विशेषता यह है कि एक उपखंड के भीतर आने वाली प्रत्येक गणना की गई श्रेणी केवल एक प्रकार की सेवा को संदर्भित करती है। इस प्रकार, उपखंड (i) द्वारा, निर्दिष्ट सेवा कार्ड

धारक को कार्ड जारी करना है; और उपखंड (ii) द्वारा, रसीद की सेवा, आवेदनों का प्रसंस्करण, जारीकर्ता बैंक की व्यक्तिगत एजेंसी को उभरे हुए डेटा का हस्तांतरण, ए. टी. एम., पिन संख्या निर्माण, कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन, पते में परिवर्तन आदि-अनिवार्य रूप से जारीकर्ता कार्ड के लिए अलग और सहायक सेवाओं का निर्माण। इस सेवा में मुख्य रूप से एक व्यावसायिक इकाई शामिल है जो दूसरे को सेवा प्रदान करती है। उपखंड (iii) द्वारा-जिसका संबंध इस मामले में शामिल सेवा से है, किसी भी व्यक्ति द्वारा है, [अर्थात,

उपखंड (i) में परिभाषित रूप से जारी करने वाले बैंक और किसी अधिग्रहण करने वाले बैंक को,

लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में अन्य व्यक्ति "ऐसा कार्ड"। यहाँ जोर दिया गया है: अन्य संबंधित मुद्दों के अलावा, कार्ड के माध्यम से किसी भी "लेन-देन की राशि" के निपटान की सेवा के साथ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "किसी भी व्यक्ति द्वारा" सेवा प्रदाता का संदर्भ व्यापक है और सभी श्रेणियों के व्यक्तियों और जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v को समझता है।

मेसर्स सी. आई. टी. आई.

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

"व्यक्ति" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उपखंड (i) (बैंक, वित्तीय संस्थान, आदि) में उल्लिखित संस्थाएं [धारा 65 ख (37) में]। इस तरह के मामले में, जारी करने वाले बैंक का संदर्भ व्यापक दायरे में आएगा

"किसी भी व्यक्ति" का वर्णन। किसी भी मामले में, "जारी करने वाले बैंक" को परिभाषित किया गया है

व्यापक रूप से, उपखंड (i) के अनुसार, संसद को "जारी करने वाले बैंक सहित किसी भी व्यक्ति" का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है; इसका अर्थ होगा -

ऐसे कार्ड। 22. महत्वपूर्ण रूप से, केवल धारा 65 (33 ए) (iii) में किसी भी व्यक्ति द्वारा सेवा जारी करने वाले बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा शामिल है।

मॉडल, जहाँ सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य कार्ड के बीच अंतर्निहित लेनदेन के लिए भुगतान सुनिश्चित करना है माल या सेवाओं का धारक और प्रदाता। संसद को यह भी पता होगा कि तीन व्यावसायिक संस्थाएं हैं जिनका संयुक्त या समवर्ती कार्य प्रत्येक क्रेडिट कार्ड लेनदेन के निपटारे के लिए आवश्यक है। तीन व्यावसायिक संस्थाएं जारी करने वाला बैंक, अधिग्रहण करने वाला बैंक और नेटवर्क हैं [जैसे कि वीजा, मास्टरकार्ड, या रुपे, आदि, जिन्हें धारा 65 (33 ए) के तहत परिभाषा से बाहर रखा गया है]। ये महत्वपूर्ण कारक हैं और परिणामस्वरूप मेरी राय है कि संयुग्म "और" को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ विच्छेदित होने के बजाय संयुग्म रूप से दिया जाना चाहिए। इसलिए, परिणाम यह है कि जब कोई व्यक्ति (यानी, जारी करने वाला बैंक), और एक

अधिग्रहण करने वाला बैंक, [2021] 13 एस. सी. आर. के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी क्रेडिट कार्ड लेनदेन, उस सेवा का निपटान करने के लिए, और अधिग्रहण करने वाला बैंक, धारा 65 (33ए) के अनुसार "क्रेडिट कार्ड सेवा" के बराबर है। सेवा की एकीकृत प्रकृति, दूसरे के लिए (चाहे वह कार्ड धारक हो या व्यापारी, जो प्राथमिक लेन-देन में भागीदार हैं और इसलिए लाभार्थी हैं) धारा 65 (33ए) के उपखंड (iii) की विषय वस्तु है। मैं इस निष्कर्ष में उपखंड (iv), (vi) और (vii) में "या" शब्द के उपयोग में भी दृढ़ हूं जो किसी अन्य व्यावसायिक संस्था या सेवा प्रदाता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परिभाषित करता है, और नहीं

एक ग्राहक।

24. इस अदालत ने, कई उदाहरणों में, इस बात पर विचार किया है कि "और" अभिव्यक्ति को पढ़ते समय क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, एक शाब्दिक प्रशंसा करते हुए। व्याख्या, एक के बजाय, जिसके परिणामस्वरूप इसे एक असंगत "या" के रूप में माना जा रहा है। हैदराबाद में एस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद और एएनआर। वी. भारत संघ 3 2, इस न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 56-ए पर विचार किया। न्यायालय ने संयुग्म और विभेदक "और", या "की व्याख्या पर विचार किया। नियम 56-ए का प्रावधान संयुग्म शब्द "और" का उपयोग करता है। इस प्रावधान ने कलेक्टर को पहले से ही शुल्क का श्रेय देने की अनुमति दी थी

ऐसी सामग्री या घटक भागों या तैयार उत्पाद पर भुगतान किया जाता है, जैसा भी मामला हो। महत्वपूर्ण रूप से, परंतुक इस प्रकार है:

" बशर्ते कि इस संबंध में किसी भी क्रेडिट ऑफ डचूटी की अनुमति नहीं होगी

तैयार उत्पाद से हटाने योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या घटक भागों का

((i) यदि ऐसी तैयार उत्पाद शुल्क द्वारा उत्पादित वस्तुएँ

निर्माता को उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से छूट दी गई है।

उस पर प्रभार्य या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य हैं, और

((ख) जब तक कि

(क) ऐसी सामग्री या घटक भागों के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है। उसी वस्तु या उप-वस्तु के तहत जिसे तैयार किया जा सकता है

माल; या

(ख) ऐसी सामग्री के लिए भुगतान किए गए शुल्क की छूट या समायोजन या

घटक भागों को विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है

केंद्र सरकार: "

इस अदालत ने माना कि भाषा स्पष्ट थी; इसलिए "और" को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। बहुत पहले, यह ग्रीन बनाम प्रीमियर में आयोजित किया गया था

ग्लाइनरहॉन्वी स्लेट Co.33 कि

32 (2000) 1 एस. सी. सी. 426 33 (1928) 1 के. बी. 561, पी.

568 जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" आप कभी-कभी क़ानून में 'या' के रूप में 'और' पढ़ते हैं। लेकिन आप करते हैं।

इसे तब तक न करें जब तक कि आप बाध्य न हों क्योंकि 'या' नहीं है

आम तौर पर 'और' और 'और' का अर्थ आम तौर पर 'या' नहीं होता है।

आर बनाम ऑक्सफोर्डशायर काउंटी काउंसिल और अन्य में, एक्स पार्टी

इंगवेल पैरिश काउंसिल 3 4, कॉमन्स की धारा 22 (1)

शासन अधिनियम 1965 में एक शहर या गाँव की तीन-भाग की परिभाषा है।

, आमतौर पर वर्ग (ए), (बी) और (सी) कहा जाता है। वे थे:

" [(क) ऐसी भूमि जो किसी क्षेत्र के निवासियों के व्यायाम या मनोरंजन के लिए किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवंटित की गई हो या [ख] जिस पर किसी क्षेत्र के निवासियों को वैध खेल और मनोरंजन में शामिल होने का प्रथागत अधिकार है या [ग] जिस पर

किसी भी इलाके के निवासियों ने इस तरह के खेलों में भाग लिया है।

और कम से कम 20 वर्षों के लिए अधिकार के रूप में मनोरंजन।

एक तर्क दिया गया था कि 20 वर्षों तक ऑर्ट और मनोरंजन में शामिल होने की आवश्यकता असंगत थी और संयोजी नहीं थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि:

" पहला बिंदु ग्लेब पर गतिविधियों की प्रकृति से संबंधित था। उन्होंने दिखाया कि इसका उपयोग अकेले या पारिवारिक मनोरंजन (टहलने, तंबाकू खाने, पारिवारिक खेलों) के लिए किया जाता था, लेकिन उनके लिए नहीं।

कुछ भी जिसे उचित रूप से एक खेल कहा जा सकता है। मिस.

कैमरन ने कहा कि यह दो कारणों से अपर्याप्त था। सबसे पहले,

क्योंकि परिभाषा "खेल और मनोरंजन" की बात करती है और इसलिए, भाषा के मामले में, मनोरंजन पर्याप्त नहीं थे। कम से कम एक खेल होना चाहिए था। दूसरा, क्योंकि वर्ग सी में "खेल और मनोरंजन" वही खेल और मनोरंजन होने चाहिए थे जिनके संबंध में वर्ग बी के तहत प्रथागत अधिकार हो सकते थे और इसका मतलब था कि

उनके बारे में कुछ सांप्रदायिक तत्व होना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट खेलना, बट्स पर शूटिंग करना या मेपोल के चारों ओर नृत्य करना। मैं इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करता। भाषा के मामले में, मुझे लगता है कि "खेल और मनोरंजन" दो वर्ग नहीं हैं - गतिविधियाँ लेकिन एक एकल मिश्रित वर्ग जो दो शब्दों का उपयोग करता है ताकि इस बात पर बहस से बचा जा सके कि कोई गतिविधि खेल है या मनोरंजन। कानून लगातार इस तरह से शब्दों के जोड़े का उपयोग करता है। जब तक इस गतिविधि को उचित रूप से एक खेल या मनोरंजन कहा जा सकता है, यह समग्र वर्ग के अंतर्गत आता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहारा इंडिया (फर्म) में, लखनऊ बनाम. आयकर आयुक्त, केंद्र और अन्य 3 5 धारा 142 के संबंध में एक समान प्रश्न उठा (2क) आयकर अधिनियम:

" अधिनियम की उप-धारा (2ए) के प्रावधानों के केवल अवलोकन से पता चलता है कि मूल्यांकन अधिकारी की राय कि एक लेखाकार द्वारा निर्धारिती के खातों का लेखापरीक्षा कराना आवश्यक है, केवल इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए: ((i) निर्धारिती के खातों की प्रकृति और जटिलता; और (ii) राजस्व के हित। "और" शब्द का अर्थ संयोजन है न कि विच्छेदन। दूसरे शब्दों में, जुड़वां

"खातों की प्रकृति और जटिलता" और "राजस्व के हितों" की शर्तें अभ्यास के लिए पूर्व शर्त हैं। अधिनियम की धारा 142 (2ए) के तहत शक्ति का अधिकार।

25. न्यायमूर्ति जोसेफ ने अपने फैसले में, विचाराधीन संविदात्मक व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि "कानूनी रूप से वे अलग-अलग सेवाएं हैं क्योंकि जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति है बैंक के अधिग्रहण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग "। मेरी राय में, संविदात्मक संबंध का अस्तित्व या अन्यथा अपने आप में नहीं है

एक स्वाइप द्वारा एक से अधिक लेनदेन के निपटान के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि संसद का इरादा था कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए लेनदेन एक पूरे के विच्छेदन की अनुमति देता है

35 (2008) 14 एस. सी. सी. 1519. जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

दो में लेन-देन-एक जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया गया और दूसरा अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा, उसने उस इरादे को उचित रूप से स्पष्ट किया होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए, "जैसा भी मामला हो" जैसे शब्दों का उपयोग करके। एक ओर धारा 65 (33ए) में इस तरह के स्पष्ट इरादे की अनुपस्थिति, और धारा 65 (33ए) (iii) में "और" संयोजन का उपयोग, स्पष्ट रूप से इस इरादे को प्रकट करता है कि जारीकर्ता बैंक (एक "व्यक्ति") और एक अधिग्रहण बैंक संयुक्त रूप से सेवा प्रदान करते हैं, दूसरी ओर-मुझे यह मानने के लिए राजी करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़े एक ही लेनदेन का विच्छेदन अनुचित है। इसलिए, इस संबंध में, मैं जोसेफ, जे के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि संसद ने विचार किया कि अधिग्रहण करने वाले बैंक के अलावा, जारी करने वाले बैंक सहित कोई भी अन्य व्यक्ति एक अलग सेवा प्रदान कर सकता है। समान रूप से, यह तर्क कि एक बैंक की गतिविधियाँ-जो एक ही हो सकती है जो एक कार्ड जारी करती है और एक लेनदेन में एक अधिग्रहण बैंक भी है-कानूनी रूप से अलग सेवाएं हैं क्योंकि जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति (उनके संबंधित संविदात्मक ढांचे के आधार पर) प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग है।

अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा, संबंध के साथ, सटीक नहीं होगा। इसी तरह, मैं न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हूं (अर्थात, कि विनिमय शुल्क (i) जारीकर्ता बैंक और कार्ड धारक के बीच; और (ii) यह एक उपहार नहीं है) इस बात पर विचार की गई सेवा के अंतर्गत नहीं आता है कि विनिमय शुल्क भी एक अलग सेवा क्यों है।

26. घटकों को अलग करने में कई समस्याएं हैं।

धारा 65 (33 ए) (iii) के तहत जारी करने वाले बैंक द्वारा "सेवा" और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा; उन्हें निम्नानुसार विस्तृत किया गया है:

जारीकर्ता बैंक के घटक को अलग करने की स्थिति में,

(अ)

सेवा तत्व अब एक क्रेडिट कार्ड सेवा नहीं होगी, बल्कि शुद्ध अग्रिम या एक प्रकार का क्रेडिट प्रदान करेगी, जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक जो तब बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के व्यापक विवरण के अंतर्गत आता है

[धारा 65 (12)]।

अलगाव व्यवसाय की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देगा

(ख)

लेन-देन जो एक एकल एम. डी. आर. का संग्रह है जिसमें दो घटक शामिल हैं अर्थात अधिग्रहण करने वाले बैंक का शुल्क और जारी करने वाले बैंक का शुल्क/शुल्क। राजस्व स्वीकार करता है कि एम. डी. आर. में ये दोनों शुल्क शामिल हैं। इन परिस्थितियों में जारीकर्ता बैंक द्वारा अंतर-विनिमय के रूप में रखे गए घटक में भेदभाव करने के लिए कोई वारंट नहीं है।

शुल्क, यह कहकर कि जारीकर्ता बैंक को सेवा कर [2021] 13 एस. सी. आर. का भुगतान करना है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उस पर उसके शुल्क के एक अलग तत्व के रूप में। दूसरी विसंगति यह होगी कि कार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली डेटा सेवा

एसोसिएशन (सॉफ्टवेयर के उपयोग को सक्षम करना जो ग्राहक की साख के तत्काल सत्यापन, लेनदेन के प्रमाणीकरण और भुगतान के प्राधिकरण की सुविधा प्रदान करता है) को एक अलग उपचार से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अब अलग किए गए लेनदेन के मामले में जोर दिया जाता है।

मुख्य रूप से केवल दो संविदात्मक व्यवस्थाएं हैं (जैसा कि कार्ड संघ द्वारा की गई हैं) जिनमें चार उप-लेनदेन की एक साथ या क्रमिक घटना की बातचीत शामिल है, अर्थात (i) व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड धारक द्वारा कार्ड की स्वाइपिंग (जिसमें कोई पूर्व-मौजूदा संविदात्मक समझौता शामिल नहीं है, लेकिन अनुबंध के वादे को अंतिम रूप देने का प्रमाण है); (ii) उसके बाद अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रतिफल जारी किया जाता है (जो पहले से मौजूद राशि द्वारा समर्थित होता है।

संविदात्मक समझौता जिसके द्वारा पी. ओ. एस. मशीन को व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ रखा जाता है); (iii) जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के क्रेडिट का प्रमाणीकरण (जिसके पास नहीं है

यदि ये लेन-देन के विभिन्न चरण/अंग/घटक हैं, जैसा कि विभिन्न रूप से वर्णित किया जा सकता है, जिसमें कुछ पूर्व-मौजूदा संविदात्मक समझौतों द्वारा समर्थित हैं, जबकि अन्य नहीं हैं-ऐसी एक सेवा से अलग, यानी जारीकर्ता बैंक द्वारा लेनदेन के प्रमाणीकरण द्वारा कार्डधारक को प्रदान किया गया क्रेडिट, इस बात पर जोर देकर कि इसे एक बार फिर उप-खंड (33ए) और (105) (जेडजेडडब्ल्यू) के शाब्दिक निर्माण पर शुल्क के अधीन किया जाना चाहिए, यह तार्किक नहीं होगा। यदि राजस्व वास्तव में इस बात पर जोर देता है कि यह सही व्याख्या है, तो उसे तार्किक रूप से और उसी सांस में इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि अधिग्रहण करने वाला बैंक उसे प्राप्त होने वाली राशि और जी. एस. टी. और केंद्रीय शुल्क आयोग की राशि के लिए अलग-अलग विवरणी दाखिल करे।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह नेटवर्क को उसी तरीके से एकत्र और प्रेषित करता है, जिस तरह से जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के घटक के संबंध में जोर दिया जाता है, जो इस मामले में प्रदान की जाने वाली पूरी सेवा का एक हिस्सा है।

27. मैं न्यायमूर्ति जोसेफ के इस तर्क से सहमत हूं कि जारीकर्ता बैंक द्वारा अंतर-विनिमय आय या शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ब्याज के लिए नहीं है। हालाँकि, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ

निष्कर्ष, कि जारीकर्ता बैंक एक अलग सेवा प्रदान करता है। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली सेवा में जारीकर्ता बैंक की भूमिका धारा 65 (33ए) के खंड (iii) के तहत आने वाली एकल एकीकृत सेवा का हिस्सा है और इसे इसके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और वर्गीकरण के लिए अलग सेवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह वर्गीकरण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। का सुसंगत खंड

धारा 65 (33ए) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" ((ग) किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिसमें एक जारीकर्ता बैंक और एक

ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि का। स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अर्जन करना"

"बैंक" से कोई बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति सहित,

जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है;

व्यापारी छूट दर (एम. डी. आर.) है। इस एकल एम. डी. आर. में विनिमय शुल्क शामिल है। इसलिए, जारीकर्ता बैंक की सेवा को अधिग्रहण करने वाले बैंक की सेवा में शामिल किया जाता है ताकि इसे व्यापारी प्रतिष्ठान के लिए एक एकीकृत सेवा बनाया जा सके। स्पष्ट रूप से एक व्यापारी प्रतिष्ठान के पास जारीकर्ता बैंक को अंतर-विनिमय शुल्क का भुगतान करने के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है। 28. सादृश्य के रूप में, धारा 65 ए का एक पठन जो यह निर्धारित करता है कि कर योग्य सेवाओं का वर्गीकरण कैसे निर्धारित किया जाएगा, जिसमें कब भी शामिल है।

यह धारा 65 (105) के दो या दो से अधिक उपखंडों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इंगित करता है:

" 65 - ए. कर योग्य सेवाओं का वर्गीकरण। — (1) इसके लिए

इस अध्याय के उद्देश्य, कर योग्य सेवाओं का वर्गीकरण

उपखंडों की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा

धारा 65 के खंड (105) का; [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) जब किसी भी कारण से, एक कर योग्य सेवा, प्रथम दृष्टया, के खंड (105) के दो या दो से अधिक उपखंडों के तहत वर्गीकृत की जाती है

(ख) विभिन्न सेवाओं के संयोजन से युक्त मिश्रित सेवाएँ जिन्हें निर्दिष्ट तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। खंड (क) में, इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे एक ऐसी सेवा से मिलकर बने हों जो उन्हें उनका आवश्यक चरित्र प्रदान करती हो, जहां तक कि

मानदंड लागू होता है;

[.....] ”

यह भी ध्यान रखना उपयोगी होगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीई एंड सी) ने सड़क सेवा द्वारा माल परिवहन पर सेवा कर के संबंध में एक परिपत्र 3 6 द्वारा स्पष्ट किया है कि समग्र सेवा नहीं कर सकती है: अपने घटकों में विभाजित करें। अन्य बातों के साथ-साथ परिपत्र में कहा गया है कि:

" 3.मुद्दा: जी. टी. ए. एक व्यक्ति को माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सेवा एक एकल समग्र सेवा है जिसमें विभिन्न मध्यस्थ और सहायक सेवाएं शामिल हो सकती हैं जैसे कि लोडिंग/अनलोडिंग, पैकिंग/अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, अस्थायी भंडारण। प्रदान की गई सेवा के लिए, जी. टी. ए. एक खेप नोट जारी करता है और उक्त सेवा प्रदान करने के लिए जी. टी. ए. द्वारा जारी किए गए चालान में मध्यस्थ का मूल्य शामिल होता है।

और सहायक सेवाएँ। इस मामले में, क्या

मध्यस्थ या सहायक गतिविधियों को जी. टी. ए. सेवा के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए और उपशमन का विस्तार किया जाना चाहिए

ऐसी मध्यस्थ या सहायक सेवा के लिए शुल्क? स्पष्टीकरण: जी. टी. ए. इस संबंध में एक सेवा प्रदान करता है

सड़क द्वारा माल का परिवहन जो एक एकल समग्र सेवा है। जी. टी. ए. खेप नोट भी जारी करता है। मिश्रित सेवा में विभिन्न मध्यवर्ती और सहायक शामिल हो सकते हैं। माल के सड़क परिवहन की प्रमुख सेवा के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। ऐसी मध्यवर्ती और सहायक सेवाओं में लोडिंग/अनलोडिंग, पैकिंग/पैकिंग जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

परिपत्र सं. 104/7/2008-एस. टी.

, दिनांक 6-8-2008 जी. एस. टी. के आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पैकिंग, परिवहन, अस्थायी भंडारण आदि, जो

सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदान किए जाते हैं। ये

सेवाएं स्वतंत्र गतिविधियों के रूप में प्रदान नहीं की जाती हैं लेकिन हैं प्रमुख सेवा के सफल प्रावधान के लिए साधन,

अर्थात्, सड़क मार्ग से माल का परिवहन। यह तर्क कि एक एकल समग्र सेवा को इसके घटकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए और अलग सेवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, एक कुआँ है। वर्गीकरण का स्वीकृत सिद्धांत। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है

एफ. सं. 334/4/2006-टी. आर. यू., दिनांक 28-2-2006 (पैरा 3.2 और 3.3) [2006 (4) एस. टी. आर. सी. 30] और एफ. सं. 334/1/208-टी. आर. यू., दिनांक 29 2-2008 (पैरा 3.2 और 3.3) [2008 (9) एस. टी. आर. सी. 61], एक समग्र सेवा, भले ही इसमें एक से अधिक सेवाएँ हों, होनी

चाहिए। मुख्य या प्रमुख सेवा के आधार पर एकल सेवा के रूप में माना जाएगा और तदनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। एक नज़र लेते हुए, दोनों

लेन-देन का रूप और सार लिया जाना है।

हिसाब में। लेन-देन की आवश्यक विशेषताओं की पहचान करना मार्गदर्शक सिद्धांत है। चालान की विधि नहीं है

सेवा की एकल समग्र प्रकृति को बदलें और

ऐसे मामलों में वर्गीकरण आवश्यक चरित्र पर आधारित होता है।

में गणना किए गए वर्गीकरण के सिद्धांत को लागू करके

धारा 65 क। इस प्रकार, यदि कोई सहायक/मध्यवर्ती सेवा है

माल के परिवहन के संबंध में प्रदान किया गया, और

ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क, यदि कोई हो, चालान में शामिल किए जाते हैं।

जी. टी. ए. द्वारा जारी की गई और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं, ऐसी सेवा जी. टी. ए. सेवा का हिस्सा होगी और इसलिए, उस पर 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। 4.मुद्दा 2: माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करने वाला जी. टी. ए. भी प्रदान की जाने वाली सेवा के एक अभिन्न अंग के रूप में पैकिंग करता है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या ऐसे मामलों में प्रदान की जाने वाली सेवा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाना है।

जीटीए सेवा।

स्पष्टीकरण: माल संभालने की सेवा [धारा 65 (105) (जेडआर)]

माल की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग या अनपैकिंग का अर्थ है

और साथ में पैकिंग की सेवा शामिल है

कार्गो हैंडलिंग सेवा लेकिन केवल कार्गो के लिए आकस्मिक संचालन सेवा। जहाँ सेवा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जो [2021] 13 एस. सी. आर.

जी. टी. ए. सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत है और माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के लिए खेप नोट जारी करता है और प्रदान की गई सेवा के लिए ली जाने वाली राशि पैकिंग सहित है, तो सेवा को जी. टी. ए. सेवा के रूप में माना जाएगा।

और कार्गो हैंडलिंग सेवा नहीं।

5.अंक 3: क्या माल का समय के प्रति संवेदनशील परिवहन

जी. टी. ए. द्वारा माल गाड़ी में सड़क को कूरियर सेवा के तहत वर्गीकृत किया जाएगा न कि जी. टी. ए. सेवा के तहत?

स्पष्टीकरण: इस मुद्दे पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक (ए) माल का पूरा परिवहन सड़क मार्ग से होता है; और (बी) माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति एक खेप नोट जारी करता है, तब तक

इसे 'जी. टी. ए. सेवा' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्र इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि एक समग्र सेवा को घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और अलग सेवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

29. वर्तमान मामले के तथ्य, मेरी राय में, सी. बी. ई. सी. द्वारा परिकल्पित स्थिति को बारीकी से दर्शाते हैं। अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा

बैंक जी. टी. ए. द्वारा प्रदान की जाने वाली समग्र सेवा के समान है। जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला सेवा तत्व एक अभिन्न अंग है जो अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली एकल एकीकृत सेवा में शामिल हो जाता है। सी. बी. ई. सी. द्वारा (परिपत्र में) यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भले ही एक समग्र सेवा में एक से अधिक सेवाएँ शामिल हों, फिर भी इसे मुख्य या प्रमुख सेवा के आधार पर एकल सेवा के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए, अधिग्रहण करने वाले बैंक और जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मामले में भी लागू होता है। बाद वाले की भूमिका को अधिग्रहण करने वाले बैंक की सेवा में शामिल किया जाता है जिसके लिए व्यापारी से सकल प्रतिफल प्राप्त होता है।

स्थापना। इसलिए व्यापारी प्रतिष्ठान में क्रेडिट कार्ड लेनदेन में जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया गया सेवा तत्व सेवा कर के अधीन नहीं है क्योंकि इसे प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा सेवा में शामिल किया जाता है- व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की गई एक सेवा के रूप में और अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त सकल प्रतिफल (एम. डी. आर.) में अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा जारीकर्ता बैंक के साथ साझा किया गया विनिमय शुल्क शामिल है। यह जी. टी. ए. सेवा में स्थिति के समान है जिसे बोर्ड द्वारा उपरोक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया था। इस दृष्टिकोण का समर्थन नई अधिनियमित धारा 66एफ (3) (बी) द्वारा भी किया जाता है जो 1 जुलाई 2012 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि स्वाभाविक रूप से बंडल की गई सेवाओं को एकल सेवा के प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए। सी. बी. ई. सी. के परिपत्र राजस्व पर बाध्यकारी

हैं। इसलिए, जारीकर्ता बैंक द्वारा अर्जित विनिमय शुल्क जो जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद का आयुक्त है।

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

व्यापारी के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंक की सेवा का अभिन्न अंग

प्रतिष्ठान, सेवा कर के अधीन नहीं किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड

लेन-देन-एक लेन-देन के भुगतान के निपटान की दिशा में, कुल मिलाकर, है

एक अविनाशी एकीकृत सेवा, जिसके घटक भाग एक दूसरे से अविभाज्य हैं। 30. ऊपर उल्लिखित कारणों से, मैं जोसेफ, जे के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि सिटीबैंक को स्वतंत्र रूप से रिटर्न दाखिल करना था, उस लेनदेन के संबंध में जिसके द्वारा विनिमय शुल्क एकत्र किया गया था।

धारा 67 और 68

31. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शुल्क (धारा 66 के तहत) "संदर्भित कर योग्य सेवा के मूल्य पर है और इस तरह से एकत्र किया जाता है जैसे -

निर्धारित किया जा सकता है "। मूल्यांकन धारा 67 के प्रावधान के संदर्भ में है, और धारा 68 प्रदान करती है कि किसे सेवा कर का भुगतान करना है। धारा 67 (1) अधिनियमित करती है कि लगाए गए कर का माप, सेवा के लिए भुगतान किए गए विचार पर होगा, और तीन आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करता है। धारा 67 (2) में कहा गया है कि जहां सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ली गई सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, कर योग्य सेवा का मूल्य "ऐसी राशि होगी जो देय कर को जोड़ने के साथ, ली गई सकल राशि के बराबर है"। धारा 67 (3) में कहा गया है कि "कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में कोई भी राशि शामिल होगी।

ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त राशि। धारा 67 (4)-जो पिछली उप-धाराओं के अधीन है, यह अधिनियमित करती है कि "मूल्य का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।" सेवा कर (निर्धारण)

कर लगाने के लिए सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य में सहायता करने के लिए राजस्व द्वारा मूल्य) नियम, 2006 बनाए गए थे। नियम 2 (डी) (आई) परिभाषित करता है कि सेवा प्रदाता क्या है। नियम 5 निम्नलिखित रूप में निर्धारित करता है:

" नियम 5-कुछ मूल्यों में समावेशन या बहिष्करण

खर्च या लागत

(1) जहाँ सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान कोई खर्च या लागत की जाती है, वहाँ ऐसे सभी खर्च या लागत को सेवा प्रदाता के लिए विचार के रूप में माना जाएगा।

उक्त सेवा पर सेवा कर लगाने के उद्देश्य से मूल्य में शामिल। स्पष्टीकरण। - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दूरसंचार सेवा का मूल्य [2021] 13 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई सकल राशि जिसे वास्तव में दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। (2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, सेवा प्रदाता द्वारा एक शुद्ध एजेंट के रूप में किया गया खर्च या लागत

यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो सेवा प्राप्तकर्ता को कर योग्य सेवा के मूल्य से बाहर रखा जाएगा। अर्थात्:

(i) सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य करता है जब वह खरीदे गए सामान या सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष को भुगतान करता है।

((ii) सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा के प्राप्तकर्ता के शुद्ध एजेंट के रूप में सेवा प्रदाता द्वारा इस तरह से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है; (iii) सेवा का प्राप्तकर्ता तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

((iv) सेवा प्राप्तकर्ता सेवा प्रदाता को अपनी ओर से भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है।

(v) सेवा प्राप्तकर्ता जानता है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया गया है।

तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा;

(vi) सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से किए गए भुगतान को सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान में अलग से इंगित किया गया है। सेवा;

(vii) सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता से केवल उतनी ही राशि वसूल करता है जितनी उसके द्वारा तीसरे पक्ष को भुगतान की गई है; और

(viii) सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता के शुद्ध अभिकर्ता के रूप में तीसरे पक्ष से खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं उनके द्वारा अपने खाते में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त हैं।

स्पष्टीकरण 1. - उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-(क) सेवा के प्राप्तकर्ता के साथ अपने शुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक संविदात्मक समझौता करता है ताकि कर योग्य प्रावधान के दौरान व्यय या लागत वहन की जा सके। सेवा;

(बी) न तो प्राप्तकर्ता के शुद्ध एजेंट के रूप में इस तरह से प्राप्त या प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं का कोई अधिकार रखने का इरादा रखता है और न ही रखता है।

(ग) इस प्रकार खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग नहीं करता है; और

(घ) केवल ऐसी खरीद के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि प्राप्त करता है

वस्तु या सेवाएँ।

स्पष्टीकरण 2. - संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कर योग्य सेवा का मूल्य कर योग्य सेवा के सभी घटकों से युक्त कुल राशि है और यह मायने नहीं रखता कि कुल प्रतिफल के अलग-अलग घटकों का विवरण अलग से इंगित किया गया है।

बिल में।

चित्रण 1. - एक्स एक रियल एस्टेट एजेंट वाई के साथ अपना घर बेचने का अनुबंध करता है और उसके बाद वाई टेलीविजन पर एक विज्ञापन देता है। वाई बिल एक्स जिसमें टेलीविजन विज्ञापन के लिए शुल्क और कुल प्रतिफल बिल पर सेवा कर का भुगतान शामिल है। ऐसे मामले में, प्रदान की गई सेवा के लिए विचार यह है कि एक्स वाई को क्या भुगतान करता है. टेलीविजन विज्ञापन प्राप्त करते समय एक्स की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है, भले ही एक्स द्वारा जारी किए गए चालान में टेलीविजन विज्ञापन की लागत का अलग से उल्लेख किया गया हो। विज्ञापन सेवा एस्टेट एजेंट के लिए एक इनपुट सेवा है ताकि वह अपना प्रदर्शन करने में सक्षम या सुविधा प्रदान कर सके।

एक संपत्ति एजेंट के रूप में सेवाएँ

चित्रण 2. - एक कर योग्य सेवा प्रदान करने के क्रम में, एक सेवा प्रदाता यात्रा खर्च, डाक, टेलीफोन आदि जैसी लागतों को वहन करता है और इन वस्तुओं को इंगित कर सकता है।

सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान पर अलग से। ऐसे मामले में, सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे इनपुट या इनपुट प्राप्त करता है। कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए अपने खाते में सेवा। इस तरह के खर्च केवल इसलिए प्रतिपूर्ति योग्य खर्च नहीं बन जाते हैं क्योंकि वे सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान में अलग से इंगित किए जाते हैं।

चित्रण 3. - बी के साथ एक अनुबंध, एक घर बनाने के लिए एक वास्तुकार। कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान, बी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम होने के लिए टेलीफोन शुल्क, हवाई यात्रा टिकट, होटल आवास आदि जैसे खर्च वहन करता है।

क. को सेवाओं का प्रावधान. ऐसे मामले में, किसी भी रूप में ख, क से ऐसे व्यय की वसूली करता है, चाहे वह अलग से मदबद्ध व्यय के रूप में हो या एक समावेशी समग्र [2021] 13 एस. सी. आर. के हिस्से के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी द्वारा ली जाने वाली कुल राशि पर शुल्क, सेवा कर देय है। सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवा का मूल्य क्या है

ए बी को भुगतान करता है।

चित्रण 4. – कंपनी एक्स एक कर योग्य सेवा प्रदान करती है

विदेशी आगंतुकों के लिए चालक संचालित कारें प्रदान करके किराए पर-ए-कैब। चालक को कवर करने के लिए एकमुश्त राशि दी जाती है।

उसका भोजन और रात का आवास और कोई अन्य

यात्रा के दौरान कंपनी एक्स द्वारा पार्किंग शुल्क जैसे आकस्मिक खर्च। दौरे के अंत में, चालक अपने खर्चों के विवरण के साथ राशि की शेष राशि वापस कर देता है। और संबंधित बिल। कंपनी एक्स सेवा प्राप्तकर्ताओं से इन राशियों का शुल्क लेती है। चालक द्वारा की गई लागत और सेवा प्राप्तकर्ता को बिल कंपनी द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए ली गई सकल राशि का हिस्सा है।

एक्स "।

नियम 5 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सेवा प्रदान करने के लिए किए गए सभी खर्च और व्यय में शामिल हैं -

कर योग्य सेवा के सभी घटकों का। 32. इसलिए धारा 67 और नियम 5 का एक संयुक्त अध्ययन यह स्थापित करता है कि प्राप्तकर्ता के लिए पूरी सेवा का मूल्य इसका आधार है -

सेवा कर। ऐसा होने पर, यदि कोई यह स्वीकार करता है कि "सकल राशि" संपूर्ण एम. डी. आर. है- जिसमें विनिमय शुल्क भी शामिल है, तो कोई नहीं है।

तंत्र, जिसके द्वारा उत्तरार्द्ध, अर्थात विनिमय शुल्क को एक बार फिर कर के दायरे में लाया जा सकता है।

33. धारा 68, निस्संदेह, यह अधिनियमित करती है कि कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति धारा 66 बी में निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा और

नियमों द्वारा विहित रीति, और दाखिल विवरणी के अनुसार जो नियमों के अधीन विहित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि

निर्धारक बिंदु-यह प्रभार का प्रावधान है, अर्थात धारा 65, जो सेवा के मूल्य पर शुल्क लगाने की बात करती है। इसलिए, मैं न्यायमूर्ति जोसेफ की इस राय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं कि "किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा।" जो इस तर्क पर आधारित है कि क्योंकि वे दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, वे प्रत्येक अलग-अलग सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

धारा 68 के तहत (कार्ड धारक और व्यापारी प्रतिष्ठान के बीच एक ही लेनदेन का निपटान करने के बावजूद)।

जी. एस. टी. और केंद्रीय अपवाद के आयुक्त v. मेसर्स सिटी बैंक एन. ए. [एस. रवींद्र भाट, जे.]34. यह न्यायालय, भारत संघ बनाम में अपने फैसले में। इंटर-कॉन्टिनेंटल अल्टेंट्स एंड टेक्नोक्रेटस 3 7 ने इस संदर्भ में निम्नलिखित रूप में देखा:

" 24. अधिनियम की धारा 66 आरोप लगाने वाली धारा है जो इस प्रकार है:

निम्नानुसार:

" 66. सेवा कर का प्रभार। - (1) मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से कर (इसके बाद सेवा कर के रूप में संदर्भित) लगाया जाएगा। धारा 65 के उपखंडों में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं की

और ऐसी रीति से एकत्र किया जाता है जो विहित की जाए।

25. जाहिर है, यह धारा उन सेवाओं के संबंध में सेवा कर को संदर्भित करती है जो कर योग्य हैं और विशेष रूप से संदर्भित हैं।

धारा 65 के विभिन्न उपखंडों में। इसके अलावा, इसमें विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया गया है कि सेवा कर "कर योग्य सेवाओं के मूल्य" का 12 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, सेवा कर सेवा के मूल्य का संदर्भ है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, यह उन सेवाओं का मूल्य है जो वास्तव में प्रदान की जाती हैं, सेवा की गणना के उद्देश्य से किस मूल्य का पता लगाया जाना है

उस पर देय कर।

26. इस रंग में, अधिनियम की धारा 67 में आने वाली अभिव्यक्ति "ऐसी" महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, सेवा कर वसूलने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन, अधिकारियों को यह पता लगाना है कि "ऐसी" कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल कितनी राशि ली जाती है। एक फोरटियोरी के रूप में, कोई अन्य राशि जो गणना ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं की जा सकती है

उस मूल्यांकन का हिस्सा बनें क्योंकि उस राशि की गणना ऐसी "कर योग्य सेवा" प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है। कि हमारे अनुसार

सरल अर्थ जो धारा 67 से जोड़ा जाना है (गैर-संशोधित यानी 1-5-2006 से पहले या इसके संशोधन के बाद, 1-5-2006 से प्रभावी। एक बार जब यह व्याख्या धारा 67 को दी जानी है, तो इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि नियमों का नियम 5 धारा 67 के अधिदेश से बहुत आगे चला गया। इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा 66 और 67 की व्याख्या करते हुए कहा था कि कर योग्य सेवा के मूल्यांकन में, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा "ऐसी सेवा के लिए" ली जाने वाली सकल राशि होगी और कर सेवा का मूल्यांकन प्रदान करने के लिए प्रतिदान के रूप में भुगतान किए गए प्रतिफल से अधिक या कम कुछ नहीं हो सकता है।

ऐसी सेवा।

27. यह स्थिति संशोधित धारा 67 में भी नहीं बदली, जिसे 1-5-2006 पर डाला गया था। धारा 67 की उप-धारा (4) नियम बनाने वाले प्राधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार देती है कि

किस रीति से कर योग्य सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाना है। तथापि, धारा 67 (4) को स्पष्ट रूप से उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है। धारा 67 की उप-धारा (1) का अधिदेश प्रकट है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सेवा कर का भुगतान केवल सेवा द्वारा वास्तव में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर किया जाना है।

प्रदाता।

फिर से, सेवा कर आयुक्त और अन्य में। वी. भयाना लर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस 38 इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि लेनदेनः , अर्थात्, प्रदान की गई सेवा का कुल मूल्य, सकल राशि है।

सेवा कर लगाने का उद्देश्यः

" स्पष्टीकरण (ग) के एक सादे पठन से जो कुछ अन्य भुगतानों को शामिल करते हुए "सकल राशि शुल्क" बनाता है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य भुगतान के अन्य तरीकों को शामिल करना है, चाहे वह किसी भी रूप में प्राप्त हो; चाहे वह चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती आदि के माध्यम से हो। यह उस रंग में है, प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके और पुस्तक समायोजन द्वारा भुगतान के किसी भी रूप को भी शामिल किया जाना है। इसलिए, "भुगतान के किसी भी रूप में" शब्द क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करने और पुस्तक समायोजन के माध्यम से हैं।

सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के साथ, कोई मामला नहीं बनता है कि कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी किए गए थे या कोई पुस्तक समायोजन किया गया था। इसी तरह, शब्द, "कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, जमा या डेबिट की गई", किसी भी खाते में, चाहे उसे "सस्पेंस खाता" कहा जाए या किसी भी खाते द्वारा।

अन्य नाम, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में "मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा क्योंकि किसी भी खाते में कोई राशि जमा या डेबिट नहीं की गई थी। वास्तव में, यह अंतिम भाग एक सहयोगी उद्यम के खाते के डेबिट या क्रेडिट से संबंधित है और इसलिए,

उन राशियों का ध्यान रखता है जो प्राप्त होती हैं सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संबद्ध उद्यम

प्रदाता।

16. वास्तव में, "सकल प्रभारित राशि" की परिभाषा दी गई है।

धारा 67 के स्पष्टीकरण (ग) में केवल विधियों का प्रावधान है।

8) 3 एस. सी. सी. 782. जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भुगतान या पुस्तक समायोजन जिसके द्वारा

सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह "प्रभारित सकल राशि" शब्द के अर्थ का विस्तार नहीं करता है ताकि विभाग अनुबंध मूल्य या सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से वास्तव में ली गई राशि की अनदेखी कर सके। तथ्य यह है कि यह एक समावेशी परिभाषा है और हो सकता है

पूर्ण न होने से यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अनुबंध मूल्य को नजरअंदाज किया जा सकता है और कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुबंध मूल्य के ऊपर और ऊपर मुफ्त आपूर्ति वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जा सकता है। कर योग्य सेवाओं का मूल्य सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर नहीं हो सकता है। सेवा प्राप्तकर्ता वस्तुओं की किसी भी गुणवत्ता का उपयोग कर सकता है और ऐसी वस्तुओं का मूल्य काफी भिन्न हो सकता है। इस तरह के मूल्य का सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, पहले सिद्धांत पर, एक मूल्य जो सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के बीच अनुबंध का हिस्सा नहीं है, कर योग्य सेवाओं के मूल्य के निर्धारण में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया।

35. ये निर्णय-हालांकि अलग-अलग संदर्भों में दिए गए हैं, मेरी राय में, इस बात को उजागर करने का काम करते हैं कि सेवा कर लगाने का आधार सेवा प्राप्तकर्ता से ली गई राशि का कुल या "सकल" मूल्य है। वर्तमान मामले में, एम. डी. आर. इस प्रकार "सकल मूल्य" है; इसमें विनिमय शुल्क शामिल है। इन परिस्थितियों में, चूंकि सेवा कर का संग्रह अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा किया जाता है, जो इसे राजस्व में भेजता है, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि दोनों तत्वों को अलग किया जाना चाहिए और अलग-अलग विवरणी दाखिल की जानी चाहिए विनिमय शुल्क को प्रतिबिंबित करने से कागजी कार्रवाई बढ़ाने और बैंकों और राजस्व अधिकारियों दोनों पर अधिक काम का बोझ डालने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यदि यह कुल राशि है (जिसमें से विनिमय

शुल्क, एक हिस्सा है, और अधिग्रहण करने वाले बैंक की राशि, दूसरा हिस्सा), शुल्क का भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, पूरे एम. डी. आर. का पृथक्करण

(जिसमें विनिमय शुल्क शामिल है) इसे दो भागों में काटकर, अर्थात विनिमय शुल्क और अधिग्रहण करने वाले बैंक का शुल्क, केवल सभी पक्षों को इन्हें अलग-अलग रिटर्न में प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से, केवल मुद्दों को जटिल बनाता है। दूसरी व्याख्या, एक अलग समुच्चय की ओर ले जाएगी, जिसके तहत पूरे एम. डी. आर. पर सेवा कर लगाया जाता है और एक बार

पुनः, विनिमय शुल्क पर, जारीकर्ता बैंक अलग से सेवा कर एकत्र करता है, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि 14 प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

व्याख्या, मेरी राय में, अलग-अलग शुल्कों का समर्थन नहीं कर सकती है, जो धारा 65 के विपरीत होगी।

36. मैं 2000/से कम के लेनदेन को छूट देने वाली अधिसूचना के सही निर्माण के बारे में भी जोसेफ, जे. से सहमत होने में असमर्थ हूं। सेवा कर के भुगतान से। मैं इसे अधिसूचना 25/123 9 की शर्तों के एक सादे और पाठ्य पठन पर आधारित करता हूं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

" 64. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से किए गए एक ही लेनदेन में दो हजार रुपये तक की राशि के निपटान के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अधिग्रहण बैंक द्वारा सेवाएं। स्पष्टीकरण। इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "अधिग्रहण बैंक" का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग सहित वित्तीय संस्थान।

वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, जो

ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान।] द्वारा प्रविष्ट किया गया

अधिसूचना No.52/2016-ST, दिनांक 8.12.2016 "।

यह दर्शाता है कि विधायी इरादा/समझ केवल कुल राशि पर सेवा कर का भुगतान करने वाले अधिग्रहण करने वाले बैंक तक ही सीमित है। अन्यथा छूट देने का उद्देश्य विफल हो जाता।

क्योंकि अधिग्रहण करने वाला बैंक तब विनिमय शुल्क पर देय कर का अनुपात एकत्र करेगा (या, तदनुसार, जारी करने वाला बैंक कटौती करेगा), जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन की मात्रा (₹2000/- और उससे कम) पर सेवा कर का आंशिक शुल्क लगेगा जो स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त है। इसलिए, मेरी राय में, जोसेफ, जे की राय है कि छूट द्वारा, जारीकर्ता बैंक इस आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकता है कि अधिग्रहण करने वाले बैंक को छूट दी गई है, इसलिए, सही नहीं है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस पर कर लगाया जाता है, वह लेन-देन का मूल्य है और यह लेनदेन है जो छूट प्राप्त है, सेवा प्रदाता नहीं। इसलिए, केवल 'अधिग्रहण बैंक' का स्पष्ट उपयोग इस बात का संकेत है कि संसद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन कैसे किए जाते हैं।

37. इसलिए मैं न्यायाधीश जोसेफ के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि धारा 67 (1) (i) के तहत "सेवा प्रदाता" का तात्पर्य है कि दोनों

अधिग्रहण करने वाले बैंक और जारी करने वाले बैंक सेवा प्रदाता हैं, और जिस सकल राशि पर कर एकत्र किया जाता है, वह विभिन्न सेवा धारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य का योग नहीं है। का फैसला 39 HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सीबीआइसी। गव. में/संसाधन// एच. टी. डी. ओ. सी. एस.-सेवा कर/एस. टी.-अधिसूचना/एस. टी.-अधिसूचना 2012/मेगा छूट अधिसूचना 22022018. पी. डी. एफ. जी. एस. टी. आयुक्त और केंद्रीय अपवाद v.

मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जोसेफ, जे. सम्मान के साथ, मुख्य रूप से इस तथ्य से चिंतित हैं कि सिटीबैंक लेन-देन के निपटान के लिए शेष धन जमा करने से पहले ₹2 रखता है; और इसलिए, इस बात के प्रमाण के अभाव में कि अधिग्रहण करने वाले बैंक ने विनिमय शुल्क सहित राशि पर सेवा कर का भुगतान किया है, यह एक विशिष्ट सेवा प्रदाता के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवा के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में समझाया गया है, जारीकर्ता बैंक द्वारा निभाई गई गतिविधि या भाग निस्संदेह एक सेवा है। हालाँकि, यह सेवा का हिस्सा है; अपने आप में, और अधिग्रहण करने वाले बैंक की भूमिका के बिना, यह एक शुद्ध अग्रिम या ऋण लेनदेन बन जाता है। हालांकि, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा सेवा का प्रावधान एक साथ, शुल्क को ट्रिगर करता है। दूसरे शब्दों में, जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा का घटक केवल यही है-एकल एकीकृत सेवा का एक हिस्सा, जिसे व्यावसायिक सुविधा के लिए इस तरह से संरचित किया गया है, कि जारीकर्ता बैंक 2 रुपये रखता है, और समग्र सेवा पर कर का भुगतान अधिग्रहणकर्ता बैंक के हाथों में किया जाता है। राजस्व में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड

लेन-देन, विशेष रूप से जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक के बीच अंतर-से-लेन-देन इस तरह से किया जाता है कि पहली बार में पूरी राशि जारी करने और बाद में विनिमय शुल्क का दावा करने के बजाय, जारीकर्ता बैंक विनिमय शुल्क के घटक को बरकरार रखता है।

निष्कर्ष 38. स्पष्टता और पूर्णता के लिए, मैंने संक्षेप में कहा है

जोसेफ, जे. द्वारा अपने निर्णय (पैराग्राफ 109) में निकाले गए प्रत्येक निष्कर्ष के संबंध में मेरी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

((क) निष्कर्ष I: मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रतिवादी सिटीबैंक, जारीकर्ता बैंक के रूप में सेवा प्रदान कर रहा था, जैसा कि द्वारा पाया गया है

(ख) निष्कर्ष II, III और IV: मैं जे. जोसेफ से सहमत हूं कि 01.07.2012 से पहले, जारी करने वाले बैंक की सेवा इसके दायरे में आती थी। धारा 65 (33ए) (iii); विनिमय शुल्क को ब्याज के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सिटीबैंक द्वारा तर्क दिया गया है; और अंत में यह मामला कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन, धन में लेनदेन है और इसलिए इसकी परिभाषा से बाहर रखा गया है।

" धारा 65 बी (44) में "सेवा" अस्वीकार्य है।

(ग) निष्कर्ष VI: मैं सहमत हूँ कि अपीलों को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज करने की याचिका कि आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

ए. बी. एन. अमरो (ऊपर) में कोई योग्यता नहीं है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((D) निष्कर्ष V, VII-X: सेवा कर निस्संदेह एक मूल्य वर्धित कर है। हालाँकि, सेवा को एकल होने के रूप में चिह्नित किया गया है

एकीकृत सेवा-जिसमें अधिग्रहणकर्ता और जारीकर्ता दोनों द्वारा प्रदान की गई एकल सेवा के लिए कर योग्य मूल्य (संपूर्ण एम. डी. आर. जिसमें जारीकर्ता बैंक द्वारा रखा गया विनिमय शुल्क शामिल है) पर अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यावसायिक सुविधा के माध्यम से सेवा कर एकत्र किया जाता है/प्रेषित किया जाता है-सिटी बैंक को फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोहरा कर लगेगा। अपनी पिछली चर्चा को देखते हुए, मैं एबीएन अमरो (उपरोक्त) के तर्क से सहमत नहीं हूं।

इन्हीं कारणों से, मेरी राय है कि न्यायाधिकरण को रिमांड का सवाल ही नहीं उठता है। विवाद का एकमात्र बिंदु यह प्रतीत होता है कि क्या वे बैंक जारी करने और अधिग्रहण करने के रूप में अपने खाते में अलग से सेवा कर के भुगतान को प्रतिबिंबित कर रहे थे। हालाँकि, पहले से ही विस्तृत कारणों के परिणामस्वरूप, इसे विशुद्ध रूप से एक अकादमिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरणी का प्रश्न इस न्यायालय को बाधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक वास्तविकता यह है कि प्रत्येक बैंक एक जारीकर्ता बैंक और एक अधिग्रहण बैंक दोनों है, और यह किसी का मामला नहीं है कि बैंक सेवा कर पर अपना विवरणी दाखिल नहीं कर रहे हैं।

जहां तक राजस्व के जानबूझकर दमन के आरोप का संबंध है, इस अदालत के तय किए गए दृष्टिकोण को कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम में पिछले तीन न्यायाधीशों के फैसले के निम्नलिखित उद्धरण से सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर 0 जहां यह देखा गया था-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के संबंध में (जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के साथ समान रूप से है) कि:

" अब जहाँ तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अपेक्षित इरादा, यानी कर्तव्य से बचने का इरादा, इन शब्दों में निर्मित है। जहाँ तक तथ्यों के गलत कथन या दमन का संबंध है, वे स्पष्ट रूप से "जानबूझकर" शब्द से योग्य हैं जो "गलत कथन या तथ्यों का दमन" शब्दों से पहले है जिसका अर्थ है कर्तव्य से बचने के इरादे से। "इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन" शब्दों के अगले समूह को फिर से "शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से" तुरंत निम्नलिखित शब्दों द्वारा योग्य माना जाता है। अत: यह है कि

यह कहना सही नहीं है कि दमन हो सकता है या

तथ्य का गलत कथन, जो जानबूझकर नहीं है और फिर भी धारा 11-ए के परंतुक के उद्देश्य के लिए एक अनुमेय आधार है। तथ्य का गलत कथन या दमन जानबूझकर किया जाना चाहिए।

40 (1995) 6 एस. सी. सी. 117 जी. एस. टी. और केंद्रीय आयोग v. मेसर्स सीआईटीआई

बैंक एन. ए [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस निर्णय का पालन मैसर्स यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स बनाम में किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जहाँ यह कहा गया था कि:

" यह निष्कर्ष कि केवल कर्तव्यों का भुगतान न करना मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने के बराबर है,

हमारी राय में, असमर्थनीय। यदि यह सच है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि भुगतान न करने का कौन सा रूप सामान्य चूक के बराबर होगा? केवल गैर-भुगतान के रूप में किसी भी

परंतुक द्वारा विचार की गई तीन श्रेणियां ऐसी कोई स्थिति नहीं छोड़ेंगी जिसके लिए छह महीने की सीमा अवधि लागू हो। हमारी राय में, धारा का मुख्य निकाय, वास्तव में, कर्तव्यों के भुगतान में सामान्य चूक पर विचार करता है और मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों के दमन के मामलों को परंतुक के लिए एक छोटा, विशिष्ट और अधिक गंभीर स्थान छोड़ देता है। इसलिए, अपीलार्थी के कार्यों को परंतुक की प्रयोज्यता के लिए उपयुक्त समझने के लिए कुछ और दिखाया जाना चाहिए। 42

इसलिए, राजस्व के जानबूझकर दमन के आरोप के संबंध में, मुझे यह देखते हुए कोई योग्यता नहीं मिलती है कि यह आरोप या कारण-कारण नोटिस जारी करने का दायरा नहीं था। इसके अलावा, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा संयुक्त सचिव, टीआरयू, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को भेजे गए अभ्यावेदन इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस कर के भुगतान के तरीके के संबंध में स्पष्टता की कमी थी, जिसके लिए बैंकिंग संस्थानों और केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड के बीच बातचीत चल रही थी

सरकार, "जानबूझकर दमन" के किसी भी दावे को नकारती है। इस तथ्य से भी बेखबर नहीं हो सकता कि कानून की स्थिति ऐसी थी कि

फ्लक्स, प्रासंगिक अवधि में। इसलिए, और ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामला न्यायाधिकरण को रिमांड की गारंटी नहीं देता है, और यह विवाद, मेरी राय में, इस स्तर पर अंततः समाप्त होना चाहिए।

39. इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों के लिए-- मेरी राय है कि राजस्व की इन अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अंकित ज्ञान

मामला उपयुक्त पीठ को भेजा गया।

41 (2013) 9 एस. सी. सी. 753 42 अन्य निर्णय-अर्थात पद्मिनी उत्पाद बनाम। सी. सी. ई. [(1989) 4 एस. सी. सी. 275], तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क [1995] पूरक (1) एस. सी. सी. 50, आदि ने भी इसी तरह का तर्क दिया है।